खण्ड-215, अंक-5
शुक्रवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1882
(12 अगस्त, 1960 ई0)

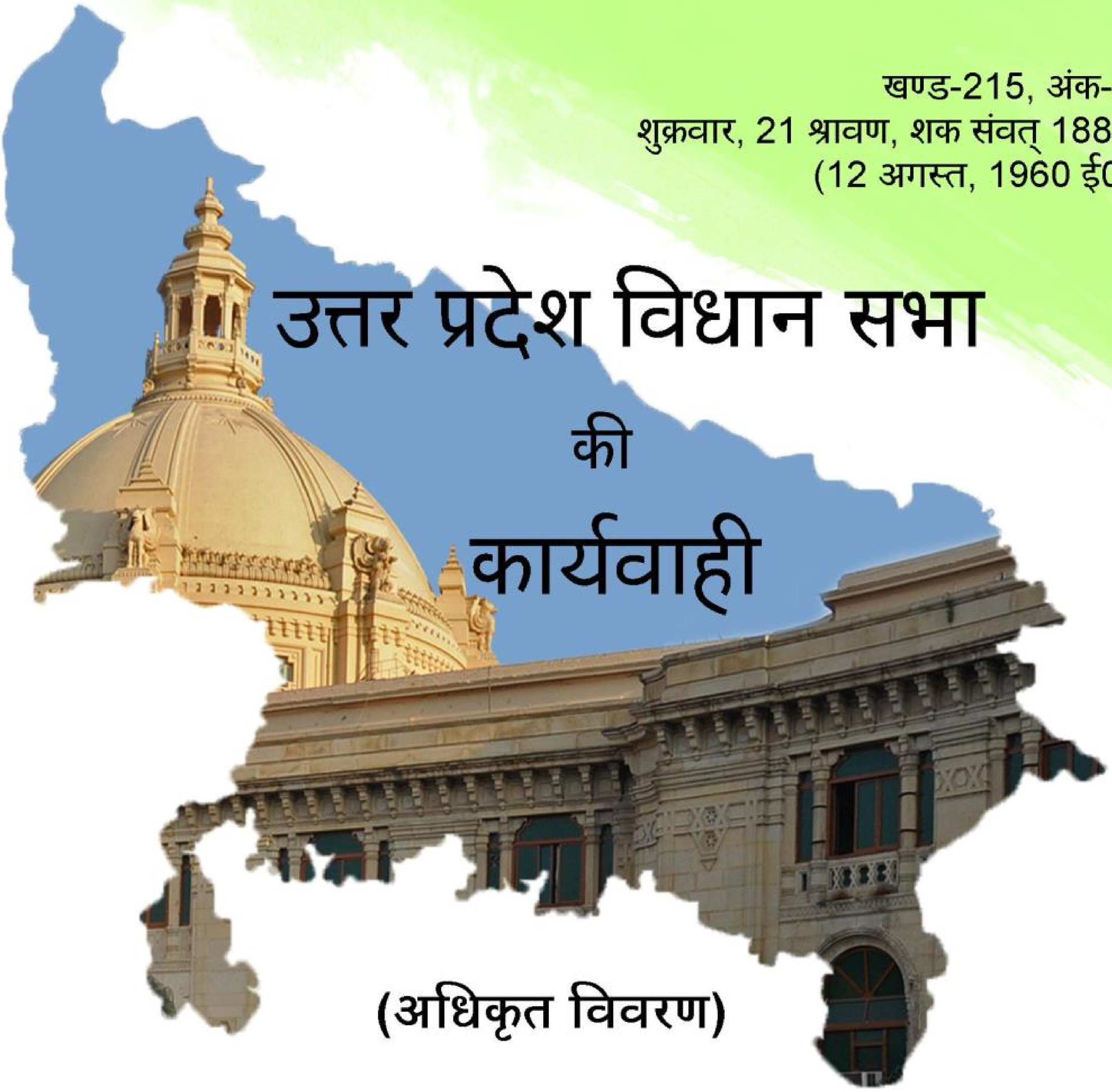

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार १२ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री,
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल,श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राय, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्सनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ अगस्त, १९६०

तारांकित प्रश्न

पुलिस सर्किल इन्सपेक्टरों का पद समाप्त न किया जा सकना

*१—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त १९५९ तक उत्तर प्रदेशीय सरकार से भारत सरकार ने जनता को हथियारों के लायसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव मांगे थे ?

गृह उपमंत्री श्री (राम स्वरूप यादव)—जी नहीं।

*२—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—यदि हां, तो क्या ये सुझाव उसने भारत सरकार के पास भेजे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

*३—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि पुलिस विभाग में सर्किल इन्स्पेक्टरों का पद खत्म कर दिया जावे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है परन्तु शासकीय कठिनाइयों के कारण इसको कार्यान्वित करना अभी संभव नहीं हो सका है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में सर्किल इन्स्पेक्टर का पद खत्म करने में सरकार को क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह निर्णय जब हो चुका तो लोक सेवा आयोग को सरकार की ओर से उसके अनुसार कुछ नाम स्वीकृति के लिये भेजे गये थे। उसके बारे में उनका एक परामर्श आया और उसी दरमियान पुलिस कमीशन बन गया है। अब यह विचार हो रहा है कि सब मसला पुलिस कमीशन के पास भेज दिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में जब पब्लिक सर्विस कमीशन को केस रेफर किया गया तो उसने क्या राय सरकार को दी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---वह सरकार की राय से सहमत नहीं थे कि इन पदों को तोड़ कर सब-डी-वाई० एस० पी० बनाये जायं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---एक सब-इन्स्पेक्टर के ऊपर इमीडियेट अफसर जब पुलिस सुपरिंटेन्डेंट रहता है तो बीच के सर्किल इंस्पेक्टर और डी-वाई० एस० पी० की पोस्ट में से एक ही पोस्ट रखने पर सरकार विचार करने को तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने तो निवेदन किया कि सरकार ने यह निश्चय किया था कि सर्किल इंस्पेक्टर का पद तोड़ दिया जाय और जैसे डी० एस० पी० होते हैं वैसे ही सब-डी० एस० पी० उनके स्थान पर नियुक्त किये जायं। इसमें कुछ शासकीय कठिनाइयां भी थीं, खर्च बहुत बढ़ रहा था। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन से राय ली गयी तो उन्होंने इसके कुछ विरुद्ध राय दी। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की राय और जो सरकार की राय है और उसमें जो कठिनाइयां हैं, इन सबको पुलिस कमीशन को रेफ़र कर दिया जाय, ऐसा सोचा जा रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---सरकार ने जो सुझाव रखा था कि सर्किल इंस्पेक्टर का पद तोड़ कर सब-डी० एस० पी० रख दिये जायं तो क्या इस सुझाव को कुछ जिलों में कार्यान्वित करके उसका नतीजा भी देखा गया था ? यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

श्री रामस्वरूप यादव---कार्यान्वित करके तो नतीजा नहीं देखा गया लेकिन ५७-५८ के पूरक बजट में प्रदेश के ६ जिलों में वहां के सर्किल इंस्पेक्टर्स का पद समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव स्वीकार हुआ था।

रायल होटल, लखनऊ, में नये कमरों का निर्माण

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल में जिन चार मंजिल के ३२ कमरों की नींव जनवरी, १९६० में पड़ी है क्या उनके बनाने वाले ठेकेदार से उनके डेढ़ साल में बना देने का एग्रीमेंट हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमरों के लिये कौन-कौन सा फर्नीचर खरीद लिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ४५९ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो फर्नीचर आ चुका है वह कितने मूल्य का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, नियम यह है कि हर कमरे में फर्नीचर ७५० रुपये का होना चाहिये। लेकिन फर्नीचर एक स्वीट समझ कर दिया गया था। बाद में मालूम हुआ कि वह कम है तो थोड़ा-थोड़ा और दे दिया गया और शायद वह इससे कुछ ज्यादा हो जायगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उक्त कमरों के बनने में दो वर्ष लगेंगे तो अभी से सामान क्यों खरीद लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—दो वर्ष नहीं लगेंगे। ८ कमरे तैयार हो चुके हैं और ३२ कमरों की भी जल्दी तैयार होने की आशा है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ८ कमरे बन चुके हैं उनमें जो मेटीरियल ठेकेदार की ओर से लगाया गया है वह ऐसा है कि अभी से टूटने लगा है? वहां रसोईघर की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मेम्बरों को बड़ी तकलीफ है, इसलिये बाकी कमरों में इस सुविधा को देने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रसोईघर तो मैं समझता हूं कि दारुलशफा में भी कहीं नहीं है। वह तो एक नक्शा बना है और उसी के मुताबिक वह बनाये गये हैं। अब रसोईघर बनाये जायंगे तो काफी खर्चा होगा। इसलिये इसका कोई इरादा नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रायल होटल में जो २४ कमरे हैं उनमें रसोई वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है और तीन फर्लांग दूर पर टेलीफून है जिससे मेम्बरों को बड़ी तकलीफ होती है? इसके अलावा दारुलशफा में तीन कमरे की इमारत है और यहां पर डेढ़ कमरा ही है, तो वहां की तरह से यहां भी सुविधायें दी जायंगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो और भी आवश्यक था कि दारुलशफा में रसोईघर पहले बनते। मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अन्य सुविधाओं का सवाल है, उसको देख लिया जायगा और यह भी कि जो सुविधायें वहां हैं उसी के मुताबिक यहां भी जितनी आवश्यक हों, दे दी जायं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतायेगी कि यह जो ३२ कमरे तैयार हो रहे हैं इनका ऐस्टीमेट कितना है और कितने रुपये में तैयार होंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—इन ४० निवास स्थानों के लिये ३,८४,२३५ रुपये थे और इनकी समाप्ति की तिथि ३० जुलाई, १९६० थी। लेकिन काम नहीं हो सका क्योंकि जमीन मिलने में दिक्कत हुई और अब ३१ मई, १९६१ तक समय बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—दारुलशफा और इन कमरों में एकोमोडेशन में अन्तर होते हुये भी दोनों का किराया ७५ रुपये क्यों रखा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कम से कम सदस्यों में समाजवाद रहे, इसलिये!

आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का बढ़ोत्तरी-वेतन

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् की प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों का सन् १९४९ का बढ़ोत्तरी-वेतन अब तक नहीं दिया गया है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—सन् १९४९ का संशोधित वेतन क्रम (१९४९ का बढ़ोत्तरी-वेतन) अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ ने १ नवम्बर, १९५० से लागू किया।

*७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने सन् १९४९ के बकाये वेतन की पूर्ति के लिये १९५५ में १ लाख रुपये का अनुदान भी प्रदान किया था?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो संशोधित वेतन क्रम १९४९ में लागू किया गया है, वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसकी तालिका इस समय मेरे पास नहीं है । लेकिन मेरा खयाल है कि जो अनट्रेड टीचर प्राइमरी स्कूल का था उसका ३६ रु० और ट्रेन्ड टीचर का ४१ रु०, ऐसा था वेतन क्रम, जहां तक मुझे याद है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री यह जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जो परिषद् के जे० टी० सी० और नार्मल ट्रेन्ड अध्यापक हैं, उन का और प्राइमरी स्कूल का वेतनक्रम एक ही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो अवश्य होगा । अगर प्राइमरी स्कूल में कोई एम०ए० जा कर नौकरी कर ले तो उसे भी वही वेतन क्रम मिलेगा जो प्राइमरी स्कूल के टीचर को मिलता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९४९ से लेकर १९५५ के बीच में इस बढ़ोत्तरी के लिये सरकार की ओर से कोई अनुदान दिया गया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने उत्तर दिया कि नहीं दिया गया ।

*८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२६ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*९–१०—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—[२५ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

*११–१३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[३१ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

समाजवादी दल के सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

*१४—**श्री चन्द्रजीत यादव, श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की ५ जुलाई, १९६० तक राज्य में सोशलिस्ट पार्टी के कितने सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये हैं और उसमें कितने लोगों को नजरबन्द रक्खा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—५ जुलाई, सन् १९६० तक १,९४८ सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया था । एक व्यक्ति को नजरबन्द रक्खा गया है ।

*१५—**श्री चन्द्रजीत यादव, श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट पार्टी के कुल कितने सत्याग्रही ५ जुलाई, १९६० को जेल मे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—५ जुलाई, १९६० को ९५१ व्यक्ति जेल में थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सोशलिस्ट सत्याग्रही जो इतनी बड़ी तादाद में जेल में रखे गये और जिन सज्जन को नजरबन्द रखा गया उन्होंने सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेज कर इस बात की शिकायत की है कि जेल में उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जैसा राजनीतिक कैदियों के साथ करना चाहिये? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि यदि ऐसी शिकायत आयी होगी तो वह हमारे जेल विभाग के मंत्री जी के पास आई होगी । मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई । सिर्फ एक शिकायत, जब मैं देवरिया गया हुआ था, माननीय उग्रसेन जी उस समय जेल में थे, उनका पत्र आया, उसके द्वारा जो शिकायत मिली थी उसकी मैंने वहां तुरन्त कलेक्टर से जांच करवायी उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है । इस समय वह मेरे पास है नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सत्याग्रहियों के अतिरिक्त और लोग पब्लिक डिटेंशन ऐक्ट में बन्द हैं ? यदि हां, तो कितने लोग ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो उत्तर में लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में एक सज्जन सिर्फ बन्द हैं ।

श्री गौरीशंकर राय--वह कौन सज्जन हैं, कहां के हैं और क्या अपराध किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह पार्लियामेंट के मेम्बर श्री प्रभुनारायणसिंह हैं जो वाराणसी के हैं । क्या अपराध किया गया था, वह तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट का प्रोसीड्योर यह है कि गिरफ्तारी होने के बाद फिर उसका औचित्य सिद्ध करने के लिये हाई कोर्ट के जज के सामने जाना पड़ता है । वह जब मंजूर करते हैं तब डिटेंशन चलता है ।

श्री ऊदल--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभुनारायणसिंह, सदस्य, संसद, की नजरबन्दी की अवधि बढ़ा दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नजरबन्दी की कोई अवधि नहीं होती । बस नजरबन्द हैं ।

श्री गौरीशंकर राय--पब्लिक डिटेंशन ऐक्ट में नजरबन्दी की अवधि एक साल से अधिक नहीं हो सकती है, तो क्या सरकार का इस पूरी अवधि तक नजरबन्द रखने का इरादा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जितना आवश्यक होगा उतना रखा जायगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये सत्याग्रही जो जेल में रखे गये हैं उनके साथ किसी विशेष प्रकार का बर्ताव होता है या जो मामूली कैदियों के साथ होता है वही बर्ताव उनके साथ भी किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि जैसा ऐसे बन्दियों के साथ बर्ताव होता है वही बर्ताव किया जाता है उनके साथ ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो सूचना उन्होंने गिरफ्तार १९४१ समाजवादी बन्दियों की दी है उसमें उनकी संख्या नहीं है जो पकड़कर पुलिस लारी में बैठाकर जंगलों में ले जाकर छोड़ दिये गये या जिन्हें एक दिन की सजा हुई थी और हवालात में बन्द करके छोड़ दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि इसमें उन सबकी संख्या है जो कि गिरफ्तार किये गये और उनकी भी संख्या है जिन्होंने माफी मांग ली ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभुनारायणसिंह कब प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में गिरफ्तार किये गये और हाई कोर्ट के सामने जो प्रोसीजर एडाप्ट किया जाता है क्या वह एडाप्ट कर लिया गया ?

श्री कमलापति तिपाठी--जी हां, ट्रिब्यूनल के सामने जो तरीका अख्तियार किया जाता है, वह तो कर लिया गया, नहीं तो रह ही नहीं सकते थे और ट्रिब्यूनल की मंजूरी मिल गई ।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय मंत्री जी के उत्तर का स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने कहा कि जैसा व्यवहार ऐसे कैदियों के साथ होता है वैसा ही उनके साथ किया जाता है, तो झारखंडे राय जी जानना चाहते थे और मैं भी जानना चाहता हूं कि अन्य अपराधियों के साथ जैसा व्यवहार होता है उनके साथ और इन सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ व्यवहार में कोई अन्तर है या एक ही प्रकार का व्यवहार होता है ?

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि यह आप गृह मंत्री से पूछ रहे हैं और समाज कल्याण मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं जो कैदियों को जेल में रखते हैं, गृह मंत्री जी तो सिर्फ पकड़कर जेल भेज देते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक बन्दियों के साथ व्यवहार में वह समाजवाद से काम लेते हैं या विषमता का व्यवहार करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो उसमें रूल बना हुआ है उसी के मुताबिक कार्यवाही करते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि जिन्होंने माफी मांग ली उनकी तादाद भी इसमें शरीक है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनों ने माफी मांगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--१७९ ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोशलिस्ट सत्याग्रहियों ने जो माफी मांगी है तो क्या कांग्रेस वाले भी पहले आन्दोलनों में माफी मांग लिया करते थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--इस बात को देखते हुये कि कितनी बड़ी संख्या में अहिंसात्मक राजनीतिक कैदियों के जेल में रहने से जनता के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन कैदियों की शीघ्र से शीघ्र रिहाई की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिहाई तो समय के अनुसार होती जा रही है । करीब १९४८ पकड़े गये थे जिनमें ९५१ रह गये हैं । १०५० के करीब छोड़े गये हैं ।

श्री मदन पांडेय--मेरा मतलब है कि कोई विशेष रिहाई का आदेश देने को सरकार सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष--१५ अगस्त के लिये कह रहे हैं आप ? तो उसका उत्तर दे दिया गया ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १ हजार के लगभग बन्दी रह गये हैं उनको कुछ जेलों में इकट्ठा करके रखा गया है या जो जहां गिरफ्तार हुये थे, वहीं बन्द हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । मैं समझता हूं कि भिन्न-भिन्न जेलों में बन्द हैं ।

इलाहाबाद जिले में कत्ल व डकैतियां

*१६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में सन् १९६० में मई, जून तथा ४ जुलाई, तक किन-किन गांवों में डकैती पड़ीं तथा कत्ल हुये तथा उनमें कितने धन-जन की क्षति हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना संलग्न तालिका म दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ ४६० पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो संख्या सरकार ने दी है उसको देखते हुये जिले की अव्यवस्था को दूर करने के लिये वह कोई उपाय सोच रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं हुई है । जो हत्यायें हुई हैं उनमें ९ मुकदमों में चालान हो गये हैं और उनको न्यायालय में भेज दिया गया है । यही हो सकता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जितने कत्ल हुये हैं उनमें से कितनों पर मुकदमें चलाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनमें ९ के चालान न्यायालय में भेज दिये गये हैं । ३ मामलों में जांच हो रही है । एक मामले में फाइनल रिपोर्ट इस वजह से लगा दी गई कि मां लड़की के साथ कुयें में गिर गई और दोनों मर गये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सब से ज्यादा कत्ल किस तहसील में हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—गांवों के नाम तो मेरे पास हैं लेकिन तहसीलवार में नहीं बता सकता ।

*१७—**श्री चन्द्रजीत यादव**—[२४ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

समाजवादी सत्याग्रहियों में महिलाओं की गिरफ्तारी

*१८—**श्री रामायणराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ मई, १९६० से समाजवादी सत्याग्रह के सम्बन्ध में अब तक कितनी महिलायें प्रदेश में गिरफ्तार हुई हैं तथा उनको कितनी-कितनी सजायें मिली हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१ अगस्त, १९६० तक कुल ९५ महिलायें गिरफ्तार हुई हैं । उनको First Offenders Act के अन्तर्गत चेतावनी, जुर्माना तथा विभिन्न अवधि तक के लिये साधारण व कठिन कारावास की सजा अदालतों से मिली है ।

श्री रामायणराय—इनमें कितनी समाजवादी स्त्री सत्याग्रह करने वालियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—२८ को सजा हुई थी जिनमें कठोर और साधारण दोनों हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह कठोर कारावास के बारे में पूछना चाहते हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव—कठोर कारावास की अलग लिस्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो महिलायें गिरफ्तार हुई थीं वह सत्याग्रह करने के अपराध में गिरफ्तार हुई थीं या समाजवादी महिला होने के कारण यदि उनको समाजवादी होने के कारण गिरफ्तार किया गया तो सरकार को कैसे मालूम हुआ कि वह समाजवादी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जुर्म के सम्बन्ध में वह सत्याग्रह करने के लिये गईं तो कानून के खिलाफ उन्होंने काम किया जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया । इस वजह से मुकदमा चलाकर उनको सजा दी गई ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश दिया गया था कि इस आन्दोलन में जिन महिलाओं को पकड़ा जाय उनको तुरन्त ही जेल भेज दिया जाय और हवालात में उनको न रखा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि देवरिया जिले में महिला सत्याग्रहियों पर ५०० रुपये जुर्माना हुआ है और अतिराजी देवी को १०७/११७ सी० आर० पी० सी० में एक साल की सजा हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सम्भव है ऐसा हुआ हो ।

श्री रामायणराय--जिन महिला समाजवादी सत्याग्रहियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया है उनसे क्या क्रिमिनल दफाओं में बन्द स्त्रियों की तरह काम कराया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि जेल में, जो नियम बने हुये हैं, उन नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

*१९-२०--**श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी**--[१६ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट के परीक्षा फल में गिरावट

*२१--**श्री गोविंदसिंह विष्ट, कुंवर श्रीपाल सिंह तथा श्री गौरीशंकर राय**--क्या सरकार का ध्यान सन् १९६० की हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं के फल की ओर गया है ? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९४८ से अब तक इन परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना बढ़ा या घटा है, सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां । १९४८ से १९६० तक हाई स्कूल व इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या निम्नवत है :--

	हाई स्कूल	इंटर
१९४८	६३.१	५७.७
१९४९	६४.२	६३.४
१९५०	५४.१	५८.६
१९५१	५९.०६	५९.५
१९५२	५१.६	५७.७
१९५३	५१.१६	५५.६
१९५४	५०.८	५०.२
१९५५	४६.९७	४८.१२
१९५६	५४.४	४३.६८
१९५७	४२.२	४६.२३
१९५८	५२.९	४६.५२
१९५९	४५.३	४४.१२
१९६०	३८.९	४१.८९

शिक्षा स्तर ऊंचा रखने के लिये शासन स्वयम् चिन्तित है और बराबर सुधार के लिये प्रयत्नशील है । अब माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संघटन पर विचार करने के लिये शासन द्वारा एक विशेषज्ञों की समिति बनाई जा रही है । यह प्रश्न भी उक्त समिति के समक्ष और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विचारार्थ रखा जा रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को देखते हुये कि १९४८ में यहां हाई स्कूल का परीक्षा फल ६३·१ और इंटरमीडियेट का ५७·७ था और १९६० में गिर कर ३८.९ और ४१.३९ हो गया, इसके कारण बतलाने की कृपा करेंगे ? क्या यह कारण तो नहीं है कि यह दो योजनाओं की सफलता का निचोड़ आया हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका कोई एक कारण नहीं है । कई कारण हैं और उन पर अक्सर विचार होता रहा है और शिक्षा विभाग की स्थाई समितिमें भी इस पर काफी विचार हुआ है । अनेक कारण हो सकते हैं, मान्यवर, और उन सब कारणों पर जांच-पड़ताल करके अपनी राय दें, इसके लिये हम एक समिति बना रहे हैं । उसके सामने हम यह प्रश्न रखेंगे । उस समय से आज सात आठ गुना लड़कों की तादाद बढ़ी है और इस के साथ ही आपके प्राइवेट स्कूलों की तादाद भी काफी बढ़ी है । १९४८ के मुकाबले में आज १९६० में जो प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनकी तादाद कई गुना हो गई है । इसके अलावा प्राइवेट विद्यार्थी भी इम्तहान में बैठते हैं और अभी तक यह नियमों में है कि जो प्राइवेट विद्यार्थी बैठना चाहें इम्तहान में वे बैठें । जब प्राइमरी स्कूलों और जूनियर स्कूलों की तादाद बढ़ी तो उनके शिक्षा का स्तर नीचे से ठीक नहीं रहा और ऊपर की शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ता है । यह भी एक कारण है । इसके अलावा अंग्रेजी और गणित में विद्यार्थी अक्सर फेल होते हैं । आप देखेंगे कि जो नया करीकुलम है उसमें दर्जा ५ तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, दर्जा ६ में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है । इन सब में सुधार कियाजा रहा है । इंटरमीडियेट बोर्ड ने भी इस बात की कोशिश की है कि अंग्रेजी के पत्रों में कुछ सुधार किया जाय जिससे कि अंग्रेजी का स्टैंडर्ड जो घटा है उसके मुताबिक पत्र हो जायं । अंग्रेजी के पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड कम हुआ है उसका भी असर पड़ता है, अंग्रेजी के शिक्षकों की भी कमी हो गई है उनके लिये भी हमारा इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद में सी० पी० आई० है उसका इंग्लिश लैंगवेज टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ५००, ६०० अंग्रेजी टीचर्स को किस प्रकार से अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिये जिससे बच्चों का स्टैंडर्ड बने, इस पर विचार किया जा रहा है, और यह अनेक कारण हैं कि जिनका असर इस पर हुआ है । यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके लिये सभी चिन्तित हैं । यदि शिक्षा विस्तार के कारण भी यह गिर रहा हो तो लोगों की शक्ति और पैसा दोनों नष्ट होता है। किस प्रकार इसको रोका जाय और क्या सुधार किया जाय और जितने कारण मिल सकते हैं उनका कहां-कहां परिहार किया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर गंभीरता से विचार कर के ही निर्णय किया जा सकता है और यह काम हम जो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाने वाले, हैं, जिसके सम्बन्ध में मैं यहां निवेदन कर चुका हूं कि १५ दिन में उसकी घोषणा हो जायगी, उसके सुपुर्द कर रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो कारण उन्होंने बतलाये उस से कई गुने ज्यादा अन्य स्टेट्स में प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल बढ़े हैं, जैसे ट्रावनकोर कोचीन आदि में और वहां शिक्षा भी कई गुनी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन वहां का परीक्षा फल हम से ज्यादा अच्छा होता गया है और बढ़ता गया है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—दूसरे प्रदेशों में क्या स्थिति है इसकी तालिका तो हमारे पास है नहीं । लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां पर करीब चार साढ़े चार लाख विद्यार्थियों की परीक्षा किसी एक बोर्ड द्वारा होती हो । किसी प्रदेश की तो बात दूर रही, दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर इतने विद्यार्थियों की परीक्षा का इंतजाम एक संस्था द्वारा हो । अब जहां तक उस बोर्ड में कौन सा सुधार किया जाय, जिसके कारण जो रिजल्ट गिर रहा है वह सुधर सके, उसके लिये हमने एक कमेटी बना दी है और उसके सुपुर्द इस मामले को कर दिया है ।

श्री गौरी शंकर राय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि शासन स्वयं चिन्तित है, परीक्षा फल के स्तर को उठाने के लिये, पिछले ४ सालों में सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने अभी जैसा कि माननीय सदस्यों के सामने निवेदन किया, लड़के ज्यादातर अंग्रेजी में ही फेल होते हैं और उसका एक कारण यह भी है कि हमने अंग्रेजी का स्टैन्डर्ड कम कर दिया है। अब छठे क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ऐसी सूरत में १०वें क्लास तक जाते-जाते उसका स्टैन्डर्ड हाई स्कूल के स्टैन्डर्ड तक का नहीं हो पाता। फिर हमारे पास अंग्रेजी के अध्यापकों की भी कमी है। हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट को पढ़ाने के लिये हमें उस स्तर के अध्यापक नहीं मिल पाते। हमने अब उनका नया वेतन क्रम भी लागू किया है क्योंकि वह अब तक कम था, जिसके कारण भी अच्छे अध्यापक नहीं मिल पाते थे। जो हमारा इंग्लिश टीचिंग इन्स्टीट्यूट है उसने भी इस सम्बन्ध में रिसर्च किया है। जो विदेशों से आये हुए विद्यार्थी थे और जिन्होंने उसको देखा, उन्होंने इसकी तारीफ भी की। यह संस्था इस समय अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण कोर्स चला रही है जिससे कि उनके पठन-पाठन के क्रम में भी कुछ तब्दीली हो सके। कक्षा ९--१० के पाठ्य क्रम में क्या-क्या संशोधन हों, इस पर भी विचार किया जा रहा है। बोर्ड ने इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की है कि हाई स्कूल में अंग्रेजी का वही स्तर रहे जिस स्तर की जरूरत है। इसके अलावा इस बात की भी कार्यवाही हो रही है कि उन परीक्षाओं के पेपर्स भी उसी स्टैन्डर्ड के हों और उसके लिये हमने पेपर्स के पैटर्न भी बना कर भेज दिये हैं कि इस प्रकार के पेपर्स हों अंग्रेजी के जिससे कि स्थिति में सुधार हो सके।

जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनको कि सरकार सहायता देती है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर भी सरकार का ध्यान है। शिक्षा का प्रसार हुआ है, बहुत से विद्यालय खुले हैं, किन्तु चूंकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सम्पन्न नहीं है इसलिये वे अधिक योग्य अध्यापक भी नहीं रख पाते। यह भी एक कारण शिक्षा के स्तर गिरने का है। उस ओर भी सुधार करने की आवश्यकता है और सरकार की ओर से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हमने उनके वेतन क्रम में भी सुधार किया है। उनकी एक विशेष ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया है। तो यह सब प्रयास हमारी ओर से हो रहे हैं ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, उनके लिये भी यह कोशिश की गयी है कि यह देखा जाय कि विद्यालय छोड़ देने के बाद उनका पठन-पाठन होता रहता है या नहीं। यह सब उपाय जो तात्कालिक हो सकते थे वह किये जा रहे हैं, पर उनको कुछ मौलिक उपाय भी करने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है और वह किस प्रकार के हों, यह काम हमारी समिति जो बने वह बतायें, ऐसा सोचा जा रहा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--अभी माननीय मंत्री जी ने यह संकेत किया कि प्राइमरी एजूकेशन और जूनियर हाई स्कूल के स्टैन्डर्ड में गिरावट आ रही है, तो क्या वह बतायेंगे कि इस प्रश्न को भी, जो समिति घटित होने जा रही है, उसके सुपुर्द करने जा रहे हैं या इस गिरावट को रोकने के लिये कोई अलग से प्रयास करने जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब उसमें यह प्रश्न तो रहेगा ही कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की जो शिक्षा का स्तर है वह किन कारणों से गिर रहा है और उन कारणों का परिहार करने का क्या उपाय हो सकता है और उसमें, जैसाकि सोचा जाता है, कोई फैक्ट्स और फीगर्स हमारे पास जांच के नहीं हैं। लेकिन प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में बड़ा विस्तार हुआ है, लड़कों की कितनी तादाद बढ़ी है, अंग्रेजी वहां पढ़ाई नहीं जाती। तो अगर नीचे की व्यवस्था ठीक नहीं हुई और पठन-पाठन ठीक न चला तो ऊपर की क्लासेज पर असर पड़ेगा। तो वह उपाय बतायेंगे ही, तब यह उसकी परिधि में आ जायगा।

कानपुर नगरपालिका में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

*२२--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--नगरपालिका कानपुर के अध्यापकों को प्रधान अध्यापक के पद पर स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में क्या गृह मन्त्री १९-२-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५३-१५४ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ फरवरी, १९५६ को चुनाव समिति द्वारा नगरपालिका कानपुर के कुछ अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के पद के लिये चुने जाने पर भी मन्डलीय उप शिक्षा संचालक द्वारा उनके उक्त चुनाव को अब तक अनुमोदित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--एतद्विषयक कतिपय शंकाओं के समाधान में नगरपालिका द्वारा विलम्ब ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कतिपय शंकाओं के समाधान के सम्बन्ध में नगरपालिका से लिखा-पढ़ी हो रही है वह शंकाएं क्या हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--नगरपालिका से समय-समय पर यह मांग की गयी कि दो अध्यापक जो प्रधानाध्यापकीय के हेतु चुने गये थे उनकी डाक्टरी जांच हो गयी है और वे प्रधानाध्यापक के कार्य सम्पादन के उपयुक्त हो पास हो गये यह बतालायें ? यदि हां, तो डाक्टरी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाय और प्रधानाध्यापकों के रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है, साथ ही जितने स्थान रिक्त हैं उनके ४ गुने नामों की तालिका भेजें जिसमें पिछले कुछ वर्षों की गोपनीय आख्या के लेखे को भी दिखाया जाय और विवरण के कालम में यदि किसी सीनियर अध्यापक को जो अन्य बातों में ठीक है, छोड़ दिया गया है तो उसका भी कारण स्पष्ट किया जाय। लेकिन इसका जवाब बहुत दिनों तक नहीं आया और कभी भी नगरपालिका, कानपुर, ने ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक सूची तैयार की, २९-७-१९६० को उसकी स्वीकृति भी दे दी गयी है ।

सिविलियन राइफल ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ

*२३--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (१) सिविलियन राइफल ट्रेनिंग सेन्टर, लखनऊ, द्वारा १९५९ में सरकार के जी० ओ० के अनुसार कितने व्यक्ति भर्ती किये गये, (२) कितनों ने शिक्षा प्राप्त की, (३) किन-किन शस्त्रों की शिक्षा दी गई, (४) किस शूटिंग रेन्ज पर शिक्षा दी गई, (५) सेन्टर के पास कितने अपने शस्त्र हैं तथा किस-किस बोर के तथा (६) कितने दिन शिक्षा दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग', आगे पृष्ठ ४६१ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह--जब उस सेंटर के पास अपने अस्त्र नहीं हैं तो किसके अस्त्रों से शिक्षा दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--यहां पर तो निजी सबकी बन्दूकें हैं १२ बोर की।

कुंवर श्रीपालसिंह--इसमें कहा गया है कि हर थानों की अलग-अलग जगहों पर शूटिंग करायी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ खास शहर के जो लोग थे उनको किस शूटिंग रेंज से शिक्षा दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--७ थाने तो, श्रीमन्, गांव के थे और दो शहर के थे--मड़ियांव गोसाईंगंज, इटौंजा, बन्थरा, मोहनलालगंज, काकोरी, मलिहाबाद, सदर और कृष्णनगर।

कुंवर श्रीपालसिंह--मेरे पूछने का मतलब यह था कि यहां लखनऊ के पुलिस वालों की शूटिंग रेंज खराब हो गयी है, उससे शूटिंग नहीं हो पाती है, तो यहां जो शूटिंग की शिक्षा दी गयी वह लखनऊ खास के किस रेंज पर शिक्षा दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--लखनऊ में सदर और कृष्ण नगर शहर के दो पुलिस स्टेशन्स हैं। उनको कहां शिक्षा दी गयी, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ व बस्ती जिलों को दी गई हरिजन सहायता में बचत

*२४--**श्री अमर नाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती जिलों को जो सहायता वित्तीय वर्ष १९५८-५९ व १९५९-६० में हरिजन सहायक कार्य के लिये सरकार द्वारा दी गई वह खर्च के बाद इस समय कितनी बची है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--आवश्यक सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है।

दारुलशफा में विधायकों के कमरों की पुलिस द्वारा तलाशी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--कल श्री गौरीशंकर राय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी ने विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के सम्बन्ध में जो प्रश्न उपस्थित किया था उसके बारे में मैंने आज निर्णय देने के लिये कहा था। जो कुछ जानकारी मुझे सरकार के यहां के प्रतिनिधि के वक्तव्य से या और माननीय सदस्यों से हुई उससे एक बात तो स्पष्ट है कि दारुलशफा में, जहां कि सदस्यगण रहते हैं वहां पर काफी तादाद में पुलिस के सिपाही गये और मुझे यह भी पता लगा कि वहां कुछ सी० आई० डी० के व्यक्ति भी गये। और वह इस आशंका में गये कि कुछ विद्यार्थी जो कि परसों दफा १४४ तोड़ कर जुलूस निकालने वाले थे या जुलूस का नेतृत्व करने वाले थे या नेतृत्व करने का इरादा रखते थे, वह वहां पर छिपे हुये हैं, ऐसी खबर लगने पर वह उनकी गिरफ्तारी के लिये वहां गये थे। उनमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके लिये शायद पहले से ही वारन्ट हो और जो वहां छिपे हों। अब प्रश्न यह उठता है कि पुलिस ने उन विद्यार्थियों को वहां कमरे में जो कि खुले हुए थे जाकर देखा और विद्यार्थी उनको वहां नहीं मिले। यह भी कहा जाता है कि पुलिस वालों ने कमरे में कुछ कागजात वगैरह पर डंडे वगैरह भी लगाये, फर्श के नीचे देखा, ऐसी कुछ घटनायें हुई थीं। इस सम्बन्ध में जहां तक वाकयात का सवाल है, यह स्पष्ट है कि वहां पर पुलिस कुछ विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के लिये गई थी जोकि कानून तोड़ने के लिये तैयार थे या जिनमें से कुछ के खिलाफ पहले से वारन्ट भी थे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा ४७ में दिया हुआ है :--

"SEARCH OF PLACE ENTERED BY PERSONS SOUGHT TO BE ARRESTED.

If any person acting under a warrant of arrest, or any police officer having authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into, or is within any place, any person residing in, or being in charge of such place, shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein".

नोट :--तारांकित प्रश्न २४ श्री मदन पांडेय ने पूछा।

तो इस दफा ४७ के अनुसार पुलिस को अधिकार है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिये, जिसे गिरफ्तार करने का उसे अधिकार है, वह जा सकती है लेकिन जो व्यक्ति उस घर के कब्जे में हों, पहले उससे डिमान्ड करे कि हम इस काम के लिये आये हैं, हमें मकान में घुसने दो। अगर वह नामंजूर करे तो जबरदस्ती भी वह घुस सकती है। यह बात ठीक है। लेकिन पहला कर्तव्य पुलिस के कर्मचारी का यह है कि चाहे सदस्य हों या अन्य व्यक्ति ही, इससे कोई सवाल नहीं है, जहां कहीं भी वह गिरफ्तारी के लिये किसी मकान में जाय, तो जिसके कब्जे में वह मकान है उससे डिमान्ड करे कि हम इसके अन्दर गिरफ्तारी करने के लिये घुसेंगे। यह स्पष्ट है, जहां तक वाकयात का सवाल है, कि जो माननीय सदस्य यहां पर मौजूद थे और जिनके कमरे में पुलिस वाले घुसे, उनसे नहीं पूछा गया और यह भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां काबिज था उनके ऐवज में या उनकी तरफ से, जिससे पूछा गया हो। यह भी हुई। प्रश्न सिर्फ इतना ही उठता है कि अगर पुलिस ने दफा ४७ की हिदायत की पूरी तामील बात नहीं नहीं की, तो क्या तामील न करके बिला नोटिस कमरों में दाखिल होना विशेषाधिकार की अवहेलना या इस आदरणीय सदन का अवमान होता है या नहीं। यह प्रश्न सिर्फ रह जाता है। इस सम्बन्धमें नारायणदत्त तिवारी जी ने मेरे सामने कई तर्क उपस्थित किये, विशेषकर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह कहा गया है कि सिद्धांततः कन्टैम्ट से क्या अर्थ होता है। उन्होंने उसे पढ़कर भी सुनाया था। वह यह था कि--

> "It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty or which is a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

यह तो स्पष्ट ही है कि इस तरह की घटना के समान घटना का उदाहरण हमारे सामने मौजूद नहीं है। सिर्फ उनका कहना यह था कि जिस शख्स के कमरे में पुलिस घुस गई उसे खबर मिलने पर इस बात का डर लगना स्वाभाविक है कि मेरे कमरे में मालूम नहीं क्या करेंगे। इतना भी शायद किसी ने कहा भी था कि कोई चीज पुलिस प्लान्ट कर दे और सदस्य के ऊपर तोहमत लगा दे। लेकिन सदस्य के कार्य में हर्ज होने के बारे में जितने उदाहरण सदन में पेश किये गये थे उनमें मोलेस्टेशन या रुकावट डालने की इस प्रकार की घटना का उदाहरण एक भी नहीं मिलता। सभी उदाहरणों में किसी सदस्य के कार्य में प्रत्यक्ष कोई न कोई रुकावट डालने का प्रयत्न था, या तो कोई उसे अरेस्ट कर ले, रोक ले, धमकी दे, यही मोलेस्ट करने का मतलब उनसे स्पष्ट होता है। यदि इतना हिस्सा छोड़ दें कि पुलिस ने मांग नहीं की कमरे में घुसने के लिये तो पुलिस का कार्य अनुचित न होता जब कि बोना फाइडी तरीके से वह कुछ विद्यार्थियों की खोज के लिये गई थी। उसके कारण किसी सदस्य के मन में शंका होकर उसके कार्य में बाधा पड़ी है, इस तरह के केसेज, मैं समझता हूं, कन्टेम्ट की परिधि में नहीं आते क्योंकि पुलिस के कार्य में कोई भी अंश कन्टेम्ट का दिखाई नहीं देता कि उससे सदन के सदस्य के कार्य में रुकावट पड़ सके।

एक चीज है कि यदि सदन की प्रेमिसेज या परिधि में इस तरह की कोई घटना की जाय तो फौजदारी मामले में भी स्पीकर को पूछा जाता है कि पुलिस अमुक अपराध में अमुक सदस्य को गिरफ्तार करना चाहती है या उसकी तलाशी लेना चाहती है। यदि इस प्रकार की अध्यक्ष से अनुज्ञा सदन की परिधि में न ली जाय तो सदन का अवमान हो जाता है। दारुलशफा सदन की हद या परिधि या 'प्रिसिन्क्ट्स आफ दी हाउस' नहीं है। मैंने जो प्रिसिन्क्ट्स डिफाइन की है उनमें दारुलशफा नहीं है। इस कारण इस तर्क से भी सदन का अवमान नहीं होता। मैं इस नतीजे पर आया हूं कि जो कार्य पुलिस ने दारुलशफा के कमरों में विद्यार्थियों की खोज में घुसने का किया उससे मोलेस्टेशन या आब्स्ट्रक्शन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सदन के कार्य में नहीं

[श्री अध्यक्ष]

होता और उसकी टेंडेंसी भी यह नहीं हो सकती कि सदन के कार्य में बाधा पड़ जाय चाहे जाब्ता फौजदारी की दफा ४७ के अनुसार पूरा जाब्ता बरता भी न गया हो। उक्त कारण से प्राइमाफेसी मुझे यह नहीं लगता कि विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन का अवमान उक्त कार्य से हुआ है।

लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जाब्ता फौजदारी की दफा ४७ की शर्त पूरी न करके सदस्य के कमरे में उसे आगाह किये बगैर घुसना ऐसा है कि सदस्य को तो छोड़िये, किसी भी व्यक्ति के लिये बहुत अपमानजनक चीज है और खतरे की भी चीज है क्योंकि ऐसे केसेज हुए हैं कि जब कभी किसी के ऊपर उसके यहां फायर आर्म्स मिलने पर मुकदमा चला तो यह प्ली लिया गया है कि पुलिस वालों ने उसको प्लान्ट कर दिया। ऐसा प्ली लिया जाता है चाहे साबित हो या न हो। किसी व्यक्ति की या उसके घर की तलाशी में भी यह तरीका होता हैकि 'सर्च' करने वाले पुलिस वालों की स्वयं सर्च ली जाती है। यानी इससे स्पष्ट है कि यह यकीन नहीं किया जाता है कि पुलिस वाला जो करेगा वह ठीक ही करेगा और कानून के मुताबिक ही करेगा। जिस व्यक्ति के मकान की तलाशी ली जाती है उसके सामने पुलिस की स्वयं तलाशी दिलवा दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि दारुलशफा में जहां माननीय सदस्य रहते हैं वहां इस तरह पुलिस का जाकर बिला पूछे कमरों में घुस जाना अनुचित था, पुलिस का यह कार्य अनुचित था।

इस सम्बन्ध में मैं आशा करूंगा कि गृह मंत्री जी इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे और इस विषय में सदन को इस तरह का आश्वासन देंगे कि आयन्दा इस तरह की घटना का जो कानून के हिसाब से भी सही नहीं है, पुनरावर्तन न होगा यानी फिर से ऐसी चीज नहीं होगी। उसके लिये मैं एक तरीका सुझा देता हूं। जब कभी ऐसा मौका आये और सदन में सदस्य बैठे हों और कोई ऐसा खतरा मालूम होता हो कि कोई सज्जन उनके रहने के कमरे में छिपे हुए हैं तो उस कमरे को घेर कर पुलिस वाले खड़े हो जायं, उसमें घुसे नहीं और मुझे सूचना दे दें। मुझे सूचना मिलने के बाद मैं माननीय सदस्य को उसकी सूचना दे दूंगा और तब पुलिस वाले उनके सामने उनके कमरे में घुस सकते हैं। मैं समझता हूं कि फौजदारी के मामले में पुलिस को जो अधिकार हैं उनमें उनको सहायता करने में कोई माननीय सदस्य नाराज न होगा और कानून जिसने भंग किया है उसकी गिरफ्तारी में वह सहयोग देगा।

माननीय गृह मंत्री यदि कुछ कहना चाहें तो कहें।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है और मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इसे सदन के अवमान की बात स्वीकार नहीं किया। जहां तक आपका यह सुझाव है कि जहां आदरणीय सदन के इतने सदस्य रहते हों वहां जो व्यवहार किया गया उसके अलावा भी उपाय था और इस प्रकार की कार्यवाही करना उचित नहीं था, मैं, मान्यवर, उसे भी स्वीकार करता हूं और भविष्य में इस बात को अवश्य देखूंगा कि इस प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर, इस प्रकार का व्यवहार न हो जो अनुचित मालूम हो। और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिनसे पुलिस अपने काम पूरे कर सकती है। मुझे स्वयं ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता है कि वह कमरे आदि पर प्रहरी खड़े कर दें और फिर आप से निवेदन कर दें कि ऐसा करना चाहते हैं। संभवतः उनका इरादा कोई सर्च वगैरा लेने का था नहीं, फिर भी वह कमरे में घुसे यह अच्छा नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न होगी।

केवल इतना ही और कह देना चाहता हूं कि पुलिस का काम जरा कठिन होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ४७, जिसका आपने उदाहरण दिया, उसी के नीचे धारा ४८ भी है जिसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस को यह अधिकार है कि ऐसी आवश्यकता समझें तो बिना इजाजत के ऐसा कर दें। लेकिन जहां माननीय सदस्य रहते हैं चाहे वह हाउस की प्रिंसिक्ट्स हो या न हो ....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, यह तो बहस हो रही है।

श्री कमला पति त्रिपाठी—लेकिन वह विशेष स्थान है और जैसा अभी आपने आदेश दिया मैं उससे सहमत हूं और उसको शिरोधार्य मानता हूं तथा भविष्य में इस बात की चेष्टा करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही न हो जिससे इस प्रकार का मौका मिले।

श्री गौरीशंकर राय—इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं। इसके दो-तीन दिन पहले एक प्रश्न मैंने उठाया था कि यहां काउंसिल हाउस के अन्दर सदस्यों को काम करने में मुश्किल हो गयी है। गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियां यहां भी और दारुलशफा में भी परेशान किये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं फिर कभी उसके बारे में कहूँगा, उसकी मैं इंक्वायरी कर रहा हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परन्तु अब तक जो हमारा विश्वास था कि हमारी रक्षा और हमारे अधिकारों की रक्षा आपमें निहित है, हमारे उस विश्वास को ठेस पहुंची है। हम दारुलशफा में भी रहते हुए अपनी को सुरक्षित नहीं समझ सकते। वह स्टेट की संपत्ति है लेकिन पुलिस अधिकारियों ने तो स्टेट के अधिकारी से आज्ञा प्राप्त की न संबंधित माननीय सदस्य को ही कोई सूचना दी और न, मान्यवर, आपसे ही आज्ञा ली गयी और कमरे में तलाशी हुई। विधायक निवास से सदन को आते हुए माननीय राजनारायण जी कुछ दिनों पहले मार्ग में गिरफ्तार कर लिये गये। इस प्रकार आये दिन माननीय सदन और उसके सदस्यों का अपमान पुलिस के द्वारा बढ़ता चला जा रहा है।

माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमें संतोष नहीं हुआ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य होते हुए भी मैं अपनी ओर से और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से विरोध प्रकट करता हूं और १५ मिनट के लिये आपकी व्यवस्था के विरुद्ध हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

आचार्य दीपकर (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने व्यवस्था देते समय एक बात कही थी कि भविष्य में यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी तो आपको सूचना देकर ही पुलिस को वहां पर जाना चाहिए और जरूरी समझे तो कमरा घेर सकते हैं। मंत्री जी ने यह आश्वासन नहीं दिया कि आया भविष्य में पुलिस के वहां जाने से पहले वह आपको सूचना दिया करेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो इस तरह की चीज नहीं कही कि दारुलशफा में पुलिस के जानें के पहले पुलिस मुझे पूछ ले। पुलिस के किसी कमरे में घुसने के पहले मुझे सूचना पुलिस दे दें यदि सदन का कार्य जारी हो और सदस्य सदन में हों यह मेरे सुझाव में मैंने कहा था। अगर कोई आदमी भागता हुआ किसी कमरे में घुस जाएगा तो उसके पीछे-पीछे तो पुलिस जरूर जाएगी ही नहीं तो वह एस्केप हो जाएगा। एस्केप होने से बचाने के लिये पुलिस जा सकती है, लेकिन किसी के कमरे में यों नहीं घुस सकती। मुझे सूचना दे मंत्री जी यदि सदन में सदस्य हो और सदन जारी हो वरना उस व्यक्ति को दें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जो आपने व्यवस्था दी है उससे मुझे संतोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती।

श्री झारखंडेराय—आचार्य दीपंकर जी ने एक नोट आपको भेजा था । हमारे साथी लखमीसिंह जी जो बर्रलिंगटन होटल में रहते हैं उनके कमरे में सी० आई० डी० गई । हमारे कमरे में एक शख्स आये । उन्होंने पूछा कि फलां आदमी कौन है, कहां है । मैंने पूछा कि आप कौन हैं ? उन्होंने कहा कि सी० आई० डी० का आदमी हूं । मैंने उनसे कहा कि आप पहले कमरे के बाहर जांय । तो ऐसी अवस्था में आपकी व्यवस्था कुछ सुरक्षा नहीं दे पा रही है ।

श्री अध्यक्ष—आप जो कह रहे हैं वह दूसरी घटनाओं के बारे में कह रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय गृह-मंत्री जी इसको रोकेंगे । इस तरह की चीज नहीं हो सकती कि माननीय सदस्यों के कमरे में सी० आई० डी० जाकर बैठ जाय, जैसा कि दीपंकर जी ने शिकायत की । इस तरह की अगर कोई चीज है, उसके लिये मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है । यदि ऐसी घटना हुई है तो वह अनुचित है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि विरोधियों के कमरे में ही क्यों जाते हैं, शासन-कर्ताओं के कमरे में क्यों नहीं जाते हैं । यह हम लोगों का अपमान है । श्रीमन्, मान वह करता है जिसके खानदान में मान और इज्जत होती है । जिसके खानदान में नहीं होती वह क्या जानें ? मैं पीछे बैठता हूं, ये सब बड़े-बड़े आगे बैठते हैं । मैं उठक बैठक करता रहता हूं, लेकिन आगे बैठने वालों को मौका मिल जाता है । इसलिये मैं दुःखी होकर एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करता हूं ।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन के बाहर चले गये)

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, गृह-मंत्री जी ने जो अपना विचार प्रकट किया है उसमें एक बात साफ कही कि उनको अब भी यह विश्वास नहीं है कि पुलिस के लोग कमरे में सर्च करने के लिये गये । मैं नहीं समझता टहलने के लिये गये थे । तो उनके विचार से हमें संतोष नहीं है और हम इस पूरी परिस्थिति के विरोधस्वरूप १० मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं ।

(तत्पश्चात् कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन का त्याग करके चले गये ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक निवेदन करना था । एक का अनुभव नहीं बल्कि सबका है कि अगर हम यूरीनल में भी जाते हैं तो सी० आई० डी० बाहर खड़े रहते हैं । मुझे इसका अनुभव है । जहां हमारा कार्यवाही विभाग है, उसके पास नरेन्द्रसिंह विष्ट बैठते हैं और उसके पास पुलिस को एक कमरा दिया गया है । तो, श्रीमन्, आदरणीय सदन की प्रिविलेज में पुलिस है । यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, मैं इसकी सूचना देता हूं ।

श्री एहतशाम हुसैन, अध्यक्ष, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, के विरुद्ध श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ६५ के अनुसार यह एक दूसरा प्रश्न आया है जो इस प्रकार है :

"मैं नियम ६५ के अनुसार आपका ध्यान सदन के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना के एक केस की ओर दिलाना चाहता हूं । कल तारीख १० अगस्त, यानी कल दिया था

मुझे, १९६० को लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की एसोसियेशन की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास कर विधान सभा में तारीख ९ अगस्त को हुए वाद-विवाद में माननीय सदस्यों द्वारा किये गए भाषणों पर गम्भीर आरोप किए हैं तथा भाषणों को "एक्सट्रीमली इल इनफ़ार्म्ड" एन्ड "रिग्रेटेबिल" (extremely ill-informed and regrettable) कहा है, तथा यह भी कहा है कि "The Hon'ble Members should have taken care to ascertain true facts from those whom they have sought to condemn." इस कथन में माननीय सदस्यों पर असत्य भाषण का भी आरोप लगता है । अतएव मैं नियमानुसार कहता हूं कि उक्त मीटिंग के अध्यक्ष श्री एहतशाम हुसेन, अध्यक्ष, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, तथा अन्य अध्यापक महानुभाव जिनके नाम मुझे इस समय ज्ञात नहीं हैं, को सदन की विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी ठहराया जाय । यह उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव आज समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है । नेशनल हैराल्ड का संबंधित पृष्ठ संलग्न है ।"

इसके साथ मेरे पास श्री एहतशाम हुसैन, चैयरमैन, की तरफ़ से कोई श्री श्रीचन्द्र ने किसी अखबार को जो प्रस्ताव भेजा छापने के लिये उसकी नकल भी भेज दी है । उसमें यह शब्द हैं :—

"This meeting of the Executive Committee of the Lucknow University Teachers' Association is grieved and shocked at the reports of the proceedings of the Assembly which have appeared in the local press during the last two days. The criticism which has been levelled against the teachers of the University is extremely ill-informed and regrettable. As leaders of the public opinion, whose views are entitled to the greatest respect and consideration, the Hon'ble Members should have taken care to ascertain true facts from those whom they have sought to condemn. Nowhere in the reports has it been hinted that any member took the slightest trouble to contact any section of the teachers. It may be emphasized that the strongest reason for the reaction of the teachers was the organized attack on their name, reputation and even safety by violent and unruly persons, most of whom were outsiders and over whom no authority in the University could exercise any control. The teachers still believe that if adequate means are devised to keep this element out, they would be able to exercise healthy influence on the students."

इस तरह का रिजोल्यूशन है । तो रिजोल्यूशन उन्होंने पास करके छापने को भी दे दिया । इसमें लिखा है :—"Copy forwarded to the Editor, for favour of publication in their esteemed paper." नेशनल हैराल्ड में इसका कुछ हिस्सा भी छपा है । प्रश्न यह उठता है कि प्रागदर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना इसमें होती है या नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करने का अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—बहुत मुख्तसर में आप कहिये ।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कानूनी सिलसिले में कुछ बात कहूं, फ़ैक्ट्स के सिलसिले में मुझे यह कहना है "मेम्बर्स ऐक्सट्रीमली इल इनफ़ार्म्ड ।" इसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि मेम्बर्स की प्रोसरान और दूसरे लोगों से नित्य मुलाकात होती है ।

अध्यक्ष महोदय, कदाचित् आपको नहीं मालूम होगा कि रजिस्ट्रार साहब की यह किताब जो यूनिवर्सिटी क एजिटेशन के सिलसिले में नित्यप्रति छप कर हमारे कमरों में पहुँच जाती है । जितनी एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ वे सब हमारे पास मौजूद हैं । कहना नहीं चाहता था, जिस दिन विवाद होता है उस दिन उनके प्रतिनिधि यहां आते हैं, सदन में बैठते

[श्री गौरीशंकर राय]

है और यह कहते हैं कि यह फैक्ट है । ऐसी स्थिति मे हम इल इंफ़ार्म्ड नहीं थे । सब जानकार हैं । जानकारी के लिये ये बुलिटिन है । लेकिन वे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की गतिविधि के संबंध में जो अथारिटेटिव वर्शन दिया जाय उसके संबंध में उनसे पूछ लिया करें और उसके वर्शन से हम एग्री करें तब बात करें । वह कहते हैं--

"The Hon'ble Members should have taken care to ascertain true facts from those whom they have sought to condemn."

जिनके संबंध में हम बात करना चाहते है उनसे राय ले लें, तब यहां चर्चा करें । यह संभव नहीं है कि जो व्यक्ति हो, जिसके संबंध में बात कही जाय उससे बात कर ली जाय कि आपके बारे में क्या मत है और वही मत व्यक्त किया जाय । अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की ओर पृष्ठ ११७ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :--

"In 1701 the House of Commons resolved that to print or publish any books or libels reflecting on the proceedings of the House is a high violation of the rights and privileges of the House (*e*), and indignities offered to their House by words spoken or writings published reflecting on its character or proceedings have been constantly punished by both the Lords and the Commons upon the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions by diminishing the respect due to them.

Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

यह बड़ा स्पष्ट है । इस सम्बन्ध में लम्बी बहस नहीं करना चाहता । एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो अभी कुछ दिन पहले ५९ में लोकसभा में आया था । प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री मथाई ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था । अन्तर यह है कि यहां पर कहा गया है "They should have ascertained the facts" और उसमें कहा गया था "They should have verified the facts." लोक सभा में यह सवाल उठा । माननीय जवाहर लाल जी ने कहा कि यह प्रिविलेज का सवाल नहीं है लेकिन माननीय अध्यक्ष ने उसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा और यह होल्ड किया कि यह बात आब्जेक्शनेबिल है, यह प्रिविलेज का सवाल है ।

बहुत ज्यादा में कोट नहीं करना चाहता । इतने से ही साफ प्रागदर्शन होता है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दी हाउस है । विधान सभा की प्रोसीडिंग्स पर उनको एतराज है और वे कुछ बातें कहते हैं मेम्बर्स के सम्बन्ध में कि मेम्बर्स की स्पीचेज इल इंफार्म्ड और रिग्रेटेबिल हैं । इसमें सदन का अवमान है और मैं आशा करता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द आप करेंगे और इस पर जांच करा कर उचित कार्यवाही करके सदन का सम्मान रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष--मुझे इस पर ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं मालूम होती है । यह स्पष्ट है कि यहां की प्रोसीडिंग्स के बारे में जो सदन में होती है, कोई ऐसा रिमार्क करे जिससे कि पूरे सदन की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचे तभी सदन का अवमान होगा ऐसी बात नहीं है, यहां प्रोसीडिंग्स में हर एक माननीय सदस्य अलग-अलग बोलता है, अगर किन्हीं भी सदस्यों के बारे में ऐसा कहा जाय तो यह माना जाता है कि सदन का अवमान हुआ । मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में ११७ सफे पर से जितना भाग माननीय गौरीशंकर राय जी ने पढ़ा उसके आगे निम्न वाक्य हैं :--

"Reflection upon members, the particular individuals not being named or otherwise indicated are equivalent to reflections on the House."

यह शायद आपने पढ़ा नहीं था ।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैंने यहां तक पढ़ दिया था।

श्री अध्यक्ष—मैं यही समझा कि शायद इससे पहले तक आपने पढ़ा है। इन वाक्यों से स्पष्ट है यदि टीका किन्हीं सदस्यों के भाषण पर उनका नाम लेते हुए होती हो जिससे उनका अवमान होता है तो सदन का अवमान समझा जाता है।

एम० ओ० मथाई के केस में उनके रिमार्क्स निम्न थे:—

"But the ever-mounting tendency in our Parliament and our Press to attack public servants without caring to verify facts is having a dse vastatingly demoralising effect. Under such deplorable condition-very few self-respecting persons will care to enter Government service or public life."

उन्होंने पूरी पार्लियामेंट के ऊपर ही टीका की थी उनके विवाद के ऊपर और यहां सदस्यों के ऊपर टीका की गयी है। उनके मामले पर जो प्रिविलेजेज कमेटी लोक सभा की बैठी थी उसने भी यह साफ कहा है:—

"The Committee have carefully considered the remarks made by Shri M. O. Mathai in his letter of resignation to the Prime Minister, which are mentioned in the reference, made by the House to the Committee. The Committee are of the opinion that such remarks which cast aspersions and attribute irresponsibility tend to diminish the respect due to Parliament."

संक्षेप में यह कहना कि सदस्य गैर-जिम्मदारी से भाषण देते हैं, यह सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, यह कमेटी की राय थी।

"The Committee have also noted the expression of regret by Shri M. O. Mathai....."

मथाई साहब ने अफसोस जाहिर कर दिया था तब कमेटी ने यह भी कहा था कि :—

"The Committee, however, feel that it is not consistent with the dignity of the House to take notice of every such statement which may technically constitute a contempt of the House."

उक्त कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हर कंटेम्प्ट के केस में जो टेक्निकली कंटेम्प्ट होते हैं उनके ऊपर शुरू से ऐक्शन ले लेना जरूरी नहीं है। लेकिन कमेटी में विचार करने के लिये मामला भेजा ही गया। मैं समझता हूं कि अगर यह सही बात है कि इस सरकार का प्रस्ताव अध्यापक समिति ने पास किया है और इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने छपने को भी दिया है यह सही है तो प्राइमाफेसी में इसको कंटेम्प आफ दि हाउस समझता हूं लेकिन यह बातें निश्चित हो जानी चाहिये क्योंकि अखबारों में जो छपा हुआ है और दूसरे जो नकल प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दी है वह श्री एहतिशाम हुसेन की स्वयं नहीं है, किसी श्रीचन्द नाम के व्यक्ति ने "फार हिम" करके दी है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैं आपकी जानकारी के लिये एक बात बता दूं कि लखनऊ अध्यापक समिति की एक्जीक्यूटिव कमेटी के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी का चुनाव नहीं हुआ पहले के पदाधिकारियों का समय खत्म हो चुका है। उसका अभी चुनाव नहीं हुआ। श्री एहतशाम हुसैन साहब ने सदारत की।

श्री अध्यक्ष—खैर, जो कुछ हो। मतलब यह है कि कथित प्रस्ताव में अध्यापक यह आक्षेप करते हैं कि माननीय सदस्य इल इंफार्म्ड हैं। तो उन्होंने भी यहां की प्रोसीडिंग्स को पढ़े बिना ही अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर और बिना प्रोसीडिंग्ज को पढ़े

[श्री अध्यक्ष]

हुये ही प्रस्ताव पास कर दिया है। तो वह चीज आप दुहरायें नहीं कि अखबारों में छपा और उसको सही और पूरा सत्य मानकर मैं यह कह दूं कि यह प्राग्दर्शन से विशेषाधिकार की अवहेलना है। फिर भी नियम ८२ जो इस प्रकार है:—

"82. *Power of Speaker to refer question of Privilege to Committee*—Notwithstanding anything contained in these rules the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report, and acquaint the House thereof."

इसके अनुसार मैं उक्त विषय को प्रिविलेजेज कमेटी को सुपुर्द करता हूं। कमेटी इस विषय को सब पहलुओं से एक्जामिनेशन भी कर सकती है, इन्वेस्टीगेशन भी कर सकती है और रिपोर्ट भी कर सकती है, अपनी राय भी दे सकती है, सब बातें नियम ८२ के अनुसार विशेषाधिकार समिति करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर सकती है। तो मैं नियम ८२ के अन्तर्गत इसे प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द करता हूं। अब यह हो सकता है कि श्री मथाई के मामले में जैसा वहां अन्त में हुआ वैसा ही यहां भी हो कि अध्यापक समिति शोक प्रकट कर दे तो शायद वह कमेटी ऐसी रिपोर्ट कर सकती है कि मामला खत्म कर दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, यदि कोई एक्यूज्ड हो और उससे पहले ही कहा जाय कि वे रिग्रेट एक्सप्रेस कर दें तो छोड़ दिया जायगा....

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि हमारा सदन बहुत उदार हृदय है। यह पहले से भी कह देता है कि अगर तुम खेद प्रकट कर दो तो छोड़ दिये जाओगे और ऐसा सदस्यों को भी कई दफा कह चुका है, वह जिद्दन नहीं करते हैं यह बात दूसरी है। यह कोई अदालत का सवाल नहीं है कि पैनल कोड के अनुसार सजा देना जरूरी है, उसमें जज माफ कर ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, हम अन्त तक माफी दे सकते हैं।

गाजियाबाद में ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार श्री तेजासिंह ने एक विषय दिया है जो इस प्रकार है :—

"२३ जुलाई, १९६० के सरकारी गजट में सरकार की तरफ से विज्ञप्ति संख्या २१३८-एच/३०—५०(१६) एच-५९ लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ४, उपधारा (१) के अन्तर्गत यह घोषणा की गयी है कि गाजियाबाद के आस-पास की ३६ हजार एकड़ भूमि सार्वजनिक कार्य के लिये एक्वायर की जाने की संभावना है। इसका असर ५० गांवों की लगभग एक लाख जनता पर पड़ता है। इसमें से ४५ गांवों की भूमि तो पूरी-पूरी आ जाती है। इससे लोगों में बहुत असंतोष फैला हुआ है।"

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अनुसार वे सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

स्वायत्त शासनउप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमान् जी, इसकी नोटिस बहुत देर में मिली है इसलिये इस पर आज वक्तव्य देना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—२२ तारीख को आप दें क्योंकि यह दिल्ली के एक्सटेंशन के सिलसिले में ही मालूम पड़ता है।

देवरिया कचहरी स्थित शिव मंदिर तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब माननीय गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा जिस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित कराया गया था उसके ऊपर आज गृह मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है आपकी आज्ञा से वह पेश कर रहा हूं। कलेक्टर की रिपोर्ट आई है, उन्होंने लिखा है कि देवरिया में कलेक्टरी के कम्पाउन्ड के भीतर एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे एक चबूतरा था और यह चबूतरा जो वहां के खजाने की इमारत है उससे सटा हुआ था और वहां एक शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी चबूतरे के ऊपर। इस चबूतरे की बगल में एक छोटा सा चबूतरा भी था, करीब ५ फीट, ४ फीट का, जिस पर एक शिव जी का अर्घा और एक त्रिशूल भी रखा हुआ था।

२६ जुलाई को कलेक्टर ने अचानक जैसा कि वह कभी-कभी करते हैं, अपने कलेक्टरी का सुबह के वक्त मुआयना किया और उस वक्त उन्होंने यह देखा कि जो ट्रेजरी गार्ड खजाने के वहां रहते हैं उनके रेस्ट हाउस और ट्रेजरी बिल्डिंग के बीच में कुछ निर्माण का काम हो रहा है। उन्होंने जांच पड़ताल की और वहां जो हेडकांस्टेबिल थे ट्रेजरी गार्ड के, उनसे पूछा कि यह क्या हो रहा है। तो हेड कान्स्टेबिल ने यह कहा कि एक साधु ने डेढ़ सौ रुपये हमको दिये हैं और उस रुपये से हम इस मन्दिर को बनवा रहे हैं। शिव जी की मूर्ति जहां रखी हुई है उस चबूतरे पर मन्दिर बन रहा है। बहुत लम्बा चौड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और इस विचार से कि शिव जी की मूर्ति बाहर पड़ी हुई है, हम मन्दिर बनवा रहे हैं और एक साधु ने हमें सहायता भी दी है। कलेक्टरेट के कम्पाउन्ड में यदि कोई इमारत बने तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उसकी इजाजत लेनी चाहिये थी। लेकिन कोई इजाजत नहीं ली गई थी और न कोई सूचना थी और तामीर का काम शुरू हुआ था तो कलेक्टर ने उसको रोक दिया और कहा कि तामीर बन्द कर दो और जितना बना लिया है यह हटा दो। वह दीवार ५ फीट ऊंची उठाई जा चुकी थी। कलेक्टर यह कह कर चले आये। ट्रेजरी के मुआयने के लिये वह वहां गये थे और जो आफिसर्स इन्चार्ज थे जिनको नाजिर कहते हैं वह वहां मौजूद थे। कलेक्टर के इस हुक्म की तामील शाम को कर दी गई थी और जो दीवार उठी थी वह गिरा दी गई और वहां जो छोटा चबूतरा था जिस पर त्रिशूल और अर्घा रखा था उसको भी तामीर का काम करते हुये हेड कांस्टेबिल ने हटा दिया। खयाल यह था कि दोनों चबूतरों को घेर कर मन्दिर बना देंगे जिसमें शिव जी का त्रिशूल अर्घा, और मूर्ति आदि एक साथ रखी जायेंगी।

२८ तारीख को भारतीय जनसंघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह सुन कर कि मन्दिर की दीवार बनने से रोकी गई है, वहां एक मुसलमान हैं कलेक्टरेट में उनके कहने से गिराई गई है, इस प्रकार का प्रचार किया कि शिव जी के मन्दिर को तोड़ दिया गया और शाम को देवरिया में उन्होंने पब्लिक मीटिंग की और उसमें उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया और यह प्रस्ताव पास किया कि जो मन्दिर गिरा दिया गया है उसे फिर से बना दिया जाय और हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल के खिलाफ जिन्होंने यह मन्दिर बनवाया था कोई कार्यवाही न की जाय और जो वहां के नाजिर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय क्योंकि उनकी वजह से ही सारी कार्यवाही हुई है। यह एलान हुआ कि कल २९ तारीख को सारे शहर में हड़ताल की जाय।

कलेक्टर को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने जनसंघ के जो वहां श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी नेता थे उनको बुलाया और उनको बताया कि कोई मन्दिर गिराया नहीं गया है और चबूतरे पर जो शिव जी की मूर्ति थी वह पास ही रखी है। जो दीवार बिना हमारी इजाजत के और सूचना के उठ रही थी, उसको हमने रोक दिया है और हटा दिया है और यह भी कहा कि छोटे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

चबूतरे को हमने नहीं हटाया। यह तो इमारत बनाने के लिये जो खुदाई हुई थी उसमें हटा दिया था इस खयाल से कि दोनों चबूतरों को मिला कर मन्दिर बना लें। इस पर उन्होंने कहा कि आप की बात ठीक मालूम होती है और हम हड़ताल नहीं होने देंगे, हम स्ट्राइक को काल आफ किये देते हैं, लेकिन छोटे चबूतरे को फिर से बनवा दिया जाय। कलेक्टर ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मन्दिर की इमारत नहीं बनाने दी जा सकती। इस पर वह सन्तुष्ट हुये और हड़ताल भी वापस ले ली।

श्री चतुर्वेदी ने यह भी इच्छा प्रकट की कि हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय। कलेक्टर ने जवाब दिया कि यह मामला सरकारी कर्मचारियों का है और हम इंक्वायरी करेंगे कि कहां तक उनका जुर्म है और रिजर्व इन्सपेक्टर को इंक्वायरी दे दी। हड़ताल भी नहीं हुई और मामला शान्ति के साथ निपट गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का यह कहना है कि न तो वहां कोई मन्दिर बना था जिसको डिमौलिश किया गया और न शंकर जी की मूर्ति को, चबूतरे पर रखी थी, हटाया गया या उसका किसी प्रकार से अपमान किया गया। जो छोटा चबूतरा था जिसको उन लोगों ने स्वयं हटाया था, उसे उन लोगों ने बनवा दिया। जो थोड़ी सी दीवार थी ५ फीट की उसको उन्होंने हटवा दिया।

इस समय देवरिया में किसी प्रकार का असन्तोष नहीं है। सब को मालूम है कि कलेक्टर ने एक प्रेस नोट निकाल दिया है जिसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी थीं। वहां पर किसी प्रकार असन्तोष नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्टर ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है और फिर वह अर्घा बनाया है, अपने खर्च से या किसी और के खर्चे से कि हम से गलती हो गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कलेक्टर ने जो स्वीकार किया है वह मैंने उनकी रिपोर्ट बता दी। उन्होंने यह कहा है कि छोटा चबूतरा पहले से था जिस पर अर्घा और त्रिशूल रखे हुये थे, उसको मन्दिर की चहारदीवारी के भीतर लेने के ख्याल से हटाया गया। जब उन्होंने बाद में कहा कि चबूतरा था, मन्दिर की दीवार पहले से बनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चबूतरा बन जाय जो पहले था। उसमें भूल स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि स्वयं जिलाधीश महोदय ने २७ तारीख को सुबह उन दोनों चबूतरों को जिनकी चर्चा मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में की स्वयं खड़े होकर दो मुसलमान अर्दलियों को लेकर गिरवा दिया, जब कि श्री सी० एम० जब कलेक्टर थे, तो उन्होंने कलेक्टरी बनवाने के लिये जो किसानों से समझौता किया था, उस समझौते के अनुसार नन्दी की मूर्ति और शंकर जी की मूर्ति के लिये वह भूमि छोड़ दी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बात क्या नहीं है उन्होंने किसी चबूतरे को नहीं गिरवाया, उन्होंने कहा कि इस दीवार को हटा दो और वह दीवार हटा ली गई।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या माननीय गृह मन्त्री जी को इसकी सूचना है कि वहां पर साम्प्रदायिक पार्टियों द्वारा साम्प्रदायिकता का प्रचार करके हड़ताल कराने का जनसंघ का प्रचार हो रहा था, उसको शान्त करके जिलाधीश देवरिया ने शान्ति स्थापित की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि हड़ताल करवाने की कोशिश की गई और यह प्रचार किया गया कि मन्दिर खोद कर फेंक दिया गया। उससे कुछ उत्तेजना की भी स्थिति थी। कलेक्टर ने दूसरे दिन उन लोगों को बुलाकर समझाया।

श्री अध्यक्ष—वह पूछना चाहते हैं कि क्या बहुत से लोगों के दबाव से उन्होंने उसको फिर बनवा दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी के दबाव से न बनवाया न खुदवाया । वह पहले से मौजूद था । वह जो नई तामीर हो रही थी उसकी वजह से हटाया गया । उन्होंने कहा कि यह पहले था, इसको फिर बना लो, लेकिन मन्दिर और दीवार यह सब खड़ी न करो ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह नयी कलेक्टरी की भूमि जब १९४७-४८ या १९५० में एक्वायर हुई थी, उस वक्त वहां के भूमिधरों या किसानों ने आपत्ति की थी कि यह मन्दिर है इसलिये यह भूमि छोड़ दी जाय, या यह चबूतरा नया बना था, और किसी ने अनाधिकार रूप से मूर्ति रख दी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, भूमिधरों ने क्या कहा था इसकी सूचना तो हमारे पास है नहीं । कलेक्टर के कम्पाउंड के भीतर कोई मन्दिर था नहीं । जितना था उतना है । मंदिर बनाया जा रहा था बिना कलेक्टर के पूछे हुये । उन्होंने उसको रोक दिया और जितनी दीवार खड़ी की गई थी, उसे गिरवा दिया ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी फिर से इसकी सूचना मंगायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि हड़ताल वापस ले ली श्री लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी, जनसंघ के नेता ने, तो क्या उसकी सूचना मंगायेंगे कि हड़ताल उस दिन साढ़े ६ बजे शाम तक हुई, यह बात ठीक नहीं है कि हड़ताल नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई इतना महत्व का प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वहां के वकीलों ने और वहां के कुछ चपरासियों ने मुझे बयान दिया कि वहां पर नन्दी मौजूद था, जिस दिन तोड़ा गया उस दिन चार बजे तक मन्दिर देखा गया और वहां पर पी० एस० पी० और और पार्टियां जो हमारी पार्टी से सम्बन्धित हैं उनके सदस्यों ने यह बयान दिया कि इमारत थी, मन्दिर था और जब तोड़ा गया तो वह अर्घा हटा हुआ मिला ? सरकारी कर्मचारियों ने उसे हटवाया और उसके हटवाने पर वह टूटा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जो सूचना है और वहां शांति है, यह मैंने आपसे निवेदन किया ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय गृह मन्त्री जी खुद या किसी और दूसरे मन्त्री, उप मन्त्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को भेजकर वहां के प्रमुख मुसलमान और हिन्दू नागरिकों को बुलाकर इस मसले को इस प्रकार हल कराने की कृपा करेंगे जिससे कि वहां के लोगों को सन्तोष हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि सन्तोष है । तो यह तो सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कलेक्टर की विज्ञप्ति क्या है जो उन्होंने बाद में प्रकाशित कराई थी, उसका कुछ सारांश सदन को देने की कृपा करेंगे ? जब यह श्रीमन, हटा दिया गया चबूतरा और जो मन्दिर की दीवार बन रही थी, वह मन्दिर की शक्ल में नहीं बल्कि चबूतरे को इधर-उधर से घेर रहे थे और वहां पर कुछ कांस्टेबिल और दूसरे लोग पूजा किया करते थे, तो यह रात के वक्त में हटाया गया, किसी को जानकारी नहीं हो सकी । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि डी० एम० ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की अपनी सफाई के लिये, वह क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, मान्यवर, वह प्रेस विज्ञप्ति है एक लम्बी चौड़ी सी, आप कहें तो मैं पढ़ दूं। उन्होंने लिखा है—

"दिनांक २६ जुलाई को कलेक्टरी कचेहरी देवरिया का निरीक्षण करते समय मैंने खजाने के पश्चिमी कलेक्टरी कचेहरी के हाते के भीतर लगभग ८ फीट बाई ८ फीट कमरे की दीवार बनते हुई देखी। मुझे उसको देख कर आश्चर्य हुआ। इस अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने पर मुझे बताया गया कि खजाने में जो पुलिस गार्ड रहते हैं उनमें से उनकेहेडकान्स-टेबिल ने चन्दा करके यहां एक छोटा सा मन्दिर बनवाने का प्रयत्न किया है। चूंकि कलेक्टरी कचेहरी हाते के अन्दर बिना सरकारी आदेश के कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, मैंने उस उठाई जाने वाली कमरे की दीवार को गिरा देने का आदेश दिया और वह शाम को गिरा दी गई। इस कमरे की दीवार के गिरने की सूचना मिलने पर २८ जुलाई को जनसंघ की ओर से एक सभा आयोजित हुई जिसमें पहले से बना हुआ मन्दिर गिरवा देने का आरोप लगाया गया और इस सम्बन्ध में कल बाजार में हड़ताल भी रही। मैं इस सम्बन्ध में जनता को वास्तविक घटना से अवगत करा देना उचित समझता हूं। इस स्थान पर एक लम्बा चौड़ा चबूतरा पहले से ही बना हुआ है और इसके बीच में एक पीपल और बरगद का मिला हुआ पेड़ है। यहां शिव जी की मूर्ति रखी है। यह सारी चीजें अपने स्थान पर ज्यों की त्यों विद्यमान हैं। इस चबूतरे से मिला हुआ इसके पूरब एक छोटा चबूतरा ५ फीट लम्बा और ४ फीट चौड़ा बना हुआ था। जिसके ऊपर लगभग १ डेढ़ व दो फीट ऊंचा शिव अर्घा बना हुआ था। इस छोटे चबूतरे और अर्घे को गार्ड के हेड कांस्टेबिल तथा कारीगरों ने हटा कर एक मन्दिर के लिये दीवारें उठाना प्रारम्भ किया था। अतः मन्दिर को तुड़वाने का आरोप बिलकुल निराधार है। चूंकि कलेक्टरी कचेहरी के अन्दर कोई नव-निर्माण बिना सरकारी आदेश प्राप्त किये नहीं हो सकता, इसके अतिरिक्त उस सम्बन्ध में तरह तरह के विवाद भी प्रारम्भ हो सकते थे, मैंने उन नव निर्मित दीवारों को गिरा देने के लिये आदेश दिया। कल इस सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी एवं उनके कुछ साथियों से भेंट होने पर मैंने उन्हें वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जिसे उन्होंने स्वीकार किया और यह निश्चय हुआ कि जो अर्घा चबूतरे से नव-निर्माण के लिये हटा दिया गया था उसे पुनःबनवा दिया जाय। इस पर उन्होंने हड़ताल समाप्त करने का आश्वासन दिया और हड़ताल समाप्त हो गई। यह सन्तोष की बात रही।

मैं इस स्थान पर पुनः व्यक्त कर देना चाहता हूं कि उस छोटे चबूतरे तथा उसको हमारे किसी भी अधिकारी तथा कर्मचारी ने नहीं हटाया और गार्ड के हवलदार ने व कारीगरों ने स्वयं ही इस मूर्ति को हटा दिया था और चबूतरे को तोड़ दिया था क्योंकि इस कमरे का निर्माण बिना छोटे चबूतरे को हटाये कठिन था। मैंने इस छोटे चबूतरे और अर्घे को पूर्ववत बनवा देने का आदेश दे दिया है जो शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायगा। यह दुख का विषय रहा है कि वास्तविकता जो न जानकर धार्मिक भावना को उत्तेजित कर हड़ताल का आयोजन किया गया।"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वहां पर मूर्ति हटाई नहीं थी और मन्दिर नहीं था तो फिर आदेश क्यों दिया गया कि वह चबूतरा वैसे ही बना दिया जाय और मूर्ति वैसी ही रख दी जाय? जब मूर्ति हटाई नहीं थी और चबूतरा तोड़ा नहीं था तो फिर कलेक्टर ने अपने खर्च से उसको क्यों बनवाया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें मूर्ति को तोड़ने की बात कहां आई है। वह कहते हैं कि मूर्ति वहां पर ज्यों की त्यों बनी हुई है। छोटा सा चबूतरा था जिस पर अर्घा बना हुआ था जिसको उन्होंने मन्दिर बनवाने के लिये स्वंय हटवाया था। फिर उन लोगों ने कहा कि उस चबूतरे को बनवा दो उसको बनवा दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मंत्री जी के जवाब से ऐसा लगता है कि जनसंघ ने चबूतरा बनवाया। मेरा सवाल यह है कि कलेक्टर ने अपनी भूल स्वीकार करके उस चबूतरे को खुद

अपने या सरकारी खर्चे से बनवाया या नहीं ? यदि नहीं, तो उसने किस तरह से अपनी गलती स्वीकार की ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप यह समझते हैं कि कलेक्टर ने भूल कबूल कर ली तो फिर मंत्री जी से क्यों उसे कबूल कराते हैं ? इतने पर ही आप खुश हो जाइये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यहां पर तो यह दिखाया जा रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं । क्या यह सब वहां पर नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यहां पर प्रश्न इसलिये किये जाते हैं कि अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसका निराकरण हो जाय । जब आप यह स्वयं मानते हैं कि उस भूल का निराकरण कर दिया गया तो फिर क्यों झगड़ा करते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वहां पर इतनी बड़ी हड़ताल हुई, उसका निराकरण नहीं हुआ । प्रश्न तो यह है कि जिस मूर्ति को भंग कर दिया गया तथा उसकी भंग प्रतिष्ठा अब वापस नहीं आ सकती है ।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०*

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—मैं प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०, [Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishad Bill, 1960.] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन मुझे अनुज्ञा प्रदान करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishad Bill, 1960.] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा प्रदान करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishad Bill, 1960.] पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—एक यह निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने अभी जिला परिषद् विधेयक को पुरः स्थापित कर दिया है । हम चाहते हैं कि २२ तारीख को जब यह सदन फिर बैठे तो इस विधेयक को ले लिया जाय ताकि इस सेशन में यह बिल पास हो जाय वर्ना इसको यदि आगे रख दिया गया तो यह और आगे बढ़ जायगा और उत्तर प्रदेश में चुनाव जो हम लोग जल्दी चाहते हैं वे नहीं हो सकेंगे । मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में कुछ करें ।

श्री अध्यक्ष—यह २४ तारीख को लेने के लिये रखा गया है । केवल दो रोज का फर्क पड़ता है । २२ को यह इंडियन फारेस्ट और २३ को मिनिमम वेजेस विधेयक लेना चाहते हैं । यह दोनों बहुत छोटे बिल हैं, तो इनको वह पहले पास कर लेना चाहते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—यहां पर जैसा कि देखा गया है बड़े बिल को भी छोटा ही बतला दिया जाता है । कल पंचायतराज बिल काफी बड़ा था लेकिन उसके लिये पहले से ही समय निर्धारित कर दिया गया । ३।। घंटे में उसको समाप्त कर दिया

*छापा नहीं गया ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

गया। जैसा कि यह फारेस्ट वाला बिल है यह छोटा बिल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उसके लिये कोई रोक न लगाई जाय।

श्री अध्यक्ष---अभी रोक नहीं लगाई।

सदस्यों के कमरों में सी०आई०डी० के प्रवेश के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं और वह यह कि माननीय आचार्य दीपंकर जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा था कि उनके यहां कमरे में जा कर सी० आई० डी० के लोग बैठ गये, तो उस संबंध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---उस रोज जो कार्यवाही हुई उसके बारे में मैंने अपनी राय दे दी थी कि यह अनुचित है और गृह मंत्री जी ने कहा था कि यह जो बातें हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह दो सवाल अलग-अलग कर दिये थे कि एक तो वहां कमरे में जा कर उन्होंने सर्च की और चेकिंग की, यह एक सवाल था और दूसरा यह था कि सी० आई० डी० के लोग चाहे जिस सदस्य के कमरे में जा कर बैठ जांय तो....

श्री अध्यक्ष---उसका मैं कोई फैसला यहां नहीं देता। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उसमें नहीं उठता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो मेरा कहना यह है कि यह जो प्रश्न हमने उठाया है सी० आई० डी० के लोगों के हर समय यहां रहने तथा हमारे कमरों के पीछे रहने के संबंध में, उसमें....

श्री अध्यक्ष---मैं उस प्रश्न को अलग से उठा रहा हूं, विशेषाधिकार की दृष्टि से नहीं, किन्तु मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस विषय में पत्र लिखा है और पत्र व्यवहार जारी कर दिया है। तो वह इस की जांच कर के मुझ से बात करेंगे और फिर मैं सदन को बतलाऊंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यही मैं जानना चाहता था।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, जो हमारी दफा ४७, ४८ है और केन्द्र के तथा प्रान्त के जो ऐक्ट बने हुये हैं, उनमें पुलिस को जो अधिकार दिये गये हैं, क्या इसका अर्थ यह होगा कि उनको उन अधिकार का प्रयोग करने के पहले श्रीमन् से आज्ञा लेनी होगी और आज्ञा ले कर ही वे उन कमरों में जा सकते हैं ? यदि वह अधिकारी अपने को मिले अधिकारों का प्रयोग करना चाहे तो क्या उसे श्रीमान् की आज्ञा पहले लेनी होगी ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न तो अभी उठता नहीं। आपके या किसी सदस्य के कमरे में जाकर सी० आई० डी० बैठ जाय और वे सदस्य शिकायत करें तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि अमुक शिकायत वह कर रहे हैं। तो मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि वे उनके कमरों में जाकर इस तरह से बैठते हैं यह शिकायत है और यह वहां तक ठीक है। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

सच्चरित्र नागरिकों को गांव की सुरक्षा के लिये फायर आर्म्स खरीदने की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष--उस दिन श्री शिवप्रसाद नागर जी भाषण दे रहे थे । वे अपना भाषण जारी रखेंगे । वे ५ मिनट बोल चुके थे और अब उनके १० मिनट बाकी हैं ।

***श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, इस असरकारी प्रस्ताव पर पिछले दिन मुझे कुछ निवेदन करना बाकी रह गया था । आपकी आज्ञा से आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी लाइसेंस बंदूकों के दिये जाते हैं वह ज्यादातर देखा गया है कि अयोग्य व्यक्तियों को दिये जाते हैं, जो अनडिजरविंग आदमी होते हैं, उनको दिये जाते हैं । होता यह है कि जब दरख्वास्त दी जाती है उसके बाद कुछ इन्क्वायरी होती है । उस इन्क्वायरी में एक स्लिप पुलिस को भेजी जाती है और दूसरी तहसील को । पुलिस को जो स्लिप भेजी जाती है उस पर यह लिख दिया जाता है कि यह व्यक्ति चरित्रवान है अगर उसने १०० रुपये का भुगतान कर दिया और इसी प्रकार जो तहसील का वेरीफिकेशन होता है स्टेटस के बारे में, उसमें भी अगर वह १००, ५० रुपया रिश्वत का दे देता है, तो उसका स्टेटस भी वेरीफाई कर दिया जाता है चाहे उसको कोई इन्कम हो अथवा न हो मगर उसका स्टेटस वेरीफाई हो जाता है । उसको इस तरह से बंदूक का लाइसेन्स मिल जाता है । लेकिन वह व्यक्ति जो वास्तव में चरित्रवान होता है, उसके लिये पुलिस वाले लिख देते हैं कि उनकी रिपूटेशन खराब है, अच्छी नहीं है । क्यों लिख दिया जाता है ? इसलिये लिख दिया जाता है क्योंकि वे उनको कोई रिश्वत नहीं देते । अच्छे-अच्छे स्टेटस वालों के लिये तहसील से लिख दिया जाता है कि उनका स्टेटस इस काबिल नहीं है कि उनको बंदूक का लाइसेन्स दिया जाय ।

एक सब से बड़ी बात यह है कि जो बहुत से कान्सटेबिल्स भर्ती किये जाते हैं वे बहुत से ऐसे होते हैं जिनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता है । जब वे भर्ती किये जाते हैं तो उनके चरित्र का वेरीफिकेशन नहीं होता । जब वे भर्ती कर लिये जाते हैं तो वे बंदूक के लिये योग्य घोषित कर दिये जाते हैं । मैं जानता हूं कि आज प्रदेश में हजारों ऐसे कांस्टेबिल को बंदूकों के लाइसेन्स दे दिये गये हैं जिनको सरकारी तौर पर राइफल नहीं मिलती है क्योंकि उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं हैं कि वे उसको रख सकें । लेकिन उनको बंदूकों के लाइसेन्स मिल जाते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनका इस्तेमाल बहुत गलत जगहों पर होता है और ऐसी ऐसी जगहों पर होता है जिनका नाम लेना इस सदन में अच्छा नहीं होगा ।

जहां तक इस प्रस्ताव में चरित्र की बात आई है, यह कहा गया है कि जिनका चरित्र अच्छा हो उनको लाइसेन्स दिये जायं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तो चरित्र १०० रुपये में बिकता है । जो चाहे १०० रुपये में चरित्र खरीद सकता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के ऊपर डकैती के मुकदमे चल रहे थे, वे डकैती के मामलों में पकड़े गये, लेकिन जिस जिले में वे रहते हैं वहां उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी कि उनको बंदूक की जरूरत है, उनको लाइसेंस दे दिया जाय । पुलिस इन व्यक्तियों के चरित्र का वेरीफिकेशन कर देती है, और उसी चरित्र वेरीफिकेशन के आधार पर वह डकैती के मुकदमों से छूट जाते हैं ।

इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज देहातों में बंदूकों की कमी के कारण वहां पर डकैतियों की दिन प्रति दिन भरमार होती जा रही है । आज कोई भी आदमी गांव से १० रुपये का देसी तमंचा खरीद कर गांव में चला जाता है और उसे दिखा कर वह वहां पर डकैती डालता है । उसी देसी तमंचे से बहुत सी मौतें होती हैं । डकैती होती हैं । इस तरह

---

*१३ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही से ।

[श्री शिव प्रसाद नागर]

के तमंचे आज गांव गांव में लोहार लोग बना रहे हैं और बिक रहे हैं। मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस समय तक कोई कारखाना इस तरह के आर्म्स ऐण्ड एम्युनिशन बनाने का नहीं खोला गया है।

अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे प्रदेश में जितने विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं उतने शायद ही किसी प्रदेश या देश में देते हों। मैं उनकी इस बात की ताईद करता हूं कि इस दृष्टि से हमारे प्रदेश का बड़ा महत्व है, किन्तु उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में इस बात की भी आवश्यकता है कि यहां पर कोई आर्म्स ऐण्ड एम्युनिशन का कारखाना हो। जब किसी को यहां पर बंदूक का लाइसेंस मिल भी जाता है तो उसको उसे खरीदने के लिये दो हजार रुपये लेकर लखनऊ आना पड़ता है। वह भी मुश्किल से मिल पाती है। आज देसी तमंचों के कारखाने गांव-गांव में खुले हुये हैं और लोहार इस काम को करते हैं। आज जितने लोहार हैं उन्होंने इस पेशे को इख्तियार कर रखा है। इसको दो लोग खरीदते हैं--एक तो डकैत लोग खरीदते हैं और दूसरे पुलिस वाले खरीदते हैं। डकैत तो डकैती डालने के लिये खरीदते हैं और पुलिस वाले लोगों को फंसा कर, उनका चालान करके, उनसे रुपया वसूलने के खयाल से खरीदते हैं। डकैत तमंचा लेकर गांव में चले जाते हैं और उसकी नली दिखा करके लोगों को लूट लेते हैं। जब पुलिस वाले खरीदते हैं तो वह उसका दूसरी तरह से प्रयोग करते हैं। यह लोग जिस किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होती है, जो भला आदमी होता है, जिसके पास एक कीमती बैल की जोड़ी ५-६ सौ रुपये की होती है, गांव का भला आदमी है, कुछ घर मकान अच्छा बना है और अपने घर से खुशहाल है, बस उसी के दरवाजे पर तमंचा लेकर पहुंच जाते हैं।

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

मलाई, दूध, दही खाते हैं और स्वागत कराते हैं और जरा सा मौका पाया तो चुपके से किसी पयाल, छप्पर की आड़ में तमंचा घुसेड़ कर चले जाते हैं और बाद में थाने से दारोगा को लेकर-- ३-४ घंटे के बाद पहुंच जाते हैं और तमंचा बरामद कराकर अरेस्ट कर लेते हैं कि देसी तमंचा तुम्हारे घर में निकला। उसके बाद आर्म्स ऐक्ट की धारा १९ के मातहत चालान होता है। लेकिन इसी बीच में सौदा तय होता है, कहा जाता है कि ५०० रुपये दे दो तो छोड़ देंगे। तो उस तमंचे की नाल दिखा कर तो डाकू लूटते हैं और पुलिस वाले लूटते हैं मूंठ दिखा कर। इस देसी तमंचे में बहुत वस्फ है, यह सीधा भी चलता है और उल्टा भी। डाकुओं के हाथ में सीधा चलता है, पुलिस वालों के हाथ में उल्टा चलता है। इसकी दोतरफा चाल है। इसलिये अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार नैपाल में कोई प्रतिबन्ध नहीं है और स्वतंत्रता से पहले जैसे राजस्थान में कोई पाबन्दी नहीं थी, वैसे भी यहां भी देसी तमंचा को फ्री कर दें।

कहा यह जाता है कि अगर फ्री कर दें तो झगड़े और कत्ल बढ़ेंगे, लेकिन जितने ही ज्यादा हथियार बढ़ते जाते हैं, झगड़े कम होते जाते हैं। जब तलवारों की लड़ाई थी तो प्रदेश प्रदेश में लड़ाइयां होती थीं। जब तोपों की तादाद बढ़ी तो लड़ाइयां बहुत कम हो गयीं। अब फिर ऐटम बम और हाइड्रोजन बम का जमाना आया तो लड़ाइयां और कम हो गयीं। उसके बाद जब राकेट का जमाना आया तो रूस भी अपनी जगह पर डर रहा है और अमेरिका भी डर रहा है। सभी सोचते हैं कि निःशस्त्रीकरण के द्वारा लड़ाइयां खत्म हो जायं। इसलिये मेरा सुझाव है कि देसी तमंचों के बनाने की देहात में खुली छूट दे दी जाय कि कि बनाओ कितना बनाते हो और खरीदने वालों को भी छूट दे दी जाय कि खरीदो, कितने खरीदते हो। अगर एक गांव में ५० तमंचे होंगे तो डाकू की हिम्मत नहीं होगी कि गांव में घुस सके। मगर हालत यह है कि उनके यहां एक पटाखा भी नहीं है। जो शहर में जो डेढ़-दो रुपये का नकली तमंचा बिकता है, जिससे बच्चे खेलते हैं, उसी को डाकू गांव में ले जाकर छोड़ देते हैं, जब वह छूटता है, तेज आवाज होती है तो गांव वाले सहम जाते हैं और डकैतियां हो जाती हैं।

एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर प्रत्येक गांव में कम से कम ५ बन्दूकों का लाइसेंस नहीं है तो हमारे गांव में कोई सुरक्षा का जरिया नहीं रहता है। गांव के लोग मुझसे कहते हैं कि नागर जी, सारी रात हम जाग कर गुजारते हैं और दिन में दोपहर में सोते हैं ताकि कहीं रात को डाकू न आ जायं। सुबह ८ बजे तक खेत जोतते हैं, १० बजे तक चारा का प्रबन्ध करते हैं और दोपहर में सोते हैं, इसलिये कि रात को जागना है। इसलिये ५ बन्दूकें प्रत्येक देहात में जरूरी हैं, जिस तरह का भी चरित्र वेरिफिकेशन उसके लिये हो, वह दे दी जायं। साथ ही जितनी टोपीदार बन्दूकें हैं वह रद्द कर दी जायं और उनके बजाय कारतूसी बन्दूकें रखने का अधिकार मिल जाना चाहिये। आज तो आटोमैटिक बन्दूकों का जमाना है, एक ट्रिगर दबाने में ५०-५० गोली निलकती हैं। डाकू जब आते हैं तो वह ऐसी ही बन्दूकें लाते हैं, १ मर्तबा में ११-११ फायर निकलते हैं। जबकि गांव वाले व अपनी टोपीदार बन्दूकों को ठोंकते रहते हैं डाकुओं की राइफलों से तबतक २५ फायर हो जाते हैं। इसलिये टोपीदार बन्दूकों की जगह पर कारतूसी बन्दूकें दी जानी चाहिये।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि प्रदेश में जितने भी लाइसेन्स दिये जायं उन लाइसेन्सदारों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि तीन महीने या ६ महीने में चांदमारी के लिये वह सदर में जरूर हाजिर हों या पड़ोस के थाने में हाजिर हों और चान्दमारी में जिनके ३३ फीसदी निशाने सही हों उनको बन्दूक दे दी जाय लेकिन जिनके ३३ फीसदी तक निशाने सही न हों उनको एक साल की मोहलत निशाना ठीक करने के लिये दी जाय और अगर वह अपने को ठीक न कर पायें तो उनसे बन्दूक ले ली जाय।

एक मेरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश की जितनी सीमा विदेशों से मिली हुई है, खास तौर से नैपाल से, उस सारे किनारे पर रहने वाले लोगों को आधुनिक अस्त्रों से लैस कर दिया जाय और वहां पर लाइसेन्स देने की इतनी छूट होनी चाहिये कि जो कोई भी व्यक्ति चाहे उसको लाइसेन्स दे दिया जाय। इन सुझावों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाद बन्द किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--मेरा निवेदन यह है कि आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे प्रत्येक गैर सरकारी प्रस्ताव के लिये एक घंटे का समय निर्धारित हो जाय और आज की कार्यवाही एक घंटा बढ़ाकर ६ बजे तक करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--इसके लिये तो क्लोजर ही मूव हो सकता है, समय का निर्धारण नहीं हो सकता।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--अधिष्ठात्री महोदया, मेरे इस प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। लगभग सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। आज गांवों की जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज हम देखते हैं कि चोर और डकैत नये नये किस्म के आर्म्स से और जल्द से जल्द चलने वाले साधनों के द्वारा चोरी और डकैती करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि पुलिस के पास वही टूटी साइकिल है या साढ़े तीन टांग का घोड़ा है जोकि मुश्किल से चल पाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि थानों में तेज से तेज चलने वाले साधन दिये जायं। जब हम यह देखते हैं कि हर ब्लाक पर जीप दी जाती है तो कम से कम थाने में मोटर साइकिल जरूर होनी चाहिये ताकि चोरी या डकैती की सूचना पहुंचते

[श्री हिम्मतसिंह]

ही पुलिस मौके पर पहुंच सके और सुरक्षा कर सके। अगर निहत्थे गांव वालों ने चोर या डकैतों को घेर रखा हो तो पुलिस तुरन्त फोर्स लेकर वहां पहुंच जाय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज भी जो पुराने लाइसेन्स हो गये हैं उनके लाइसेन्सदार बुड्ढे हो गये हैं और उनसे बन्दूक भी नहीं सधती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक नव युवकों को लाइसेन्स दिये जायं। आज बुलन्दशहर में ३५० लाइसेन्स देने की योजना है और दिये भी जा रहे हैं। अगर आज प्रदेश में जन जीवन खतरे में न होता तो बुलन्दशहर में ३५० लाइसेन्स एस० पी० के नाम गांवों में दिये जाने की क्या आवश्यकता थी ? मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि आज प्रदेश और देश का जन जीवन खतरे में पड़ गया है, चोरियां और डकैतियां बढ़ रही हैं जिनको रोकने में पुलिस असमर्थ है।

इतना ही नहीं पुलिस वालों के यहां भी चोरियां होती हैं। जिला एटा में डाकुओं ने एक सब-इंसपेक्टर के यहां ताला तोड़ा। कारण क्या है ? यह है कि आज डाकू निर्भय हो गये हैं। वे समझते हैं कि जितने अच्छे आर्म्स हमारे पास हैं उतने इन लोगों के पास नहीं हैं और पुलिस वाले उनसे इसलिये घबराते हैं कि वे समझते हैं कि हम तो कुछ ही पैसों के नौकर हैं और चोर अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ता है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पुलिस वाले डकैतों और बदमाशों से मिले हुए हैं और उनसे तनख्वाह या चहारूम पाते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी जनता की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो पाते। इसलिये हमारे प्रदेश में आज अधिक से अधिक लाइसेन्स मिलने चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक बात और है कि पुलिस के द्वारा जो इंक्वायरी कराई जाती हैं, थाने की रिपोर्ट को एस० पी० डिटो करते हैं, इस बारे में गांव सभा वालों से भी पूछ लेना चाहिये क्योंकि वे लोग जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है। जैसा कि नागर जी ने कहा कि थानों में चरित्र १०० रुपया में मिल जाता है। लेकिन जब गांव के आदमी सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास करके कहें कि इस आदमी को लाइसेंस मिलना चाहिये तो कोई माकूल वजह नहीं है कि उस आदमी को लाइसेंस न दिया जाय।

आज यह भी देखा जाता है कि जो काश्तकार ढ़ाई-तीन सौ का लगान देते हैं उनके लिये कह दिया जाता है कि इनकी मालियत कम है लेकिन जो १५-२० रुपया लगान देते हैं उनको लाइसेंस मिल जाता है। आज के जमाने में जब कि हर आदमी का स्टेटस बराबर समझा जाता है, ऐसी सूरत में दूसरों से इन्क्वायरी कराया जाना अनुचित है। ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको वे स्वीकार करें। अगर स्वीकार करने में कुछ हिचकिचाहट हो तो अधिक से अधिक बंदूकों के लाइसेंस गांव वालों को बंदूकें खरीदने के लिये दिये जांय। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक गांव में कम से कम १० बंदूकें दी जांय। आशा है इस पर वे विचार करेंगे।

गृह उपमंत्री (श्रीरामस्वरूप यादव)---महोदया, यह जो प्रस्ताव हिम्मत सिंह जी ने सदन में पेश किया है, पिछली बार जब इसके ऊपर चर्चा हुई थी तो मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये थे और उस समय भी मैंने कहा कि सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इसके कई कारण हैं।

इस प्रस्ताव के अनुसार २५० की जनसंख्या या उसके किसी अंश पर एक फायर आर्म खरीदने की इजाजत देने के बारे में कहा गया है और दूसरी बात यह कि गांव सभा को यह अधिकार दिया जाय। महोदया, उस दिन मैंने यह निवेदन किया था कि १९५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्म्स ऐक्ट १९५९ पास होकर तैयार हो गया है लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है। इस वक्त पुराना ही ऐक्ट लागू है। उसके अनुसार जो हमें नियम बनाने का अधिकार है, उस अधिकार के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लाइसेंस देते हैं। मैंने उस समय यह भी निवेदन किया था कि सन् ५० के बाद राज्य सरकार की यह नीति रही है कि लाइसेंस देने में जितनी सुविधा हो सके वह नागरिकों को दी जाय। ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि सच्चरित्र और

विश्वसनीय लोगों को लाइसेंस दिये जायं और उनको भी लाइसेंस दिये जायं जिनको देना जनहित में उचित हो। साथ ही साथ जो ऐक्ट लागू होगा उसके अनुसार संपत्ति बाधक न होगी-लाइसेंस मिलने में।

कई बार इस बात को कहा गया कि थानों के द्वारा जांच नहीं होनी चाहिये। उस बारे में मेरा नम्र निवेदन यह है कि अगर थानों द्वारा इस बात की जांच न होगी तो लाइसेंस देने वाले को यह पता कैसे चलेगा कि अमुक व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या नहीं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि थाने वालों को यह कहने का अधिकार नहीं होता कि इसकी आवश्यकता नहीं है या इसको देना ठीक नहीं है। वह अपने कागजात के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को सच्चरित्र नहीं समझते हैं, उनकी जानकारी में वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि किसी जुर्म की हद तक पहुंच सकते हैं या वह यह आशंका करते हैं कि वह हथियार को पाकर जुर्म करेगा, तो उसके बारे में वह कागजात के आधार पर लिखते हैं। अगर पुलिस के कागजात में किसी के विरुद्ध ऐसे इन्दराजात हैं तो मैं समझता हूं कि यह कदापि उचित न होगा कि ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाय।

नागर जी ने दो तरह की बात कहीं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में तमंचे बनते हैं। वह तो यहां तक बढ़ गये कि उनका बनाना फ्री कर देना चाहिये। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रात में लोग सो नहीं पाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, लाइसेंस भी दिया जाय तो क्या ऐसा कर दिया जाय कि हर वक्त आदमी बन्दूकों से ही लड़ा करें?

जहां तक बन्दूकों और रायफलों के बनाने का सवाल है, उसका उचित प्रबन्ध है। फैक्टरीज हैं, जहां पर आवश्यकतानुसार बनती हैं, और जितनी जरूरत होती है उतनी इस वक्त बाजार में हैं। कोई प्रश्न नहीं उठता कि बन्दूकों को बनाने के लिये ऐसा कर दिया जाय कि जहां चाहे बनाव।

लाइसेंस के देने के सम्बन्ध में मैंने उस दिन भी निवेदन किया था और आज भी यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन की यही नीति रही है कि जो विश्वसनीय और सच्चरित्र हों उन्हें लाइसेंस मिलना चाहिये, और मिलता है। कभी-कभी कठिनाई उन व्यक्तियों के बारे में हो जाती है जिनके विषय में ऐसी रिपोर्ट आती है कि उनके चरित्र के बारे में संदेह है।

गांव सभा के विषय में मैंने पहले भी निवेदन किया था। इसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं, अगर पिछली बैठक के विचारों को देखा जाय तो जाहिर होगा कि बहुत से लोगों का यह खयाल है कि गांव सभा को इस हद तक अधिकार देना ठीक नहीं है। मैं स्वयं भी समझता हूं कि आज से १० वर्ष बाद अगर हमारी गांव सभा.....

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह हमारा समझौता है आपस का कि इस समय कोरम का प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रूलिंग पार्टी के २८७ आदमी हैं और सिर्फ १० बैठे हैं जबकि डिप्टी मिनिस्टर बोल रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो एक डिप्टी मिनिस्टर बैठे रहें, हिम्मतसिंह जी बैठे रहें और आप बैठी रहें, और सब चले जायं? हम लोग १० रुपये रोज लेते हैं तो क्या यह जिम्मेदारी नहीं है कि....

श्री अधिष्ठाता--यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। १ से २ बजे तक का समय तो लंच का है।

श्री रामस्वरूप यादव--तो मैं यह कह रहा था कि गांव सभा को अपने गांव को अच्छा बनाने के लिये अधिकार दिये गये हैं। न्याय के लिये अधिकार दिये गये हैं। वहीं तक सीमित

[श्री रामस्वरूप यादव]

रखना ठीक होगा। १० वर्ष बाद वह समय आ सकेगा जब हम अधिक बढ़ाने की बात सोच सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब कि हम कहते हैं कि गांव सभा के चुनाव की वजह से वहां पार्टीबाजी होती है, मैं समझता हूं उनको यह अधिकार देना उचित नहीं होगा।

हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस देते हैं। हमारा स्वयं का अधिकार नहीं है कि हम लाइसेंस की अलग-व्यवस्था कर दें। पुराने आर्म्स ऐक्ट में यह अधिकार था कि प्रदेशीय सरकार आर्म्स रूल्स बनावे, उसके अन्दर रूल्स बने थे। लेकिन अब नये ऐक्ट में रूल्स की व्यवस्था हमारे बनाने की नहीं है। जब वह लागू होगा तो जैसा ऐक्ट केन्द्रीय सरकार पास कर चुकी है और जैसे रूल्स बनावेगी उसीके अन्तर्गत लाइसेंस दिये जाएंगे। मैंने उस समय भी कहा था, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है उदारता से लाइसेंस दिये जायंगे जो सज्जन सच्चरित्र होंगे अन्यथा किसी को नहीं। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, और शायद हिम्मत सिंह जी ने पिछली बार प्रस्ताव किया था तो लोगों ने कहा था कि ज्यादा गांव सभाओं को अधिकार देना उचित नहीं है। हां, यह जरूर है कि लाइसेंस देने में जो दिक्कतें हैं उनको दूर होना चाहिये। शासन द्वारा ऐसे ही आदेश जारी होते हैं। मैंने पिछली बार उन आदेशों का वर्णन कर दिया था। अतः अब कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये और जो लोग उसके पात्र हों उनको समय पर मिले।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिला एटा के बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए, जैसे शहर कोतवाल, एटा के यहां चोरी, एस० ओ०, निधौली कलां, कलेक्टर, जज आदि के यहां चोरियां हुई हैं अतः इनको ध्यान में रखते हुए इस बात पर मंत्री जी विचार करेंगे कि जिस प्रकार बुलन्दशहर में काफी हथियार देने जा रहे हैं उसी प्रकार एटा में देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने पिछली दफा भी कहा था कि डिफेंस सोसाइटीज के बारे में सरकार की नीति है कि जिस जिस जिले में वे कायम होंगी वहां प्रोत्साहन दिया जायगा। जिला बुलन्दशहर में सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस ने दिलचस्पी ली और सरकार द्वारा प्रबन्ध कर दिया गया बन्दूक उनको दे दी जायं और वहां सोसायटीज काम कर रही हैं। एटे में भी माननीय सदस्य इसकी शुरूवात करें और विश्वास रखें शासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा और जितने हथियारों की, बन्दूकों, राइफलों की जरूरत होगी दी जायेंगी क्योंकि इन सोसाइटीज से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायें काफी हल हो जाती हैं।

(संकल्प पर मतदान स्थगित किया गया।)

भूमि अधिनियमों में सुधार करने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

> "इस सदन का निश्चित मत है कि भूमि अधिनियमों में कमी के कारण से किसान बुनियादी अधिकारों से वंचित है। अतः ऐसा सुधार कर दिया जाय जिससे, जमींदारी विनाश के पूर्व की मालगुजारी, से दो गुना, एवं स्थायी लगान कायम हो, और किसानों की एक श्रेणी तथा समान अधिकार हो सके।"

मेरा प्रस्ताव बहुत साफ और पवित्र है और इसका अर्थ भी। इसे पेश करने की जरूरत इसलिये पड़ी कि आज १३ साल से उत्तरदायी सरकार केन्द्र और प्रान्त में है। बहुत दिनों से किसान यह आशा लगाये था कि जब उसकी सरकार आयेगी तो राहत होगी। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंग्रेजी शासन चले जाने के बाद भी किसान की आशा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। कारण यह है कि सरकार के सोचने का तरीका कुछ अजीब हो गया है। यह सरकार उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जिनके द्वारा यहां बैठायी गई है बल्कि उनका करती है जो हमेशा समाज के विरोधी रहे, समाज का शोषण करते रहे। एक परम्परा सरकार की चलती चली आ रही है जिसके द्वारा किसान तबाह और बरबाद होता चला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि लगान स्थायी कर दिया जाय।

आप जानते हैं कि ७ वर्ष जमींदारी टूटने के बाद एक सी० एल० आर० डी० नाम का संगठन संगठित किया गया और जो प्रत्येक खाते में पहले का लगान निश्चित था उससे बढ़ा कर, कुछ नया लगान बढ़ा कर वसूल होने लगा और वह किसानों की समझ में नहीं आ सका कि यह लगान हमारे खेत का है या दूसरी जगह से हमारे खाते में जोड़ दिया गया है। जो जमाबन्दी की जा रही है उसमें कोई चीज दर्ज नहीं है, केवल लगान दर्ज है और नाम दर्ज है। जब पहले जमींदार थे तो हमारे प्रदेश में लगभग ७, ८ करोड़ रुपया मालगुजारी की शक्ल में सरकार वसूल करती थी और जमींदारी टूटने पर इस रुपये को सरकार वसूल करने लगी। उससे दूना लगान वसूल किया जाय मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि लगान आधा कर दिया जाय। मैं तो ऐसी चीज रखना चाहता हूं जो अभ्यास में उतर सके और जो बिलकुल शुद्ध और साफ हो। मेरी निश्चित धारणा है कि लगान दूना ही वसूल किया जाय उस मालगुजारी का जो पहले जमींदार किसानों से वसूल करता था, उससे ज्यादा नहीं ताकि किसान यह समझें कि जमींदारी टूटने के बाद सरकार ने उनको यह रियायत दी।

दूसरा प्रस्ताव श्रेणी के बारे में है। यह उत्तरदायी सरकार जिन लोगों की तपस्या और त्याग पर इस समय आसीन है उन्हीं के हकों पर छूरा मार रही है। जब से कांग्रेस सरकार आई तबसे मैं बराबर देख रहा हूं कि जो पुराने जमींदार थे उनके सिलसिले में ऐक्ट में कुछ प्राविजन किया गया और जो किसान थे जिन्होंने ठोकरें खाईं उनके लिये दूसरी चीज प्रोवाइड की गयी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय जो संकल्प प्रस्तुत है वह भूमि सुधारों से संबंधित है और उससे संबंधित मंत्री, उपमंत्री या सभापति कोई भी उपस्थित नहीं हैं। उनका होना आवश्यक है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—उनका होना आवश्यक है, लेकिन ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है, दूसरे मंत्री मौजूद हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—खैर, जो भी आपकी व्यवस्था है वह ठीक है। यह जरूर है कि यह प्रस्ताव गैर सरकारी है और विरोधी पक्ष की तरफ से है। ट्रेजरी बेंच के हमारे साथी अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर उनका प्रस्ताव होता तो वे जरूर बैठ कर उसे पास कराते। लेकिन विरोधी पक्ष की तरफ से होने के कारण उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, यह स्वाभाविक है।

मैं इस सिलसिले में एक धारा कोट करना चाहता हूं। जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में यह लिखा हुआ है—

"Settlement of certain lands with intermediaries or cultivators as bhumidhar."

जमींदारी टूटने लगी तो इस कानून के जरिये उनको यह सुविधा दी गयी कि वह चाहे बाग भूमि हो, जोत हो, बंजर हो, परती हो, खुदकाश्त हो या सीर की शक्ल में हो, तुम उस आराजी में भूमिधर हो जाओगे और दूसरी ओर जो काश्तकार नजराना देकर और किसी न किसी प्रकार की कोई गुलामी करके जमीन जमींदार से लेकर अपने को काश्तकार कहता था उसके लिये इस कानून के अनुसार यह कहा गया है कि तुम १० गुना दाखिल करोगे तो भूमिधर कहे जाओगे। मैं समझता हूं कि यह अन्याय है।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)——उसका लगान आधा कर दिया है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी——उसका लगान आधा हो जाने के बाद उसे लगान में अब ज्यादा ही देना पड़ता है । मुझे मालूम है कि जो काश्तकार १ रुपये एकड़ पर अपने जमींदार से भूमि लेता था और मौरूसी काश्तकार ५ रुपया या ४ रुपया एकड़ पर जमीन लेता था उससे यही वसूल किया जाता था लेकिन १० गुना दाखिल करने के बाद भी आज पुरानी मालगुजारी से दूना लगान देना पड़ रहा है ।

आपने जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में जोर इस बात पर भी दिया है कि अब ऐसा भूमिधर सीरदार नहीं हो सकता । आपने उसमें कुछ फर्क लगाया है कि फलां फलां किस्म की जमीन जैसे ग्रोवलैंड या पास्चर लैंड या बंजर भूमि काश्तकार की काश्तकारी नहीं हो सकती जमींदारी एबालीशन के बाद तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यही बात आप जमींदारों के लिये क्यों नहीं लागू करते कि यह जमींदार भी भूमिधर नहीं हो सकते ? उसमें उनको छूट देदी गयी है ताकि जमींदार जो पहले से ही भूमि के मालिक हैं, वह अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त करते चले जावें और उससे कुछ न वसूल किया जावे लेकिन जो तबाह हो रहे हैं उनसे १० गुना भी लिया जाय और उनके अधिकार भी कम किये जावें ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)——मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अधिष्ठात्री महोदया, कि जो भी रूलिंग इस चेयर से होंगी उनको भविष्य में भी लोग कोट करेंगे । हमारे जो डिप्टी मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं उनकी योग्यता में शक नहीं है । मैं जानता हूं कि वे बहुत रिस्पांसिबिलिटी से, इस काम को योग्यता के साथ कर सकते हैं लेकिन मैं आपकी व्यवस्था इस बात में चाहता हूं कि आपने यह व्यवस्था तो दी कि ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है लेकिन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते तो ठीक था । जहां मंत्री विभाग के न हों, उनके डिप्टी मिनिस्टर और उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी न हों तब तो ठीक था लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब सब मौजूद हैं । हम तो यों चाहते हैं कि सारी गवर्नमेन्ट की रिस्पांसिबिलिटी यादव जी संभाल लें लेकिन ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी की जो रूलिंग आपने दी और चूंकि यह चेयर हमारे राइट्स की कस्टोडियन हैं लेकिन इससे तो फिर यह होगा कि सारे लोग चले जायें और सभी डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर घर में सोये रहें तो म चाहता हूं कि माल मंत्री जी को बुलाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता——इसके लिये मैं पहले कह चुकी हूं कि उनका यहां होना जरूरी है । लेकिन वैसे ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है और दूसरे मंत्री बैठे हुये हैं । इसमें दोबारा इसको उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी——अधिष्ठात्री महोदया, अभी सीलिंग ऐक्ट पास हो चुका है और उसमें भी यह एतराज हुआ था कि सरकार की दो निगाहें हैं । इसी तरह से जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १४२ के अन्दर जो यूजेज आफ लैंड और उसके इम्प्रूवमेन्ट के सिलसिले में हैं उसमें यह लिखा है :——

Use of land and Improvements

"142. A bhumidhar shall, subject to the provisions of this Act have the right to the exclusive possession of all land in respect of which he is bhumidhar and to use it for any purpose whatsoever."

अब इसके अनुसार तो भूमिधर जैसे चाहे अपनी जमीन को इस्तेमाल कर सकता है लेकिन सीरदार नहीं कर सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जहां साढ़े ७ करोड़ की जनसंख्या है उसमें कुल ८० लाख जमींदार थे और बाकी सब काश्तकार हैं । उसमें भूमिहीन जोड़ लीजिये, काश्तकार जोड़ लीजिये । तो इतने ज्यादा आदमियों के लिये आप क्या कर रहे हैं । भूमिधर

तो अपनी जमीन का सर्वेसर्वा है लेकिन सीरदार पर आपने प्रतिबन्ध क्यों लगा दिया है वह अपनी जोत पर उत्पादन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता ।

इसके अलावा धारा १४३ है जिसमें यह लिखा है:—

"143. A bhumidhar who uses his holding or a part thereof for industrial or residential purposes, may apply to the (Assistant Collector-in-charge of the Sub-division) for a declaration to that effect, and the (Assistant Collector in charge of the sub-division) shall, on being satisfied after making such enquiries as he may consider necessary, make a declaration accordingly."

अधिष्ठात्री महोदया, इसी आधार पर मैं अगर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की दूसरी धाराओं को कोट करूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

जहां तक ट्रांसफर का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का क्या नुकसान है ? अगर कोई सरकार की मर्जी के मुताबिक दस गुना जमा नहीं करता है तो आप उसको राइट आफ ट्रांसफर क्यों नहीं देते ? इसके माने हैं कि सरकार की मंशा यह है कि किसी न किसी तरह से किसानों को लूट कर पैसा इकट्ठा कर ले । अगर वह दसगुना दाखिल कर देता है तो अपनी जमीन को बेच सकता है, उसका हिबा लिख सकता है, वसीयत कर सकता है और अगर दसगुना दाखिल नहीं करता तो कुछ भी नहीं कर सकता है । सीलिंग के सम्बन्ध में जब मैंने प्रश्न किया था तो मंत्री जी ने कहा था कि ११ बजे जवाब मिल जायगा । उसका केवल यही अर्थ था कि ११ बजे प्रस्ताव हमारा स्वीकृत हो जायगा जितनी सीलिंग हम करना चाहते हैं और वही जवाब हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सीरदार और भूमिधर में ट्रांस्फर के बारे में जो विभेद पैदा किया उससे क्या फायदा ? सीरदार को भी वही अधिकार दीजिये ताकि वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति का कुछ सुख प्राप्त कर सके। चकबंदी के सिलसिले में एक बार इस सदन में बहस हो चुकी है और अगर मुझे सही याद है तो सारे प्रदेश में जितनी भूमि है उसकी १।३ भूमिधर के कब्जे में है और उसका लगान है ५ करोड़ ८० लाख रुपये के लगभग और दो तिहाई जमीन सीरदार के कब्जे में है जिनकी बहुत बड़ी संख्या है और उनका लगान है १६ करोड़ रुपये के लगभग । तो यह भी एक बहुत बड़ा फर्क है ।

अब सरेन्डर का सवाल लीजिये । सरकार कहती है कि भूमिधर अपनी जमीन का इस्तीफा नहीं देगा और सीरदार अगर कृषि के अलावा कोई दूसरा काम करे तो वह गांव सभा क द्वारा बेदखल किया जा सकता है और वह इस्तीफा भी दे सकता है । आम काश्तकारों को जानकारी नहीं है लेकिन पहले ऐसा समझा जाता था कि जमीन का मालिक जमींदार है, अगर जमीन छोड़ना है तो उसके हक में छोड़ दें । उसी तरह से आज भी लिखा हुआ है सीरदारों के लिय कि अगर वह इस्तीफा देना चाहें तो तहसीलदार के यहां लिखित दे दें । भूमिधर के लिये ऐसी कोई चीज नहीं है ।

इसके अलावा जहां तक राइट खत्म होने का सवाल है कि किन-किन सूरतों में सीरदार का हक अपनी जमीन से खत्म हो जायगा और किन सूरतों में भूमिधर का अधिकार खत्म होगा, जितनी हिफाजत भूमिधर की की गयी है उतनी सीरदार की नहीं की गयी है । तो मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इस निश्चित राय का हूं कि सरकार की दो निगाहें हैं और आज भी सीरदार हर तरह के अधिकारों से वंचित है ।

इसके अलावा जो आपने कानून बनाया, मैं समझता हूं कि उसके बारे में आपके पास शिकायतें पहुंचती होंगी और आप उन पर विचार करते होंगे लेकिन मंत्री महोदय जरा कृपा कर के बतायें कि जमीन रेहन करने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया ? न भूमिधर को न सीरदार को । आपका यह कहना है कि रेहन करने का अर्थ यह हुआ कि कीमत लेकर बेच दिया । अधिष्ठात्री महोदया, रेहन करने का अर्थ कीमत लेकर बेचना नहीं होता । इसका अर्थ यह होता है कि किसी बुरे समय में वह रुपया किसी महाजन से कर्ज ले ले और वह कर्ज अदा न कर सके तो उसका सूद बढ़ने लगेगा तो वह अपने खेत को बंधक रख देता है कि जब हम रुपया अदा कर देंगे तो अपनी

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

आराजी वापस ले लेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज जो शहर में आदमी रहते हैं वह अपनी जमीन पर मकान बनवा लेते हैं तो उसको किराये पर भी उठा सकते हैं और मकान और जमीन दोनों उसकी ही रहती हैं और वह दोनों का मालिक रहता है। क्या हमारा किसान अभागा है या उसने गांव में रहकर कोई कसूर किया है कि यदि वह अपनी आराजी को रेहन कर दे तो बैनामा मान लिया जाय। भूमिधर अगर कर दे तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर सीरदार कर दे तो गांवसभा द्वारा बेदखल कर दिया जायगा। यह इल्लीगल ट्रांसफर करार दे दिया है। अगर सरकार इनको भी यह सहूलियत दे दे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? पहले जमींदार किसानों को बेदखल किया करते थे लेकिन जब जमींदार नहीं रहे। अब किसान सरकार की रियाया है। इसलिये मैं समझता हूं कि कानून में परिवर्तन होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले जमींदार अपनी जमीन अड़क रखते थे कि अगर हम १०-१२ साल में रुपया न दे सकें तो यह नीलाम मान ली जाय। उन्हीं की मदद के लिये इनकम्बर्ड ऐक्ट बना। इससे सारी जमीनें इनके पास ही रह गईं और महाजन का पैसा वसूल नहीं हो सका। यह सब कुछ आपने किया लेकिन किसान के गले पर छुरी चलाई कि वह अपनी जमीन बन्धक नहीं रख सकता है। गरीब किसान को कर्जा मिलता नहीं है इसलिये वह दस गुना दाखिल करके बेचने के लिये मजबूर होता है। इसमें भी दिक्कत यह है कि जमींदारियों के टूटने के बाद खाते इकट्ठे कर दिये गये हैं। अब किसी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत होती है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने हिस्से का दस गुना दाखिल करके बेच सके बल्कि उसको पूरे खाते का रुपया जमा करना होता है। एक तरफ वह दस गुना दाखिल करता है और दूसरी तरफ वह बेचता है। तहसील में जो लोग होते हैं वह उससे रुपया ले लेते हैं और कह देते हैं कि दस गुना दाखिल करने के बाद तुम बयनामा कर सकते हो और दस दिन बाद सनद बनाते हैं। इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। बेचने वाला कहता है कि हम एक दफा बयनामा कर चुके अब नहीं करेंगे। इस तरह से बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों परेशान होते हैं। दोनों तबाह हो रहे हैं। चाहे भूमिधर हो या सीरदार हो वह अपनी जमीन बटाई पर नहीं दे सकता है। हमारी सरकार ऐसा सोचती है कि यदि ऐसा नियम बना दिया जायगा तो फिर से जमींदारी आ जायगी। यह उनका सोचना ऐसा ही है जैसा कि देहाती सोचता है कि अगर हमारे यहां गड़बड़ी होगी तो अंग्रेज फिर से आ जायंगे। अगर आप उसको अधिकार दे देते हैं तो कोई किसान जिसके पास भूमि है, वह हम से, आप से गंवार नहीं है। वह अक्लमन्द है और अपना नफा नुकसान खूब समझता है। अगर आप अधिकार दें तो मैं विश्वास करता हूं कि वह अपनी जमीन को बेचकर भिखारी नहीं हो सकता है।

आगरा टेनेंसी ऐक्ट, १९२६ में यह था कि २०० रुपये तक मालगुजारी देने वाला जमींदार अगर अपनी जमीन बेचना चाहे तो बिना कलेक्टर की इजाजत के नहीं बेच सकता था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप सीलिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं सवा छः एकड़ या साढ़े १२ एकड़ की सीलिंग कर देते हैं कि इतनी जमीन तक का खातेदार किसी भी सूरत में बेदखल नहीं किया जा सकता, चाहे वह रेहन करे, बैनामा करे या बटाई पर दे। इससे किसानों का स्थायित्व और विश्वास बढ़ेगा। देश में उत्पादन घट रहा है, हम विदेश से कर्जा खा रहे हैं, और किसान जमीन बटाई पर नहीं दे सकता। अगर देता है तो एक तलवार ऊपर लटकती रहती है कि गर्दन कट जायगी। एक तरफ आदमी बेकार बैठे हुए हैं वह चाहते हैं कि हम कुछ काम करें, दूसरी तरफ आदमी चाहते हैं कि हम अपनी भूमि बटाई पर दें लेकिन दोनों तड़प रहे हैं। कहा जाता है कि परिवार नियोजन करो। शर्म की बात है हमारे और सरकार के लिए कि इस देश में भूमि जोतने के लिए सुविधा प्रदान न की जाय, और विदेशों से कर्जा लें, बर्थ केट्रोल की शिक्षा दें। इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और करूंगा कि अपने खर्चे से सारे किसानों के लिए जमाबन्दी तैयार करवाएं। लेकिन अगर आप खर्चा नहीं कर सकते तो उनके ऊपर कुछ खर्चा लाद दीजिये। लेकिन सरकार की ओर से जमाबन्दी तैयार करायी जाय और उसमें खाते लिख कर हर काश्तकार के पास भेज दें। उसमें तभी तरमीम हो जब वह अपनी मर्जी से किसी को ट्रांस्फर कर दे। आपका नियम है कि कब्जिज के जरिये ट्रान्सफर कर देते हैं। वह इस प्रदेश के ८० फीसदी किसानों के विरुद्ध है। आज किसान सोच रहा है कि हमारे पास आराजी रहेगी या नहीं। यह अविश्वास और असन्तोष का वातावरण व्याप्त है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह सरकार कहती है कि टुकड़े-टुकड़े होने से बचाना चाहते हैं। इस नीति में सरकार का दिवालियापन साबित होता है। उन्होंने नियम बना दिया है कि तीन सही एक बटा आठ एकड़ से कम का पार्टीशन नहीं हो सकता है, चाहे दो सगे भाई भी बटवारा करना चाहें। वह भाई का हिस्सा तो नहीं बटेगा लेकिन अगर वह १० गुना दाखिल करके बैनामा करे तो ५ डिस्मल का भी बैनामा हो जायगा। तो कैसे आप सोचते हैं कि जमीन टुकड़े टुकड़े होने से बच सकेगी। चकबन्दी योजना में अधिष्ठात्री महोदया, नियम है कि अगर बेचना चाहते हैं अपनी जमीन तो अपने पार्श्ववर्ती के हाथ बेचें। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने दसगुना लिया यह कह कर लिया कि तुम इसके मालिक बनोगे और उसके बाद तुम्हारे सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन चकबन्दी कानून के जरिये से उस पर आप यह प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि कोई एक टुकड़ा अगर वह बेचना चाहे साढ़े तीन एकड़ से कम तो वह अपने पार्श्ववर्ती के हाथ बेंचे।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जो ब्रजनारायण तिवारी जी ने संकल्प रखा है उस पर मेरा संशोधन है। उसमें जहां यह लिखा है तीसरी लाइन में दो गुना, वहां दो गुने के स्थान पर बराबर रख दिया जाय।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इस अमेंडमेंट की हमारे पास कोई कापी आई नहीं।

श्री अधिष्ठाता—आप यह चाहते हैं कि शब्द "दो गुना" निकाल दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो मैं तो इस पर आब्जेक्ट करता हूं। यह इन-टाइम नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—आपका यह संशोधन, चूंकि अब आपत्ति हो गई है, इसलिए नहीं लिया जा सकता। आप वैसे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—माननीया, यह संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। जब से जमींदारी समाप्त हुई उसके समाप्त होने के पूर्व हमारी सरकार ढोल पीट-पीट कर कहती थी कि जमींदारी समाप्त होने के पश्चात् किसान जमीन का मालिक हो जायगा और अभी किसान और सरकार के बीच में जो एक बिचौलिया है उसकी वजह से किसान को ज्यादा पैसा देना पड़ता है और सरकार को भी बहुत खर्च करना पड़ता है। माननीया, जमींदारी खत्म हो गई। परन्तु दुःख है कि हमारी सरकार ने इसका खयाल न करके उसे और भी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। किसान जिस तरह से पहले उलझन में था, जिस तरह से कि पहले परेशानियों में था, उससे कहीं ज्यादा परेशानियों में अब पड़ता जा रहा है। किसान की मुख्य रोजी खेती है। उसी पर वह अवलम्बित है। उसकी दशा सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है।

जैसा कि ब्रजनारायण तिवारी जी ने कहा जिसके पास आज भूमि है, वह जब उस पर स्वतः खेती नहीं करता तब भी वह दूसरे को केवल इसलिए नहीं जोतने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

लिए दे पाता कि वह डरता है आपके उस कानून से जिसमें यह है कि अगर कोई एक साल तक किसी खेत को जोत लेता है तो वह उसका मालिक हो जाता है। तो जो व्यक्ति स्वतः खेती नहीं कर पाता है, उसके पास खेत अधिक हैं या साधन कम हैं, तो वह भूमि चाहे वैसे ही पड़ी रहे लेकिन दूसरे को देने को वह तैयार नहीं होता। माननीया, बड़ी-बड़ी आशायें थीं किसानों को। हमारी सरकार किसानों पर ही आधारित है और इस प्रदेश का ८० प्रतिशत जनजीवन आज देहात में ही रहता है, उसका मुख्य पेशा एक ही है और वह है खेती। लेकिन सरकार कोई भी ऐसा कानून या संशोधन नहीं लायी जिससे गरीब किसान को कुछ राहत मिलती। हमारी सरकार का जो दसगुना जमा करने का कानून है उसमें यह है कि दसगुना पहले जमा कर दो तब तुम उसके मालिक होगे और उसके बाद लगान आधा होगा। तो जब वह दस गुना जमा करे तब आधे लगान का हकदार होता है। इसमें ऐसा संशोधन नियम में होना चाहिए था कि दस गुना न लेकर के ही आधा लगान कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा था।

महोदया, आज हमारे माननीय माल मंत्री जी किसी दूसरे कानून में तो संशोधन लाते हैं जैसे बिक्री कर या पंचायत राज आदि में लेकिन किसानों के लिये किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं लाते हैं। यदि कागजात देही में देखा जाय तो बहुत सी जमीनों में फर्जी नाम भरे हुये हैं। जमीन नहीं जोतते हैं, न बोयें हैं और न हकदार हैं लेकिन लेखपाल से यदि लड़ाई चल रही है तो उसका नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया। उस गरीब को मालूम नहीं है लेकिन सरकार की तरफ से इतने समय बाद उसके पास सूचना पहुंचती है कि उसके ऊपर इतने दिनों का लगान बाकी है। उसको पता नहीं चलता है कि किस तरह से इतना लगान उसके ऊपर हो गया। उन लोगों के पास नोटिस पहुंचता है। वे लोग परेशान हैं। न तो वे खेत जोतते हैं और न उनको मालूम है कि कौन उस खेत को जोतता है लेकिन उनके पास नोटिस पहुंचता है। उनको मालूम भी नहीं हो पाता है कि लेखपाल ने कैसे दर्ज कर दिया। इस प्रकार के कागजात में सुधार होना चाहिये। इस का सर्वे होना चाहिये और इस बात को देखना चाहिये कि कौन उसका सही मालिक है। पार्टी वाले लोग लड़ाई के कारण उसका नाम कागज में इन्दराज करवा देते हैं। असल काश्तकार दूसरा ही होता है। इन चीजों का सुधार होना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किसानों पर इस लगान का बड़ा भारी बोझ पड़ रहा है। इसका ठीक तरीके से सर्वे होना चाहिये ताकि कानून की सही रूप से पाबन्दी हो।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज किसानों के लिये यह प्रस्ताव हमारे मित्र ब्रजनारायण जी तिवारी ने उपस्थित किया है। मैं उसके अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि फलां मंत्री जी सदन में नहीं हैं। चूंकि हमारे माननीय उपमंत्री, श्री यादव जी, एक रिस्पांसिबिल व्यक्ति हैं और गवर्नमेंट के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, वह यहां पर विराजमान हैं। इसके अलावा हमारे माननीय माल मंत्री भी यहां पर सुशोभित हैं लेकिन अगर वे न होते तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं थी चूंकि माननीय यादव जी भगवान् कृष्ण के वंशजों में से हैं। "यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति र्मतिर्मम।" भगवान कृष्ण जहां पर विद्यमान है वहां जरूर विजय होती है। मेरा यादव जी से नम्र निवेदन है कि वह क्षत्रिय वंश के हैं। इसलिये क्षत्रिय कहलाना उनको शोभा देता है। वह हमारे महारथी हैं और महारथी होकर ही रहें। इसलिये हमने अपने जिले सहारनपुर में क्षत्रिय समाज का प्रधान यादव को बनाया है। वह अपने को बैकवर्ड न कहें। वह तो भगवान् कृष्ण के वंशज हैं, भगवान् कृष्ण के वंशजों के साथ बैकवर्ड शब्द जुड़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिये वह अपने हृदय से इस शब्द को निकाल दें। स्वयं को क्षत्रिय घोषित करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो बहुत एडवान्स्ड हैं।

श्री यशपालसिंह—यह मैं भी मानता हूं कि वे ऐसे हैं। मुझे यह अर्ज करना है कि जमीन के मामले में जो गलत इन्दराज हुये हैं उनमें किसान सफरर है। जिसने गलती की उसको सजा नहीं मिलती है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में गलत इन्दराज हुये उनको भी सजा नहीं मिलती। जो किसान है वही मारा-मारा फिरता है और उसको ही अधिक नुकसान पहुंचता है। वही कोर्ट में भागता फिरता है। मैंने ऐसे केसेज देखें हैं जिनको १ १/२ साल हो गया लेकिन उनके इन्दराज आज तक सही नहीं हो सके। गलत इन्दराज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर होनी चाहिये लेकिन उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। इस तरह से तहसील देवबन्द के एक गांव शिवलाना का एक काश्तकार है जिसने १० गुना लगान भर दिया है। काश्तकार दस गुना लगान दे चुका है। लेकिन उसका नाम पटवारी के कागज में दर्ज नहीं है। वह पूरा लगान देता है। जब वह लगान नहीं दे सकता है तो उसको पकड़ कर जेल में डाला जाता है। तहसीलदार के यहां कहा जाता है कि सनद पेश करो तो उसने सनद पेश कर दी लेकिन फिर भी उसका नाम दर्ज नहीं होता तो फिर दोबारा वह लगान न देने पर जेल में बन्द कर दिया जाता है। वह पूरा लगान दे रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि किसी प्रकार से भी हो इस तरह की जो मुसीबत काश्तकारों पर पड़ रही है यह उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिये। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है और जो गलत इन्दराज हैं उनको सही करने की ड्यूटी भी सरकार की ही होनी चाहिये।

इसके अलावा एक दरख्वास्त मेरी है। माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आप स्वयं न्यायप्रिय हैं और इन्साफ की बात करेंगी और मैं यह अपने माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार से जो चकबन्दी का खर्च वसूल किया जाता है वह नहीं लिया जाना चाहिये। सरकार ने चकबन्दी हमारी गरज में नहीं की है, यह चकबन्दी उसने अपनी गरज में की है। हमारे ८० फीसदी किसानों ने यह नारा लगाया था कि चकबन्दी नहीं होनी चाहिये और आज भी हमारे देहातों में यह हालत है कि चकबन्दी से लोग इतने भयभीत हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो उनकी मांयें उनको चुप कराने के लिये कहती हैं कि चुप रहो, चकबन्दी वाले आ रहे हैं। तो चकबन्दी से गांव का किसान इतना ज्यादा भयभीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसमें किसान को ही परेशान करत हैं और उसी से उसका खर्च वसूल किया जाता है। जब कोआपरेटिव्ज कायम हो रही हैं तो उनको ही यह हक दिया जाय कि वे चकबन्दी करें या न करें, लेकिन जबरदस्ती काश्तकार पर चकबन्दी लादना कहां का इंसाफ हो सकता है ?

"अजीब माजरा है कि बरोजे ईदे कुर्बां,
वही जिबह भी करे और वही ले सवाब उलटा।"

हम लोगों को ही उजाड़ा जाता है और हमसे ही उजाड़ने का खर्चा वसूल किया जाता है। यहां माननीय आचार्य दीपङ्कर जी सुशोभित हैं। सहारनपुर में रामपुर से लेकर बड़ौत तक के सारे किसानों की फसल सूख गयी। उनके लिये पानी का इंतजाम नहीं हो सका। आचार्य जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दो करोड़ से ज्यादा की फसल का नुकसान हुआ। किसान का नुकसान इसलिये हुआ कि उसकी फसल को पानी नहीं मिल सका। नहर ६ हफ्ते तक सूखी पड़ी रही जून और मई के महीने में। ६ हफ्ते जिस नहर में पानी न जाय उस पर पलने वाली फसल का भगवान ही मालिक है। लेकिन उसके बाद भी किसान से आबपाशी का टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक तो यह कानून बनाया जाय कि जब नहरों में पानी न चालू हो अथवा वे ७ या ६ हफ्ते तक पानी न दे सकें तो उन के इरिगेशन टैक्स में उसी रेश्यो से कमी कर दी जाय जिस रेश्यो से पानी की कमी हुई है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम को पानी भले ही एक बार मिले अथवा दो बार, हम को पानी का पूरा टैक्स देना ही पड़ता है। मेरी अर्ज यह है कि श्री ब्रज नारायण जी तिवारी ने जो रेज्योलूशन रखा है, वाकई किसान की हालत आज शोचनीय है, अवर्णनीय है,

[श्री यशपालसिंह]

आज किसान बहुत ज्यादा दुख में है और इसलिये उसके लगान को फौरन कम करके मालगुजारी से दुगुना किया जाय ।

दूसरे जिस वक्त जमींदारी थी उस वक्त किसान चार पांच साल तक बिना लगान दिये भी रह सकता था । किसान जमींदार से अपनी मजबूरी जाहिर करता था और जमींदार प्रायः चार पांच साल तक भी उसे लगान अदा करने के लिये मजबूर नहीं करता था, वह बाद में लगान दे सकते थे । लेकिन आज ६ महीने बाद ही, अगर लगान नहीं दिया जाता, तो उसके बैल, उसकी गाड़ी कुर्क की जाती है, उसको करने खानेका सामान छीन लिया जाता है । मेरी दरख्वास्त यह है कि किसान के लिये कानून होना चाहिये कि उसका बैल, उसकी गाड़ी किसी हालत में भी नीलाम या कुर्क न की जाय, उसके खाने पीने का सामान किसी हालत में न छीना जाय । यह आजादी हमको मंहगी पड़ी है । इतनी मंहगी पड़ी है कि अंग्रेजों के जमाने में जो टैक्स हम देते थे, अगर आज हिसाब लगाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि हम उसका पांच गुना टैक्स देते हैं । किसान को आज पांच गुने ड्यूज देने पड़ते हैं । यह आजादी भी हमें मंहगी पड़ी है, यह मंहगी नहीं पड़ी उन मिल मालिकों को, उन कारखानेदारों को, उन बैंकर्स को, जो इस राज्य में फल फूल रहे हैं, किसान को यह मंहगी पड़ी है । इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि यह जुआ हमारे कंधे से उतारिये और आज से किसान को खुशहाल होने का मौका दीजिये । सीलिंग का बिल आप पास कर चुके है, कोआपरेटिव के विषय में बिल आप पास करने जा रहे हैं, जब इतने कानून बनाये जा रहे हैं तो काश्तकार को भी कुछ राहत दी जाय, उसे राहत मिलना चाहिये, लेकिन अगर इन नये कानूनों का खर्च काश्तकार पर डाला जायगा तो उसकी कमर टूट जायगी ।

इसके साथ ही साथ मुझे यह भी अर्ज करना है कि जब तक किसानों के लिये इस तरह की सुविधायें नहीं होंगी, इरिगेशन के मामले में वह इन्डिपेन्डेन्ट नहीं होंगे, उनके लिये आबपाशी का ठीक इंतजाम नहीं होगा, तब तक प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती । एक तरफ तो हम देखते हैं कि माननीय मंत्री जी की कृपा से सैकड़ों ट्यूब वेल्स लगे हुए हैं, मगर वे बन्द पड़े हुये हैं, कोई पानी लेने वाला नहीं है, दूसरी ओर जहां जरूरत है, जहांपर लोग चाहते हैं कि उनके यहां ट्यूबवेल्स लगाये जायं, वहां पर नहीं लग रहे हैं । मेरठ डिवीजन में किसान पानी के लिये तरस जाते हैं, उनकी फसलें पानी न मिलने के कारण सूख जाती हैं, मवेशी अन्धे होकर गिर पड़ते हैं, वहां उनके लिये कोई पानी का प्रबन्ध नहीं है । वहां पर लोग अकसर इसके लिये भी तैयार हैं कि वहां पर अगर ट्यूबवेल्स लगाये जायं तो उसका आधा खर्च उनसे ले लिया जाय. . .

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--माननीया, इस समय कोरम नहीं है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--कोरम के लिये सवा दो बजे तक तो कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--वह १ बजे से २ बजे तक ही है ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री यशपालसिंह--मैं अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो पानी के लिये किसान तरस रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ट्यूबवेल्स लगे हुये हैं जो बन्द पड़े हुये है । आज किसानों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि तहसील देवबन्द के सोनार्जुनपुर गांव में चकबन्दी ने लोगों को बरबाद कर दिया । वे लोग माननीय मंत्री जी तक से मिले, मैं खुद भी माननीय मंत्री जी से मिला, एक बार नहीं दस दस बार मिला, माननीय मंत्री जी ने हुक्म तक दिया लेकिन उस हुक्म पर कोई अमल नहीं किया गया । जो आर्डर दिया गया था उस पर एक इंच भर भी अमल नहीं किया गया । बरबादी ज्यों की त्यों वहां पर कायम रही । तो यह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, नौकरशाही का

बोलबाला है, रेड टेपिज्म है। जब यह हालत है तो किसान कैसे सुखी रह सकता है। यह राज्य क्लर्कों का राज्य है। इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही आदि बढ़ी है। मैं यह अर्ज करूं, माननीय मंत्री जी इस समय विराजमान हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त पर खुद हुक्म दिया जिसे पूरा एक साल हो गया, लेकिन अभी तक चकबन्दी मुहकमे ने उस पर कोई अमल नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जो यह रिजोलूशन है वह भूमि अधिनियमों में खामियों के बारे में है, इसमें और जनरल बातों का जिक्र कहां से आ गया। उसके लिये तो यह कोई समय है नहीं कि पुलिस पर भी विवाद किया जाय, और बातों पर भी कहा जाय। माननीय सदस्य को विषय की रेलीवेंसी और इर्रेलीवेंसी पर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री यशपालसिंह—मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इसलिये दिला रहा था कि इसका ताल्लुक रेवेन्यू के साथ था और माननीय माल मंत्री जी का उसके लिये खुद हुक्म था।

मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस समय लगान के बोझ से जो किसान दबता चला जा रहा है उसके लिये हमारे तीन सुझाव मंजूर किये जायं। मालगुजारी से दुगुना लगान किया जाय। दूसरा सुझाव यह है कि जमींदार अपने काश्तकार को जो रिआयतें देता था ३-४ साल तक वह रिआयतें सरकार कम से कम अपने किसान को दे और बैलों का, गाड़ियों का, हल का, उसके खाने, करने के सिलसिले में किसी तरीके से भी इन चीजों की कुर्की का वारन्ट जारी न हो। तीसरा सुझाव यह है कि इस समय जहां ट्यूबवेल्स का इंतजाम नहीं है गवर्नमेंट किसानों की तरक्की के लिये खुले तरीके से ट्यूबवेल के लिये तकावी दे और वह तकावी सीधे दी जाय। यह नहीं कि मौजूदा तरीके से ८-८ महीने तक कागज फिर रहा है।

इन तीनों सुझावों के साथ मैं माननीया अधिष्ठात्री महोदया के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इन्नोसेंट प्रस्ताव को मंजूर किया जाय और किसान का लगान मालगुजारी के दुगने से अधिक न हो।

***श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैंने प्रस्तुत संकल्प को बड़े गौर से पढ़ा। इस संकल्प को मोटे तौर से ३ हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा यह है कि आज प्रदेश में जो भूमि अधिनियम है उनमें भारी कमी है और उनके द्वारा किसानों को बुनियादी अधिकार नहीं मिले हुए हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि आज लगान कायम करने का तरीका दोषपूर्ण है, वह लगान अधिक है, उसको किसी कदर कम होना चाहिये। तीसरा हिस्सा यह है कि प्रदेश के जितने किसान हैं सब को एक श्रेणी में रखा जाय और सब को एक से अधिकार दिये जायं।

माननीया, मैंने बड़ी चेष्टा की कि इन तीनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से से भी मैं अपनी सहमति प्रकट कर सकूं, परन्तु मुझे खेद है कि मुझे इन तीनों हिस्सों में कोई जनहित, किसान हित या सारे प्रदेश के हित की बात दिखाई नहीं पड़ी और खास तौर से जो तीसरा हिस्सा इस संकल्प का है उस पर तो मुझे कांस्टीट्यूशनल आपत्ति है। मान्यवर, कांस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके पहले आर्टिकिल १४ में यह दिया हुआ है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। जिसका इंटरप्रिटेशन यह हुआ कि जो नागरिक एक सी परिस्थिति में हैं उनके संबंध में कानून एक सा बर्ताव करेगा। आज आप देखें कि प्रदेश में किसान मुख्तलिफ हालात में हैं। कुछ ऐसे हैं जिन के पास जमीन अपनी नहीं है, वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

स्वयं मालिक नहीं हैं, मालिक गांव समाज है। आज जो कानून इस आदरणीय सदन ने पास किये हैं उनके द्वारा वह जमीन गांव समाज की है जिस पर सारे गांव के नागरिकों का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, लेकिन खेती करने के लिये वह कुछ किसानों को दी हुई है। इसके बरअक्स कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनमें किसान हल चलाता है, वह जमीन उसी की है, लेकिन उसमें लगान का १० गुना दिया हुआ है और वह उस वक्त दिया था जबकि आपको एक बड़ी धनराशि की जमींदारी विनाश के लिये आवश्यकता पड़ी, उस वक्त उसने सरकार को उस बड़ी योजना में सहायता दी। तीसरे किस्म के काश्तकार वह हैं जिनकी जमीन अपनी है, अपना हल चलाते हैं, लेकिन १० गुना नहीं दिया।

इस प्रकार आज प्रदेश में किसान मोटे तौर से ३ हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, उनके तीन हालात हैं, तीन परिस्थितियां हैं और तीन मुख्तलिफ किस्में हैं। उनके साथ एक सा बर्ताव न करना संविधान की धारा १४ का उल्लंघन करना है। इसलिये मुझे एतराज है क्योंकि संकल्प का तीसरा हिस्सा संविधान के विरोध में है। इस संकल्प के पहले हिस्से में दिया हुआ है कि हमारे जो भूमि व्यवस्था के अधिनियम हैं उनके अन्दर कोई बुनियादी उसूल नहीं है। इस सदन में सरकार की ओर से बार-बार घोषणा की गई कि हमारे भूमि व्यवस्था कानूनों की एक आधारशिला है और वह यह कि जमीन उसकी है, जिसका हल चलता हो। जितने भी भूमि संबंधी कानून हैं उनके अन्दर यह उसूल रखा गया है कि जमीन से कोई काश्तकार बेदखल नहीं किया जायगा किसी भी हालत में और जिस जमीन पर किसान का हल चलता है उसपर खेती करने का उसको पूरा अधिकार रहेगा। इसलिये मैं नहीं समझ पाता कि खेती करने के संबंध में कौन से बुनियादी अधिकारों के सुझाव देने की आवश्यकता आ पड़ी।

जहां तक लगान का संबंध है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं और मैं समझता हूं कि आज खेती की उपज के जो दाम हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं और न लगान की दरें ही छिपी हुई हैं। लगान एक तरह का रेंट है जोकि इकट्ठा हो करके पब्लिक एक्सचेकर में जाता है और उससे देश और प्रदेश में नयी-नयी योजनायें फैलती हैं। बादल की तरह से पानी किसानों से ही उठता है और उन्हीं पर बरसता है। जो माननीय सदस्य आज लगान में कमी की बात करते हैं मैं समझता हूं वह प्रदेश के अन्दर पब्लिक सेक्टर द्वारा बड़ी बड़ी योजनायें चलाने की जो बात हो रही है उसके विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर के हामी मालूम होते हैं। आज अगर किसान को अपनी उपज से किसी प्रकार लगान देने में कोई दिक्कत होती तब तो यह तर्क कुछ समझ में आ सकता था लेकिन हम देखते हैं कि आज किसान अपने खेतों का लगान अपनी जायद फसल से ही दे डालता है, इसके लिये उसे अपना गेहूं भी नहीं बेचना पड़ता। सरसों वगरह जो जायद फसलें होती हैं या भादों में जो जायद फसलें होती हैं उसी से किसान लगान दे डालता है।

आज जब देश और प्रदेश दौलत की पैदावार के इजाफे के लिये नयी-नयी योजनाओं में लगे हुये हैं और सरकारी कर्मचारियों की, जो छोटी-छोटी तनख्वाहें हैं, उनको बढ़ाने के लिये नयी नयी धनराशियों को ढूंढने में लगे हुये हैं उस वक्त अगर प्रदेश के किसी वर्ग से किसी प्रकार के टैक्स या रेंट को कम करने का सुझाव आये, जिसको देने में जनता को कोई विशेष दिक्कत न हो रही हो, वह कहां तक जनहित में होगा यह समझ में नहीं आता। हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में दौलत की पैदावार में जो इजाफा हुआ है वह और प्रदेशों के मुकाबले में कम हुआ है इसलिये मेरी नाकिस राय में ऐसे सुझाव दिये जाने चाहिये, ऐसी कोशिश होनी चाहिये जिससे कि प्रदेश के अन्दर दौलत की पैदावार में इजाफा हो। मैं तो इस हदतक जाऊंगा कि भले ही ऐसा करने में हमें किसी वर्ग विशेष पर कुछ ज्यादा बोझ डालना पड़े तो भी ऐसा करना चाहिये। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हमें अपनी योजनाओं के लिये अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी और किसान वर्ग ही हमारे देश का सबसे बड़ा वर्ग है। हमारी

आमदनी का बड़ा हिस्सा किसानों से लगान के रूप में आता है। इसलिये यदि आज हमने किसी प्रकार भी किसान के लगान की दरों में कमी की बात सोची तो इससे किसानों को तो राहत नहीं मिल सकती लेकिन हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं उनमें कटौती हो जायगी जिसके फलस्वरूप हमारे खेतों की पैदावार, आबपाशी की योजनाओं, बिजली की योजनाओं, यातायात के साधनों पर असर पड़ सकता है, और अन्त में हमारे प्रदेश की आमदनी में इजाफा करने की जो बात है, जिसके लिये हम पिछले १० वर्षों से कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाये हैं, उसमें धक्का लगने की संभावना होगी।

अन्त में मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा कि खेती की पैदावार किसानों से खास संबंध रखती है, और खेती की पैदावार का मतलब खाद्यान्न से है। खाद्यान्न हमारे देश के जीवन में एक विशेष मानी रखता है। भूमि-व्यवस्था कानून में हम बराबर तब्दीलियां करते आये हैं जिससे एक प्रकार की अनिश्चितता किसानों के दिमाग में पैदा हो गई है। हमें लैंड रिफार्म्स फ्रन्ट पर कुछ समय के लिये शांति पैदा करनी चाहिये, इस तरह का विश्वास लोगों में पैदा करना चाहिये कि निकट भविष्य में लैंड के कानून में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। इससे किसान खुलेदिल से खाद्यान्न की पैदावार में योगदान देगा और पूरा जायजा वह लगा सकेगा। आज अवस्था यह हो गई है कि डैमोक्लीज की तलवार की तरह से कानून के सुधारों की तलवार किसान और किसानी के ऊपर लटकी रहती है। वह सोचता है कि खेत में धन लगाना कहीं आगे आने वाले कानून से उसके लिये बेफायदे की चीज न हो जाय। आज जितने भी लैन्ड रिफार्म्स हमारे प्रदेश में हैं वे समुचित हैं और किसान उनसे पूर्णतया संतुष्ट है। उनमें कुछ काल के लिये किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं।

सच्चरित्र नागरिकों को गांव की सुरक्षा के लिये फायर आर्म्स खरीदने की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

संसदीय विषयक उपमन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)——पहले संकल्प पर १ और २ बजे के बीच में मतदान नहीं हो सका। वह ले लिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——माननीया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब प्रस्ताव सदन में आया था उस समय माननीय मंत्री जी को यह समझ आनी चाहिये थी। तो क्या यह उचित है कि माननीय मंत्री जी को जब इलहाम हो जाय तभी चेयर से प्रार्थना कर दें।

श्री अधिष्ठाता——१ से २ बजे तक मतदान नहीं लिया जा सकता था।

प्रश्न यह है कि यह सदन का निश्चित मत है कि गांव की सुरक्षा के लिये २५० की जन-संख्या या उसके किसी अंश पर प्रत्येक सच्चरित्र नागरिक को फायर आर्म्स को गांव सभा की अनुमति से खरीदने की सुविधा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

भूमि अधिनियमों में सुधार करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——माननीया, माननीय ब्रजनारायणजी तिवारी का प्रस्ताव २,३ दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी माननीय शिवराजसिंह भाषण दे रहे थे। उनके भाषण का जहां तक मैं उद्देश्य समझ पाया वह यह था कि किसानों को तो बुनियादी हक पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और अब किस बुनियादी हक के लिये ब्रजनारायण जी

[श्री उग्रसेन]

यह प्रस्ताव लाये हैं। इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं, क्योंकि सभी किसानों के वोट पर आये हैं, जो शहर के नहीं हैं, वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सामने नित्यप्रति किसानों के ऐसे मसले उपस्थित होते हैं कि उनके खेतों के संबंध में उनकी हालत आज कितनी बदतर होती चली जा रही है। किसान २० वर्षों से जोतता चला आया है मगर बाद में उसे पता चला, कोर्ट का समन आने से, कि कागज में उसका नाम नहीं है। पुराने जमींदार और माननीय मंत्री जी के कुछ कर्मचारी भी हंस कर बड़े हल्के तरीके से, यहां तक कह देते हैं कि अगर आइन्दा खेत को जोतना है तो पहले कागज को जोतिये। मेरा मतलब है लेखपाल की खसरा और खतौनी से। जो किसान प्रदेश का राजा है वह खसरा खतौनी जोतना नहीं जानता है। वह तो सुबह कंधे पर हल रखकर खेत पर जाकर उसे जोतता है। एक पुश्त जोतता है, दो पुश्त जोतता है लेकिन चूंकि वह रामदेव किसान पटवारी के कागजात नहीं जोतता है इसलिये खेत हो गया रामदेव के नाम। आजमगढ़ जिले से माननीय चन्द्रजीत जी आते हैं। वहां कितनी बेदखलियां ६ वर्ष पहले से हुई हैं ? माननीय मंत्री जी कभी-कभी आंकड़े भी देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि जोते बोवे वही किसान मालगुजारी होय लगान। यह सोशलिस्ट पार्टी का नारा है। सन् ४९ में लाखों किसानों ने विधान भवन के सामने भी प्रदर्शन किया था। तो माननीय मंत्री जी बतावें कि करोड़ों की संख्या में जो किसान खेत को जोतते हैं, वे भले ही मंत्री जी के भाषण में खेत के मालिक हो जाते हों, परन्तु वे असली मालिक क्यों नहीं बनाये जाते हैं ?

मैं कुछ इस जमींदारी विनाश कानून से पढ़ना चाहता हूं, जिससे स्थिति साफ हो जायगी। पहले जोतने वाले कई तरह के होते थे, वे अंग्रेजी जमाने के थे। अब एक तो भूमिधर बन गये जो पुरानी सीर रखने वाले जमींदार थे। काश्तकार सीरदार हो गये। सरकार ने कहा कि १० गुना लगान दे दो तो हम तुमको भूमिधर बना देंगे। भूमिधर बनने में जो उनकी हालत बिगड़ी और सरकार की भी बिगड़ी उसका यही नमूना है कि १५० करोड़ में मुश्किल से २८,३० करोड़, यानी १/४ से भी कम, १० गुने का रुपया जमा हुआ। यह भूमिधर और सीरदार का क्या फ़्राड है ? जमींदारी विनाश कानून की धारा १५२ और १५३ मंत्री जी देखें। १५२ है--

"The interest of a *bhumidhar* shall be transferable subject to the conditions hereinafter contained in this chapter".

भूमिधर लोग अपने धन को दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं। धारा १५३ में है कि--

"Except as expressly provided by this Act, the interest of a *sirdar* and *asami* shall not be transferable."

सीरदार अगर चाहे कि लड़की की शादी के लिये, बच्चे की पढ़ाई की लिये या बापदादा की दवाई के लिये अपना खेत बेच दे तो वह नहीं बेच सकता है। पता नहीं माननीय शिवराज सिंह जी कहां चले गये हैं, पर वह बातों में मशगूल हैं। भूमिधरों के बारे में देखा जाय कि भूमिधर कौन हैं ? वही पुराने जुल्मी जमींदार हैं जिनके बाप दादे किसानों का गला काटा करते थे। वे वही लोग हैं जो अंग्रेजों के जमाने में सफेदपोश बन कर उनके पास गये थे और कहा था कि हम २० गांवों की मालगुजारी वसूल करेंगे, हमें दे दिया जाय। उनको अधिकार आपने दिया है अपने परिवार वालों की दवा दारू के लिये या बच्चों की पढ़ाई के लिये जमीन बेचने का। लेकिन काश्तकार जो असली जमीन का मालिक है, उसको ये अधिकार आपने नहीं दिये हैं। माननीया, इन लोगों के मैनेजर साहब होते थे वे जिसको चाहते खेत देते और जिसको चाहते न देते, कह देते अब खेत दूसरे को देंगे तुमको नहीं देंगे, नतीजा यह हुआ कि उन लोगों का नाम खसरे में आ नहीं पाया। आज भी असामी नहीं जानता कि ग्राम सभा से उसको क्या मिलता है और उसके क्या अधिकार हैं। आपने काश्तकारों के दो विभाग कर दिये इसलिये कि आपने भी अंग्रेजों की वही फूट की नीति अपनायी है कि फूट करो और

राज्य करो। सरकार ने देखा कि अगर सब किसानों को एक ही प्रकार के अधिकार देंगे तो ये सब संगठित हो जायंगे, इसलिये दो टुकड़े कर दिये। उसका नतीजा यह है कि आज प्रदेश में भूमिधरी, सीरदारी और असामी के लिये लड़त-लड़ते-लोग तबाह हो रहे हैं और एक-एक मुकदमा ७०–७० और ८०–८० बार पड़ता है। आखिर म किसान तंग होकर खेत छोड़ देता है।

सरकार ने मोटे-मोटे कानून बनाये हैं। चीन और रूस के कानूनों को मैंने देखा है। जितनी मोटी आपकी किताब है इतनी मोटी तो उनके कई विभागों के कानूनों की होगी। जो लोग इस काम में भी लगे हुये हैं वे पूरे तौर पर आपकी इस किताब को समझ नहीं पाते। किसानों के हकों पर कुठाराघात करने के लिये आपने उनको कई श्रेणियों में बांट दिया है, उसकी पीठ आज टट चुकी है और वह कराह रहा है उससे पूछा जाय कि उसकी हालत आज क्या है। हिन्दोस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, देवरिया गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती जौनपुर, वाराणसी के लोग आज सर्वहारा तेजी से बन रहे हैं, जो छोटे-छोटे खेत उनके पास थे उनको छोड़ कर जा रहे हैं। एक दो साल उसका नाम खसरा खतौनी में न लिखा गया और उससे खेत छिन गया। आज वह इस प्रदेश को छोड़कर बाहर जा रहा है। वह आसाम गया और वहां उसकी जो हालत हुई वह आप से छिपी नहीं है। दूध बेचने वह बंबई गया और वहां की सरकार ने उसको बन्द कर दिया और उसको वापस आना पड़ा। घास बेचने वह गुजरात गया और वहां से भी वह वापस आया।

अब कहा जाता है कि भिलाई और रूराकेला जाओ, वहां से वह टी० बी० का मरीज होकर आता है। अब सरकार के इस कानून की मार खा कर वह सर्वहारा होता जा रहा है। अब उसके पास सिर्फ हाथ का दम बाकी है। घर पर उसके कोई जमीन नहीं रह गयी है। तबाह होकर वह बाहर चला गया है। अगर सरकार की नीयत किसानों को अधिकार देने की होती तो आज किसान के हल के नीचे की जमीन निकल न जाती। सरकार जरा देखे कि जमींदारी टूटने के समय उत्तर प्रदेश के किसानों के पास कितनी जमीन थी और आज उनके पास कितनी जमीन है उनके हाथों से जमीन खिसक कर टाटा, बिड़ला और खेतान के रिश्तेदारों के पास चली गयी है। अब बताइये उनको कहां अधिकार मिलते हैं। अधिकार मिलते तब समझे जाते जब हमको खेत दे दिया जाता और कहा जाता कि खेत के मालिक तुम हो, न खसरा रहेगा और न खतौनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों को सही अधिकार आपने दिये नहीं हैं।

मालगुजारी के बारे में माननीय ब्रजनारायण तिवारी ने काफी कहा। मैं क्या कहूं एक हमारी मांग थी कि मालगुजारी हो या लगान। ७ करोड़ जो माननीय मंत्री जी लेते थे वही लेते किसान से। लेकिन उनको सब्र नहीं हुआ। १७ करोड़ वाले जा रहे हैं तो वह कहां जायेगा २४ करोड़ लेने लगे। अंग्रेजों के जमाने में मंत्री जी भाषण देने जाते थे तो कहते थे कि किसानो। कांग्रेसी राज्य होगा तो तुम जमीन के मालिक हो जावोगे और लगान बिलकुल नहीं लिया जायेगा, कोई कहता था कि आधा लिया जायेगा और कोई कहता था कि तिहाई हो जायेगा। लेकिन किसान जो दो ढ़ाई, सवा रुपया और १४ आने तक देता था अब ७ रुपया और ८ रुपया तक मंत्री जी उससे लेते हैं। पता नहीं माननीय मंत्री जी के हाथ में राजस्व विभाग कब तक रहेगा ? कितनी फुलझड़ियां छोड़ी जायेंगी ? किसान उस राकेट को बरदाश्त नही कर पायेगा।

श्रीमन्, मुझे याद है, लाखों आदमी जब प्रदर्शन करके अमीनुद्दौला पार्क में इकट्ठे हुये थे, स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव बीमार थे, लेकिन वह सभापतित्व करने आये, उस समय उन्होंने अपनी तकरीर में यह कहा था और दुखी: होकर कहा था कि हमारी सरकार को मर्जे मुहब्बत जरुर है, काश ! उन्हें दर्दे दिल होता, महसूस करते कि किसान कहां रोता है। श्रीमन्, हमारे माननीय मंत्री लोग जाते हैं गांवों में तो किसान सामने आता नहीं है। आते हैं बड़े-बड़े राजा-महाराजा और टाटा-बिड़ला के नाती पोते। चिथड़ों में लिपटा किसान नहीं आता। वह जानता है कि सरकार से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है।

[श्री उग्रसेन]

सब किसानों की एक श्रेणी हो । श्रीमन्, जो फालतू जमीन थी वह गांव समाज को दे दी गई । लेकिन गांव समाज का असामी बनने वाला जो किसान है अगर उसका कोई अधिकार नहीं रहा तो इससे किसान को कोई फायदा नहीं है । तो मैं चाहता हूं कि किसानों की एक श्रेणी सरकार बना दे । अगर किसानो को जमीन का मालिक सही माने में नहीं मानते तो जमीन खिसक कर उन्हीं के पास चली जायेगी जिनके पास जमींदारी विनाश से पहले हजारों एकड़ थी और जो अब तक यांत्रिक फार्म के नाम पर दबाये बैठे हैं ।

हमारे प्रदेश में ७४ प्वाइंट कुछ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है । शायद ही हिन्दुस्तान का कोई और दूसरा सूबा ऐसा हो जहां इतने प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती हो । हिन्दुस्तान का प्रतिशत ६९ फीसदी है खेती पर मुनहस्सर करने वालों का । तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में खेती पर मुनहस्सर करते हैं । साथ ही आबादी बढ़ती जाती है और पैदावार की यह हालत है कि पंचवर्षीय योजनायें लागू होती जा रही हैं लेकिन पैदावार कुछ नहीं बढ़ती है ।

मंत्री जी से मैंने कहा कि मेरे गांव का पटवारी बदमाशी करता है । उन्होंने कहा, सब्र करो, तीसरी पंजवर्षीय योजना लागू होने दो, सब ठीक हो जायगा । मैंने कहा कि बाग लगवा दीजिये या कुआं बनवा दीजिये तो उन्होंने कहा कि तीसरी योजना आयेगी तो सब हो जायेगा । यानी तीसरी योजना में विद्यार्थियों का आचरण ठीक हो जायेगा, भ्रष्टाचार बन्द हो जायेगा, सब ठीक हो जायेगा । सबकी एक रामबांण अचूक औषधि है । लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है । होता कुछ नहीं है । प्रदेश का किसान इस सरकार के जुल्मों की चक्की के नीचे पिस रहा है । मैं माननीय ब्रजनारायण तिवारी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब भी इस हालत में, जब दूसरी योजना समाप्त हो रही है, तीसरी की रिपोर्ट आ गई है, मंत्री जी को बड़े अच्छे समय पर सुझाव दिया है । कम से कम हमको इस प्रदेश के किसान नहीं कहेंगे कि हमने अपना फर्ज नहीं अदा किया । अतः मैं फिर कहूंगा कि अब उचित समय है, अब भी सरकार हमारी मांग मान ले । हां, वसूली में जो खर्चा होगा उसको हम देने को तैयार हैं और किसानों की एक श्रेणी बना दें और जो पोथा बनाये हैं इनसे किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं ब्रजनारायण तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं चाहता हूं अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अभी तो १ घंटा ही पेश किये हुआ, अभी विवाद समपत करने का सवाल उठा दिया ।

***श्री दाताराम चौधरी** (जिला सहारनपुर)--महोदया, माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी का संकल्प है कि किसान बुनियादी अधिकारों से वंचित है, अतः ऐसा सुधार कर दिया जाय जिसमें जमींदारी विनाश के पूर्व की मालगुजारी से दोगुना एवं स्थायी लगान कायम हो ...''। मेरी समझ में नहीं आया कैसे उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया क्योंकि अधिकार तो किसान को जमींदारी समाप्ति के बाद दे दिये गये थे और उसके बाद जो सीरदार और दूसरे किसान थे, शिकमी काश्तकार थे, उन सब को सरकार ने पूरे अख्तियार दे दिये थे और बेदखली के तमाम कानून रद्द हो गये थे । यह हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, क्योंकि इतना बड़ा प्रान्त है यहां से भेजे हुये आदेशों पर अमल करने में कमियां हो सकती हैं । लेकिन यह कहना कि उन्हें कतई बुनियादी अधिकार नहीं है या और किसी तरह की तकलीफ है, यह बात उनकी मेरी समझ में नहीं आयी । माननीय यशपाल सिंह जी के भाषण से तो ऐसा मालूम हो रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत के समय किसान बड़ा सुखी था और अब दुखी है । इसके अलावा जैसे सालाना बजट पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहस होती है, कभी नहर, कभी पुलिस, कभी डाक्टर, कभी कश्मीर और कभी ट्रावनकोर की बात उठा दी। सवाल सिर्फ किसान की तकलीफ का है, जो तकलीफ उसको हो वह बतायी जाय न कि इधर उधर की तमाम बातें।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—महोदया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके कि कोई बात कश्मीर ट्रावनकोर की कही गई। जो बात कही गई किसानों के मुताल्लिक कही गई और इस विषय में जो गलतफहमी माननीय दाताराम जी को हुई है उसे दूर कर लें तथा इस सदन में कोई बात ऐसी न कही जाय जो सत्य से दूर हो।

श्री दाताराम चौधरी—मैंने जो समझा वह कहा कि अंग्रेजों के समय में किसान को सुविधा थी, जमींदार ६,६ साल तक लगान वसूल नहीं करते थे। क्या आज भी उसी तरह की जमींदारी कायम करना चाहते हैं? आज जिस आराम से अपनी जमीनों पर किसान काबिज है, और पैदावार को बढ़ा रहा है यही हालत अंग्रेजों के जमाने में थी? तो जो मैं समझा उसके आधार पर मैंने कहा, हो सकता है मेरे समझने में कमी रही हो। लेकिन मंत्री जी ने इस बात पर आक्षेप किया था कि यह कोई पुलिस का बजट या कोई नहर का बजट है जिस पर विवाद चल रहा है। यहां तो भूमि व्यवस्था की बात चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी को दो तीन सुझाव देना चहाता हूं।

पिछले साल जो मालगुजारी का सर्वे हुआ नये सिरे से, तो नये लेखपाल आने की वजह से खाते छूट गये थे; मालगुजारी में बड़ी कमीबेशी हुई थी। उससे किसानों को बड़ी तकलीफ हुई। सहारनपुर में हजार-हजार रुपये लगान के, देने पड़ गये हैं। हो सकता है कि किसी गलती की वजह से रह गयें हों लेकिन गलती लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार करे और रुपया उससे किसानों को एक दम देनापड़ रहा है जिससे बड़ी तकलीफ हो रही है। माननीय मंत्री जी इसका कोई इन्तजाम करें ताकि आइंदा इस तरह की गड़बड़ी न हो।

एक बात यह निवेदन करनी है कि खाना कैफियत में गलत तरीके से इन्दराज हो जाता है। उससे गांवों में जो नये सिरे से झगड़े और मुकदमेबाजी होने लगती है उसका जरूर कुछ इन्तजाम किया जायगा। जो आदमी लेखपाल से मिल लिया उसने खाना कैफियत में अपना नाम दर्ज करा लिया जिससे नये सिरे से मुकदमेबाजी शुरु हो जाती है।

इसके अलावा जो गांव सभा की जमीन है उसकी रक्षा गांव सभा करती है कोई उस पर कब्जा कर लेता है तो मुकदमे का खर्च गांव सभा को करना पड़ता है, लेकिन जो आमदनी होती है वह सरकार ले लेती है, जब कि फायदा भी उसका गांव सभा को होना चाहिये। पहले तो जो नाजायज कब्जा हो जाता है वह जमीन छूटती नहीं, सरकारी कर्मचारी भी उसी का पक्ष लेते हैं और अगर मुकदमेबाजी के बाद छूटती है तो उसका मुनाफा गांव सभा के कोष में जाना चाहिये। यही सुझाव मुझे देने थे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो संकल्प माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव समय की मांग के अनुसार है और इस ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

हमारा प्रदेश यह कहने की जरूरत नहीं कि कृषि प्रधान है लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने कृषि सुधारों की तरफ से उपेक्षा की है। कृषि सुधार हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकल होना चाहिये, हमारे प्रदेश की भूमि व्यवस्था को, देखते हुये उसके अनुरूप होना चाहिये। लेकिन इन बातों की हमारी सरकार ने उपेक्षा की।

हम यह देखेंगे कि देश की स्थिति को देखते हुये जो चीज मौजूं है उसे नहीं किया गया। चकबन्दी को ले लीजिये। चकबन्दी ऐसा कानून हमारे प्रदेश की भूमि व्यवस्था के अनुरूप नहीं। जहां तक उसके सिद्धान्त का सवाल है चकबन्दी से किसानों के खेत इकट्ठा होने मे सहूलियत होगी। उनको जोतने और बोने में सहूलियत होगी। लेकिन यह वहीं फायदेमन्द हो सकती है जहां बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स हों, खातेदारों के पास ज्यादा जमीनें हों, क्या माननीय मंत्री जी

[श्री भीखालाल]

कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी होल्डिंग्स की बहुतायत है ? नहीं है । हमारे यहां छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं । एक-एक दो-दो एकड़ की होल्डिंग्स हैं जिनका तीन बटा चार हिस्सा प्रदेश में है । उनको हम किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं । एक या दो एकड़ वाले किसानों के खेत बिना चकबन्दी के ज्यादा से ज्यादा दो या तीन टुकड़ों में होंगे परन्तु चकबन्दी के बाद भी दो या तीन बनते हैं । आपने इन एक-एक दो-दो एकड़ को फिर भी बांट दिया । तो और भी कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है । क्योंकि छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं चकबन्दी का कानून आप लायें हैं । हम समझते हैं कि हमारा प्रदेश इन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ।

जमींदारी खात्मा कानून बना । उससे जो खास फायदा हमारे किसानों को पहुंचना था वह नहीं पहुंचा । हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं । उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने साधनों को जुटा सकें, खेत पर भरपूर महनत कर सकें, अच्छे बीज डाल सकें, अच्छी खाद डाल सकें । आज ऐसी उसकी स्थिति नहीं है कि वह यह सब कर सके । सरकार ने जमींदारी अबालिशन कानून बनाते वक्त इस पहलू पर गौर नहीं किया है । हम समझते हैं कि नहीं किया है और अगर किया होता तो सरकार को अब, जमींदारों से जितनी मालगुजारी मिलती थी, उससे ज्यादा मिलती है उसमें १० या २० प्रतिशत किसानों के हक में छोड़ती तो उनकी हालत सुधरती । मैं समझता हूं कि जिस वक्त जमींदारी नहीं खत्म हुई थी सरकार को जितना लगान ज्यादा जमींदारों द्वारा वसूल होता था, उसका लगभग ४० फीसदी सरकार को मिला करता था लेकिन अब अगर १०,२० फीसदी छोड़ दें तो भी उनको ८० फीसदी मिलने लगेगा । क्या सरकार इसको मुनासिब नहीं समझती कि कुछ प्रतिशत उसमें से काश्तकारों के लिये छोड़ दे ? इस परिस्थिति में मांग की गई है कि जमींदारी विनाश से पहले की मालगुजारी से दो गुना एवं स्थाई लगान कायम हो और वह स्थायी रूप से किया जाय । उन्होंने बहुत मुनासिब मांग की है इससे, जिसके लिये सरकार बहुत चिल्लाती है कि हमारी अन्न की व्यवस्था ठीक हो, हम आत्मनिर्भर हों, उसमें यह सहायक होगा । जब तक किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारी अन्न की समस्या हल नहीं होगी । हम, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, उनके ऊपर जो टैक्सेशन का बोझ है, उनको कम करने की कोशिश करें तभी हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और वह खाद्यान्न ज्यादा पैदा कर सकते हैं । म समझता हूं कि यह मुनासिब मांग है ।

दूसरी मांग हमारे माननीय सदस्य ने की है कि किसानों को एक सा अधिकार जमीन में दिया जाय । आपने भूमिधर, सीरदार, अधिवासी यह कई किस्म की श्रेणियां की ह उनको मिटाकर सबको समान अधिकार दिये जांय । माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि भूमिधर जिसने १० गुना दे दिया है उसको कैसे सीरदार के बराबर कर दें । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भूमिधरों में भी समान अधिकार देने मे विरोधाभास नहीं किया है उसमें भी कुछ आदमियों को बगैर १०गुना दिये हुये भूमिधर बनाने की आपने कोशिश की है । जब जमींदारी खत्म हुई तब जमींदार भी किसानों की श्रेणी में आ गये, ये दोनों एक ही श्रेणी में आ गये हैं । लेकिन इस कानून के जरिये से सरकार ने प्राविजन बनाया और जमींदारों से बिना १०गुना लिये हुये सीर और खुदकाश्त पर भूमिधरी के अधिकार उनको दे दिये लेकिन किसानों से १० गुना लेकर किया गया है । जमींदारों को बिना १० गुना लिये हुये ही रियायती लगान निश्चित कर दिया है । क्या यह विभेद नहीं है ? हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि किसानों की कई किस्म हैं और उनको एक समान लाने से विधान के प्रतिकूल हो जायगा । वह विधान के अनुकूल नहीं होगा । म पूछना चाहता हूं कि क्या यह विधान के अनुकूल है कि एक तरफ तो किसान से १० गुना लेकर उसको अधिकार दिये जांय और दूसरी तरफ बगैर १० गुना लिये हुये ही जमींदारों को अधिकार दे दिये जांय ? यह कहां से विधान के अनुकूल हो गया आप यह कहेंगे कि जमींदारी के खात्मे के साथ हमने बहुत से किसानों को अधिवासी बनाया है । हम जानते हैं कि किसान किस तरह से अधिवासी बने हैं । आपने जो किसानों को अधिवासी बनाने का अधिकार दिया है उसमें आज भी ५० फीसदी किसान उलझे पड़े हुये हैं और वह अधिवासी नहीं हैं । वे अदालत में दौड़ते हैं इसलिये कि आपके कानून में लूपहोल्स हैं जिससे किसान आज भी नहीं पनप पाये हैं ।

अभी कल मैं लखनऊ जिले के एक कठवारा गांव को गया था। वहां से शिकायत मिली थी कि प्रदेश में सब जगह तो जमींदारी खत्म हो गई है मगर वहां से अभी नहीं खत्म हुई। अखबारों में भी यह चीज निकली थी और शिकायती पत्र भी आये थे, हम भी वहां गये। हमने देखा कि वहां अब भी बेगार ली जाती है। चार आने रोज के हिसाब से वहां मजदूरी दी जाती है और अगर मजदूर काम करने नहीं जाता है तो पुराने जमींदार उसको पीटते हैं। आपके कानून में एस लूपहोल्स ह कि छोटे-छोटे किसानों को अधिवासी के अधिकार तो मिल गये लेकिन जमींदार उनसे गल्ला बंटवा लेते हैं। क्यों? इसलिये कि दोनों के नाम जमीन दर्ज है, किसान के नाम अधिवासी के रूप में और जमींदार के नाम भूमिधर के रूप में। हमने दूसरे पक्ष की भी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हमारा नाम भी दर्ज है, हम भी सरकार को लगान दत ह फिर हम क्यों न बंटवायें। वे भी ठीक हैं। हम कहते हैं कि आपने अधिवासी बना कर उन्हें और झंझट में डाल दिया। कानून में आपने उनको कोई ऐसा सहल तरीका नहीं बताया जिससे वे इन जमींदारों क शिकंजे स निकल सकें। माननीय, ब्रजनारायणजी ने जो प्रश्न उठाया है वह बिलकुल उचित है कि आप यह विभेद मिटाइये।

आज सीरदारों को तकावी नहीं मिलती है, भूमिधरों को प्रिफरेन्स दिया जाता है। क्यों? इसलिये कि भूमिधरों की हैसियत सीरदारों के मुकाबले में ज्यादा होती है। सीरदार अगर बैल के लिये तकावी लेने जाता है तो उसे नहीं मिलती क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है। भूमिधर को तकावी मिल जाती है। तकावी का कानून न मालूम कब का बना हुआ है। क्या उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है। मगर सरकार उन पुराने तरीकों को अब भी लागू करना चाहती है। वह कहती ह कि जिसकी ज्यादा हसियत देखते ह उसी को तकावी देते हैं। हम मानते हैं कि आप अदा करने की क्षमता देख कर दीजिये, लेकिन आज तकावी की किस को जरूरत है? बड़े किसानों को जरूरत है या छोटे किसानों को जरूरत है? लेकिन मौजूदा कानून के हिसाब से आज बड़े किसान को ही तकावी मिल सकती है और छोटे किसान को, गरीब किसान को, जिसके पास बैल नहीं हैं, बीज नहीं हैं, खाद नहीं ह, उसको तकावी नहीं मिल सकती। क्या इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है? इसमें आमूल परविर्तन करने की जरूरत है। आप जमीन बन्धक रख सकते हैं, उसकी फस्ल को जमानत में ले लीजिये लेकिन उसकी मदद कीजिये। इन सब बातों को देखते हुये यह कहना पड़ता है कि आज भूमि सुधार के कानून इतने डिफेक्टिव हैं कि उनसे किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचता।

अभी कल ही इस सदन में सीलिंग का एक कानून पास किया जो परषिद् में जायगा। मैं तो समझता हूं कि सीलिंग का कानून इस सरकार का भूमि सुधार सम्बन्धी आखिरी कानून है और इसके बाद कोई और कानून इस सम्बन्ध में आन वाला नहीं है जिससे किसान की अर्थ व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो सके। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे बतायें कि क्या उस कानून से कोई मदद इस प्रदेश के किसानों को मिलने वाली है? उस कानून में भी ऐसे चोर दरवाजे रखे गये हैं जिनके कारण गरीब किसान को कोई मदद नहीं मिल सकती। और सरकार ने जानबूझ कर वह लूपहोल्स रखे हैं यह मेरा प्रत्यक्ष आरोप है सरकार के ऊपर। उस कानून में पहले इस बात का प्राविजन रखा गया था कि वह सहकारी समितियां जो २० अगस्त, १९५९ को रजिस्टर हो चुकी हैं उनके ऊपर सीलिंग का कानून लगेगा लेकिन जो फाजिल जमीन बचेगी वह अगर सरकार चाहेगी तो उन्हीं समितियों को दे देगी वह ठीक था। हम चाहते हैं कि सहकारी कृषि समितियां बनें लेकिन यह नहीं चाहते कि सरकार एक गलत कानून बना कर बोगस समितियों को प्रोत्साहन दे। अब उसमें सरकार के जरिये से संशोधन यह हुआ कि २० अगस्त, १९५९ से पहले उनकी रजिस्ट्री हो जानी चाहिये थी। वह प्रतिबन्ध अब हटा लिया गया है। अब कोई भी कृषि समिति चाहे दो महीने पहले बनी हो, दस दिन पहले बनी हो या आज ही बनी हो या आइन्दा बने उनको मान्यता दे दी गई है। उनकी रजिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से वह अपने नौकरों को और घरवालों को लेकर जितनी चाहे उतनी जमीन बचा सकते हैं। तमाम बोगस समितियां बनी हैं और भविष्य में भी बनने की गुंजायश पैदा कर दी गई है।

न्यायमन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीया मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय सदस्य से कि रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। यह कहां पर है ?

श्री भीखालाल---धारा २७ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये आप रजिस्ट्रेशन ऐक्ट पढ़ लीजिये।

श्री भीखालाल---मैंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद ही कह रहा हूं कि आपके कानूनों में बहुत से लूपहोल्स हैं जिनके कारण जो छोटे किसानों को फायदा होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इसलिये आज इस बात की जरूरत है कि हमारे कानूनों में परिवर्तन हो और मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय ब्रजनारायण जी ने रखा है वह समय के अनुकूल है और सरकार को चेतावनी देता है कि आप किसानों की ओर ध्यान दें और गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लायें। ऐसा, प्रबंध होना चाहिये जिससे उनको अच्छी खाद मिल सके, अच्छे बीज मिल सकें, अच्छे बैल मिल सकें और कृषि के आधुनिक यंत्र मिल सकें जिससे वह हमारे यहां अन्न के उत्पादन में वृद्धि कर सकें और देश की समस्या हल हो सके। किसानों की श्रेणियों को मिटाया जाय, लगान में कमी की जाय। इसलिये म समझता हूं कि यह प्रस्ताव समयानुकूल है और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो ब्रजनारायण तिवारी जी ने प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि जिस रूप में यह रखा गया है वह असंगत, निरर्थक और विकास के कामों में बाधा डालने वाला है। उसका समर्थन माननीय भीखालाल ने जिस तरह से किया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जिन कामों को सरकार भूमि सुधार के नाम से या किसी और सुधार के नाम से जनता के सामने रखेगी वह उनकी समझ में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चकबंदी के जो नियम बनाये गये हैं वह हमारे अनुकूल नहीं पड़ रहे ह बल्कि प्रतिकूल पड़ रहे ह। यह वहां बनाने चाहिये जहां अच्छे और भारी चक हों। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। एक काश्तकार है उसके चार पांच जगह गांव में खेत हैं तो उनको अगर मिलाकर एक जगह कर दिया जाय तो उसको आसानी होगी या अलग-अलग रहें तो आसानी होगी। इसको उन्होंने कहा नहीं बल्कि छिपाकर रखा है क्योंकि वह हर काम अपना छिपाकर रखते हैं।

एक बात आपने मालगुजारी कम करने के लिये कही और यह कहा कि जो तकावी मिलती है वह गरीब किसानों को नहीं मिल सकती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जिनके पास हल है, बैल हैं, उनको नहीं मिल सकती ह। मैंने जहां तक तकावी के नियमों को देखा है और मेरे जिले में लोगों को मिली है वह ऐसे हैं जिनके पास खेत ह, बैल ह, हल हैं और जो जमानत दे सकते ह। जिसके पास हल, बैल और खेत नहीं है वह किस लिये तकावी लेगा ? बैलों के लिये, अच्छे बीजों के लिये, अच्छी खाद के लिये और कृषि के आधुनिक यंत्रों के लिये तकावी दी जाती है। इसके अलावा और प्रकार की तकावी देने की व्यवस्था नहीं होती है और लोग मांगते भी नहीं हैं। बच्चों के विवाह वगैरह के लिये कोई तकावी नहीं मांगता है। अगर कोई मांगता हो तो वह कर्ज के रूप में कही जा सकती है लेकिन वह तकावी के रूप में नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि जिसके पास खेत है, बैल हैं और जो खेती करता है उसको तकावी मिलती है। तकावी जनता की मांग पर गवर्नमेन्ट देती है और जहां अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है वहां दी जाती है।

परन्तु भीखालाल जी की पार्टी और उनकी लूपहोल मनोवृत्ति के अन्तर्गत यह बात भी सुनने को मिलती है कि तकावी ले तो लेना है लेकिन देना नहीं है। स्वभावतः काश्तकार न देने की प्रवृत्ति से ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन माननीय भीखालाल जिस प्रकार सदन में कहा करते हैं, और जिस प्रकार किसानों के नाम पर यहां क्रोकोडाइल टियर्स बहाया करते हैं उसी प्रकार अगर जनता में जा कर यह बात कहते कि वह लोग तकावी न लेने जायं जिनकी अच्छी हैसियत है, तो यह उनके लिये बहुत मंहगा पड़ जाता। तकावी के लेने के लिये हर आदमी को भेज देने

में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। उधर बैठे हुये लोगों में ८० फीसदी ऐसे हैं जो तकावी के लिये हर व्यक्ति को भेज देते हैं लेकिन जब वसूली का मौका आता है तब कहते हैं कि तकावी न वसूल की जाय। चाहे सरकार के पास पैसा हो या न हो इस बात की मांग बराबर आती रहती है कि तकावी माफ कर दो, छोटे बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा दो, रेलवे लाइनें लगा दो, पक्की सड़कें और अस्पताल बनवा दो, बच्चों की फीस माफ कर दो। यह नारा बहुत अच्छे ढंग से लगा दिया करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता में डिमारलाइजेशन फैलता है। वह कभी यह नहीं सोचते कि उनको भी कभी सरकार बनाने का मौका मिल सकता है और जो बात आज हम कह रहे हैं, वह उस समय कर पायेंगे या नहीं।

एक वकील साहब के पास एक मुक्किल गया और उनसे कहा कि मुझे रुपया अदा करना है, किसी तरह से बचा लीजिये। वकील सासब ने कहा कि जो भी तुमसे पूछा जाय, तुम में में कर देना। वकील साहब ने उससे में में करवा कर रुपया छुड़वा दिया। जब मुवक्किल बाहर निकल कर आया और वकील साहब ने अपनी फीस मांगी तो उसने में में कर दिया। तो मालूम ऐसा होता है कि उधर के बैठे हुये सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यह समझ बैठें हैं कि उनको कभी गवर्नमेन्ट बनाने का मौका नहीं मिलेगा नहीं तो जनता को ऐसी बातें सुनाने की चेष्टा न करते।

भाई ब्रजनारायण जी को तो कुछ बात कहनी है। वह पूर्व से, देवरिया जिले से आते हैं। वहां अधिकांश यह बात सुनने को मिलती है कि तकावी की वसूली बन्द होनी चाहिये। स्पष्ट या अस्पष्ट यह कह दिया जाता है कि हम सरकार को विवश करेंगे कि मालगुजारी और तकावी न वसूल हो। अगर नहीं बन्द होती है तो एक स्टंट मार देते हैं कि सरकार कांग्रेस की है, बड़ी सख्ती और जुल्म करती है। जितने भी भूमि सम्बन्धी कानून बने, कभी भी खेती करने वाले किसान ने गला फाड़ कर यह चिल्लाने की कोशिश नहीं की कि इस कानून से लाभ नहीं है।

चकबंदी कानून लागू किया गया, शुरुआत में विपक्ष के नेताओं की ओर से जो बातें कहीं गयीं उनसे प्रभावित होकर किसान ने शुरुआत में मना किया कि हमारे यहां चकबंदी नहीं होनी चाहिये। जहां पर चकबंदी हो गयी है वहां पर जब वह जाते हैं तो देखते हैं कि बिखरे हुये खेत इकट्ठे हो गये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस राज्य भर में जिस दिन चकबंदी हो जायगी किसानों का बिखरापन समाप्त हो जायगा, शायद उस दिन कम्यूनिस्ट पार्टी को वहां जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर ठीक बात वहां ठीक ढंग से रखी जाय तो काश्तकार भी इन बातों को समझता है, वह बराबर आपके साथ कदम मिलाकर चलने की चेष्टा करता है। वह इतनी अपेक्षित दृष्टि से सारे विकास के कार्यों को नहीं समझता।

मैं आपको बताऊं, जमींदारी उन्मूलन बिल जिस समय पास हुआ था, उस समय माननीय मंत्री जी ने यही बात रक्खी थी कि आज जमींदार तमाम काश्तकारों से २१ करोड़ मालगुजारी वसूल करते हैं लेकिन सरकार के पास उसमें से केवल सात करोड़ या आठ करोड़ ही जमा करते हैं। बाकी सब वह अपनी पाकेट में रखते हैं। अगर माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी के दृष्टिकोण से यह कानून उस रूप में रख दिया जाय जिस रूप में वह चाहते हैं तो नतीजा उसका यही निकलेगा कि केवल सात करोड़ इस स्टेट के खजाने में आ सकता है, बाकी नहीं आयेगा। उस १४ करोड़ की जो कमी होगी, मैं माननीय ब्रजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि उसमें वह एक कदम भी गवर्नमेन्ट का साथ देने को तैयार होंगे कि उसके कारण किसी एक काम को बन्द कर दिया जाय या किसी जगह खर्चा घटा दिया जाय? और इसका भी कोई रास्ता वह नहीं बता पायेंगे कि इसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो तिवारी जी ने पेश किया वह समय के बिलकुल प्रतिकूल है और उसका सीधा नुकसान स्टेट के किसानों पर पड़ने वाला है, जो खेती करने वाले हैं उन पर पड़ने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी जो सीलिंग का कानून बनाया गया, वह उनके हित में नहीं है। यह मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में बदमजगी पैदा करने का एक नया नारा दिया जा रहा है। ४० एकड़

[श्री केशव पांडेय]

की जो सीलिंग की गई या उस ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के मुताबिक जो सीलिंग रखी गई उसके अनुसार आपने ही कबल किया है कि २ लाख या तीन साढ़े तीन लाख एकड़ के करीब जमीन निकलेगी और वह दी जायगी खेती करने वालों को ही उनको नहीं दी जायगी जो खेती नहीं करेंगे। चाहे वह भूमिहीन हों या किसी और प्रकार के हों, सहकारिता के आधार पर वह उसमें खेती करेंगे। वह भूमि खाली नहीं पड़ी रहेगी, वह उनको ही दी जायगी और उनसे उस पर खेती कराई जायगी। अगर इस कानून के लागू होने के बाद कोई फेल्योर समझ में आता है तो उसको तो दुरुस्त करने के लिये ही यह सरकार बनी है और आप भी इस आदरणीय सदन में रहेंगे ही। उस समय आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आज तो जिस सौजन्यतापूर्वक इसे यहां लाया गया और आपने इसे पास किया, उसको उसी तरह से जनता के समक्ष रखने की आवश्यकता है। तभी राज्य के हित की दृष्टि से और तमाम काश्तकारों के हित की दृष्टि से कोई काम हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं साथी ब्रजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि अपने प्रदेश में ८५ प्रतिशत किसान बसते हैं। माननीय मंत्री जी भी इसको मानेंगे कि अपना प्रदेश किसानों का प्रदेश है जिनके जीवन यापन का एक ही जरिया है खेती-बाड़ी और यदि इन ८५ प्रतिशत बसने वाले किसानों के लिये कोई ऐसा कानून बनाया जाय जिससे न्याय प्राप्त करना बहुत महंगा पड़ता हो, तो मैं समझता हूं कि उस कानून को बदलने के लिये सरकार को और यहां सभासदों को हर एक को तैयार रहना चाहिये।

माननीया, आपको जानकारी है, उसकी एक दो धाराओं का उदाहरण मैं दूंगा। आपको याद होगा शायद सन् ५४ में इस सदन ने एक ऐक्ट पास किया था और धारा १३१ में संशोधन किया था कि गलत इन्दराज किस तरह से दुरुस्त किये जायं। हाउस में इसलिये वह प्रस्ताव लाया गया था कि जो लोग गरीब हैं, अकिंचन हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, शिकमी किसान हैं, खेतों को जोतते हैं उनके नाम से कागज में इंदराज नहीं है, उनको उनका हक मिलना चाहिये। और उस कानून के बनाने के पहले मेरे जिले आजमगढ़ में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। उस आन्दोलन के फलस्वरूप वह कानून बनाया गया था लेकिन हमें याद है कि करीब ४० लाख नम्बर उस कानून के तहत में आजमगढ़ में दुरुस्त किये गये थे। मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ४० लाख नम्बर जो मिले थे उस कानून के जरिये से, उसमें कितने किसान आज उन खेतों पर काबिज हैं? आपका कानून यह है कि एक तरफ तो इस सदन में कानून बनाया गया कि सन् ५९ और ५६ में जिन काश्तकारों का खेत पर कब्जा रहा उनके नाम की एन्ट्री कर दी जाय। हाकिम परगना को अधिकार दे दिया गया कि सारे हाकिम परगना जो कुछ उनकी ईमानदारी हो, वे करें लेकिन जब वह कानून सेशन कोर्ट में गया तो सारे के सारे किसान बेदखल हो गये। मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश में और मेरे जिले आजमगढ़ में तो लाखों रुपया मुकदमेबाजी में खर्च हुआ। उसका नतीजा यह निकला कि जिनका ५६ के पहले इन्दराज रहा, उन भूतपूर्व जमींदारों के पास सारे खेत चले गये और किसान फिर अकिंचन का अकिंचन रह गया।

दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूं कि दफा ११५ सी, जिसका सम्बन्ध गांव समाजों से है, उसके मातहत हाकिम परगना बेदखल कर देते हैं, जुरमाना कर देते हैं। कितना जुरमाना हुआ, कितनी वसूली हुई, कितने लोग बेदखल किये गये? मैं समझता हूं माल मंत्री जी के पास इसके लिये कोई दलील नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में ११५ सी० के खिलाफ फैसला दिया गया। आपके मैजिस्ट्रेट आपके कानून की धारा का दूसरा फैसला करते हैं और दूसरी अदालत दूसरा फैसला करती है। यह हमारा कानून बड़ा पोथा है। मैं समझता हूं इस हाउस के अन्दर ४३१ माननीय सदस्य बैठते हैं, मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, इसमें ७५ फीसदी सदस्य ऐसे हैं जो उस कानून को समझने में असमर्थ हैं। वकील कानून को समझ नहीं पाते हैं यह कहने में मैं संकोच करता हूं किन्तु कितने मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो उन कानूनों को बता सकें और समझ पाते

हों ? ऐसा कानून बनना चाहिये, जिसके लिये किसानों का काफी पैसा खर्च न हो जिससे उनको न्याय मिले। मैं समझता हूं सब से बड़ी दलील ब्रजनारायण जी तिवारी की यही हो सकती है कि ऐसा कानून प्रदेश में नहीं बनना चाहिये। इसको बदलना चाहिये और बदलकर छोटे से कानून की शक्ल में यह आना चाहिये। सब के समझने लायक सरल भाषा में वकील भी समझे और अदालत भी समझे, हरएक आदमी समझ जाय ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं इस प्रकार के सुझाव का समर्थन माननीय राजस्व मंत्री जी को करना चाहिये। जो नियम किसानों के लिये उस विधेयक में बनाये गये हैं उन नियमों से किसानों का लाभ कानून के होते हुये भी नहीं हो रहा है।

मैं मालगुजारी के बारे में क्या कहूं ? जब उधर के बैठने वाले सदस्यों की बातें सुनता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि किसानों के साथ उनका सम्पर्क ही नहीं रह गया है। माननीय केशव पांडेय ने कहा कि यह जो संकल्प है बिलकुल किसानों के हित के विपरीत है। शिवराज सिंह यादव और श्री दाताराम जी ने भी यही कहा। हम समझते हैं कि आपके हाथ में हुकूमत आने के पहले, हरएक ईमानदार आदमी की तरह से, जो आपने एलान किया था, उसको पूरा करना चाहिये।

मैं पूछना चाहता हूं केवश पांडेय जी से, मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से, मैं पूछना चाहता हूं दाताराम जी से और मैं पूछना चाहता हूं माननीय माल मंत्री जी से कि क्या यह सही नहीं है कि आपने हाथ में हुकूमत आने के पहले यह एलान किया था और कांग्रेस में प्रस्ताव पास किया था कि आपके हाथ में हुकूमत आते ही जमींदारी तोड़ी जायगी और किसानों के खेतों का लगान आधा करेंगे ? अगर श्री केशव पांडेय जी कह दें कि नहीं तो मैं मानने के लिये तैयार हूं और सबूत में पेश कर दूंगा कांग्रेस के प्रस्ताव। एक जबान से दो बातें नहीं होनी चाहिये। माननीय केशव पांडेय जी को इसका ज्ञान होना चाहिये कि जब जमींदारी टूटी थी तो उस समय आप जमींदार को खराब कहते थे। अब वह जमींदार पौने २४ करोड़ रुपया वसूल करता था और सरकारी खजाने में पौने सात करोड़ रुपया जमा करता था। बाकी सारा पैसा उसकी जेब में जाता था। इसीलिये उसके खात्मे का सवाल आया और किसान को उस समय आश्वासन दिया गया कि तुम्हारा लगान जमींदारी टूटने के बाद आधा हो जायगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी चाहते हैं कि जितनी मालगुजारी उस समय ली जाती थी उसकी दगुनी ली जाय, वह चाहते हैं कि १४ करोड़ मालगुजारी वसूल किया जाय और सरकार का एलान था कि आधी हो जायगी, यानी अब १२ करोड़ वसूल की जायगी इसका एलान कर चुके थे। यह तो आप के एलान से दो करोड़ ज्यादा ही दिलवा रहे हैं किसान से। आप जो अपने कौल के मुताबिक आज नहीं चल रहे हैं, यह क्यों ? उनका सुझाव तो यह है कि आप अपने कौल के, अपने एलान के मुताबिक चलिये, लेकिन सरकार उसे मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि आपके दिल में भी किसान के लिये अरमान हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप के हाथ में शक्ति है और शक्ति रहते हुये उसका उपयोग नहीं होता तो फिर यह भावना आती है मेरे जैसे आदमी में कि यह उनको ठीक तरह से उनका हक नहीं देना चाहते। माननीय दाताराम जी बहुत नाराज हुये जब माननीय यशपाल जी ने कहा था कि जमींदार चार-चार सालों तक लगान किसान से नहीं लेते थे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसके लिये वे इतना नाराज हो गये और उन के समर्थन में माननीय माल मंत्री जी भी सिर हिला रहे थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा सिर हिलने लगा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं उदाहरण दे दूंगा। इस समय उसे माननीय राजस्व मंत्री के सामने तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन कल मैंने एक उदाहरण हाउस में पेश किया था और मैं राजस्व मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें गलती हुई, माफी चाहता हूं। मैं सबूत पेश कर दूंगा।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--आप अपनी गलती कभी कबूल नहीं करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--पुराने जमींदार अन्यायी थे, अत्याचारी थे यह बात सही है लेकिन इसीलिये उनका खात्मा किया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपके लेखपाल क्या कर रहे हैं, आपके कुर्क अमीन क्या कर रहे हैं? मैं एक नहीं पचास सबूत दे सकता हूं कि एक किसान को एक खाते की मालगुजारी दो, तीन बार देनी पड़ी, उससे वसूल की गयी है और इसकी मिसाल दे सकता हूं। यह भी उदाहरण दे सकता हूं कि किसान का खेत दरिया में कट गया है लेकिन उसे जेलखाने में रख कर उस से मालगुजारी वसूल की गयी और एक नहीं पचास मिसालें इस तरह की दे सकता हूं। यह क्या है? यह आप की सरकार है और ऐसा नहीं करना चाहिये, लेकिन सरकार के कर्मचारी ऐसा करते हैं। फिर अपने लिये हर एक आदमी प्रशंसा करता है और सरकार को करना चाहिये और माननीय केशव पांडेय जैसे आदमी को तो करना ही चाहिये।

श्रीमन्, उन्होंने ब्रजनारायण तिवारी जी से सवाल किया कि क्या तकावी नहीं मिलती? मैं मानता हूं तकावी मिलती है, तकावी हल चलाने के लिये भी मिलती है, तकावी बीज के लिये भी मिलती है, तकावी मकान बनवाने के लिये भी मिलती है। भूमिधरों को अलग-अलग मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्यों किसी की मालगुजारी १० रुपये है, किसी की २० है? जिसने दसगुना जमा कर दिया उसकी मालगुजारी २० की आधी १० रुपये प्रति बीघा हो गयी। फिर जो जमींदार थे और जो भूमिधर हो गये उनकी मालगुजारी क्या है? मैं समझता हूं उनकी चार आना, छः आना और आठ आना है।

मैं माननीय केशव पांडेय को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं। किसानों के बीच में जो आदमी घूमता है, वह जानता है कि किसानों की क्या हालत है? दूसरे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता क्यों कि वे किसानों के बीच में रहते ही नहीं। वे अगर कुछ कहते हैं तो समझ में नहीं आता।

माननीया, आपको याद होगा कि अपने प्रदेश में लगान के अलग अलग तरीके हैं। हमारे यहां अधिवासी किसान है, सीरदार है और भूमिधर है। एक गांव में मालगुजारी कुछ है, दूसरे गांव में कुछ और है। मैं पूछना चाहता हूं मालगुजारी के माने क्या है? अपने देश में इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जो इस कांग्रेस के पहले का है। मुगल राज्य में इसका दूसरा तरीका था, अशोक काल में दूसरा तरीका था और अंग्रेजी काल में दूसरा था। आपको मालूम होगा कि वे किस तरह से मालगुजारी वसूल किया करते थे। पहले जो पैदावार होती थी उसका १६ वां हिस्सा मालगुजारी में दिया जाता था।

पर आज क्या है? आज माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी १० गुना जमा करके भूमिधर हो गये, माननीय शुक्ल जी सीरदार हैं, एक ही खेत है, एक ही किस्म की जमीन है, एक ही तरह की पैदावार है, लेकिन एक की मालगुजारी एक रुपये, दो रुपये एकड़ है, तो दूसरे की १० रुपये और २० रुपये एकड़ है। तो यह क्या है? जो हमारे प्रदेश में अकिंचन लोग हैं, जिनके पास आधा एकड़ भी जमीन नहीं है, वह जितना उसमें पैदा कर पाते हैं उससे कहीं ज्यादा उनको मालगुजारी देनी पड़ती है। जो जितना गरीब है उसको उतनी ही ज्यादा मालगुजारी देनी पड़ती है और जो जितना धनी है उसको उतनी ही कम। तो यह है इस सरकार की व्यवस्था। हमारे प्रदेश में आज ३६ लाख किसान ऐसे हैं, अगर मैं गलत हूं तो माननीय मंत्री जी मुझे सही कर दें, जो एक बीघा और दो बीघा खेत जोतते हैं। लेकिन उनसे मालगुजारी कितनी ली जाती है? उस पर जब हम सोचते हैं, तो हंसी आती है।

(लाल बत्ती के जलने पर)

मुझे ५ मिनट का समय और देने की कृपा की जाय। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक गांव है--भठिया, जहां पर मालगुजारी १८ रुपये १३ आना प्रति एकड़ है, एक दूसरा गांव

है--सुल्तानपुर वहां वह ४ रुपये प्रति एकड़ है। १८ रुपया एकड़ जिसकी है वहां एक फसल भी साल में नहीं होती है और मधुबन जो कि सोने की जमीन है वहां ४ रुपया एकड़ है। ताल रतोय की ६ रुपया मालगुजारी है। यही नहीं बड़तोरहि की ८ रुपये साल की मालगुजारी वसूल हो रही है। मैं यह नहीं मानता कि ठा० हुकुम सिंह नहीं चाहते कि किसान आबाद हो। मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर सलाह देना चाहता हूं कि जो संकल्प ब्रजनारायण तिवारी जी ने दिया वह सामयिक है, उसे अगर इस समय नहीं मान सकते तो आपको आश्वासन जरूर देना चाहिए कि साल दो साल में कोई ऐसा कानून लाना चाहेंगे।

पुराना नियम अंग्रेज के जमाने का यह था कि खेत में अगर पाला, ओला, सूखा पड़ जाय तो मालगुजारी की माफी की जा सकती है अगर कलेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल ठीक तरह से रिपोर्ट करें, लेकिन अगर अनाज खलिहान में पहुंच जाय और वहां आग लग जाय तो उसकी मालगुजारी माफ नहीं कर सकते। अब जब कि स्वराज्य हो गया, किसानों को राजा मानते हैं फिर भी उस नियम को नहीं बदल सकते हैं? घर में आग लग जाये तो लगान की माफी नहीं हो सकती। तो जो पुराने इस तरह के नियम हैं जो किसान हित के विरुद्ध हैं उनको बदलना चाहिए। श्री केशव पांडेय जी कहते हैं कि देवरिया जिले के लोग इस तरह का नारा लगाते हैं। हमने चकबन्दी की सीलिंग पर बोलते हुए कहा था कि आदमी जमाने को बदला करता है, जमाना आदमी को नहीं बदलता है। कोई जमाना था जब आप अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे, अपनी बात सुनाते थे। जमींदार और उधर के बैठे हुए माननीय सदस्य कहते थे कि जमींदारी खत्म नहीं होगी, अगर होगी तो खून का दरिया बहेगा। लेकिन वह खत्म हुई। उधर लोग कहा करते थे कि जमीन नहीं बंटेगी, लेकिन अब बंट रही है। कोई जमाना ऐसा आयेगा कि कुर्सी का मोह आपको इस संकल्प को भी मनवाने के लिए मजबूर करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने अभी अभी अपने माननीय सदस्य का लच्छेदार और बहुत ही जोशीला भाषण सुना और मैं मजबूर हूं कि मैं कैसे मुकाबला करूं उनका। जब वह बोल रहे थे तो ऐसा नहीं मालूम हो रहा था कि वह विधान सभा के सदस्य, के सामने भाषण दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह देहात में किसानों के बीच में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज ७ करोड़ मालगुजारी जमींदार से लेते थे और जमींदार २२ करोड़ लगान किसानों से लेते थे, जिसे हमने खत्म किया। अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वह उतना ही लगान ले रही है जितना कि जमींदार लेते थे जिन्हें हमने खत्म किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बाहर जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि लेखपालों की भी तनख्वाह बढ़े, मास्टरों की भी बढ़े। दो दिन पूर्व इन साहब ने विधान सभा में पूछा था कि सरकार ने जब छोटे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है तो क्या वह लेखपालों को भी बढ़ोत्तरी मिलेगी या नहीं---अभी प्रश्न किया। आज ही हमारे साथी ने प्रश्न पूछा है कि आजमगढ़ अंतरिम जिला परिषद् की प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों का सन् १९४९ का बढ़ोत्तरी वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया और क्या सन् १९४९ के बकाये वेतन की पूर्ति के लिये १९५५ में एक लाख रुपये का अनुदान भी प्रदान किया था, वह मिला है या नहीं और नहीं मिला तो क्यों? इसके साथ ही साथ हमारे साथी हर साल यह भी कहते रहते हैं कि अध्यापकों की तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, ट्यूबवेल और नहरें बननी चाहिये, सड़कें बननी चाहिये, और नहरों का रेट भी कम होना चाहिये और सूखा, बाढ़ या ओला पड़े तब लगान नहीं लिया जाना चाहिये। यह चीजें अगर बाहर कही जायं तो भोले भाले किसान समझ लेते हैं कि यह तो सब हमारे ही पक्ष की बातें कह रहे हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि विधान सभा में जो भाषण दिया जाय और जो बाहर भाषण हों उनमें बहुत ही फर्क होना चाहिये। यहां पर हम सब लोग जिम्मेदार आदमी चुनकर आये हैं, कम से कम यहां पर माकूल चीज कही जानी

[श्री मुक्तिनाथराय]

चाहिये। कुछ भाइयों ने जैसे खातेवार छूट वगैरह की बातें कहीं उनमें हम आपका समर्थन करते हैं। हमने भी असेम्बली में प्रश्न पूछा था इस सम्बन्ध में। पत्थर, सूखा या जो बाढ़ आती है उसमें छूट के सम्बन्ध में जो नियम बने हुये है उनके बारे में हमने माल मंत्री जी से पार्टी मीटिंग में भी कहा और एक डेपुटेशन की शक्ल में भी हम उनसे मिले और कहा कि आप रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार खातेवार छूट का नक्शा बनवाते हैं इसमें संशोधन कीजिये। लेकिन इसके स्थान पर जिस खेत में जितना नुकसान हुआ हो उतनी छूट दी जाय तो इससे पब्लिक को ज्यादा फायदा मिल सकता है, यह मांग हम पहले ही कर चुके हैं। तो आप अगर पोलीटिकल स्टन्ट न बनायें और माकूल सुझाव दें तो हम भी आपका समर्थन कर सकते हैं और शायद माल मंत्री जी भी आपकी बात मान लें। लेकिन हमने देखा कि हमारे साथी ने एक प्रस्ताव रखा, इसलिये कि जनता का हित हो लेकिन उसके साथ पोलीटिकल स्टन्ट और राजनैतिक दांव-पेंच भी घुसेड़ दिया। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

हमारे साथी रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि आजमगढ़ जिले में सरकार ने सन् १९५४ में गलत इन्दराज दुरुस्त करने के लिये ऐक्ट बनाया था। आपने सन् १९५४ की बात कही तो मुझे भी याद आ गया कि सन् १९५४ में आजमगढ़ में किस प्रकार बावैला मचा था, सरकार ने तो नियम बनाया कि अगर किसी के खेत पर किसी ने गलत कब्जा कर लिया हो तो मजिस्ट्रेट मौके पर जांच करके जिसका वास्तविक कब्जा होता था उसको दिला देता था। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के भाइयों ने उसे पोलीटिकल स्टन्ट बना लिया, उनकी तरफ से आफिस खोला गया और किसानों से कहा गया कि वे अपनी अपनी दरख्वास्तें लायें और चार-चार पांच-पांच रुपये एक एक दरख्वास्त पर लिये गये। उस समय भूतपूर्व गृह उपमंत्री मुजफ्फर हसन साहब वहां गये, गेंदासिंह जी और राजनारायण जी भी गये थे। हम सब लोग बैठे, तमाम मैजिस्ट्रेट बुलाये गये, कलेक्टर आये और सोशलिस्ट पार्टी के भाई भी थे। सोशलिस्ट पार्टी के भाइयों ने कहा कि अमुक व्यक्ति के खिलाफ मैजिस्ट्रेट ने यह फैसला किया है जो गलत है। हम लोग मूक दर्शक की तरह से सुन रहे थे। मुजफ्फर साहब बैठे हुये थे और कलेक्टर और तमाम मैजिस्ट्रेटस जुडीशल मैजिस्ट्रेट बैठे हुये थे, हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट किया जा रहा है, सारे मैजिस्ट्रेट बैठे हैं और वह सफाई दे रहे हैं कि यह क्यों हुआ? एक दिन तो हम लोगों ने यह देखा और दूसरे दिन हम लोगों ने भी जैसा कि समाजवादी भाई कह रहे थे। उसके विरोध में काउन्टर रिपोर्ट मंत्री जी को दी कि हम कल से देख रहे हैं कि यहां पर कटेम्प्ट आफ कोर्ट किया जा रहा है, मैजिस्ट्रेटों ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ टिप्पणी की जा रही है और कहा जा रहा है कि फलां मैजिस्ट्रेट ने फलां के नाम फैसला किया है जो नहीं होना चाहिये, यह साफ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट है। जिस ढंग से प्रोसीडिंग्स चल रही थी वह अधिकारियों पर हावी होने के लिये और जनता पर असर डालने के लिये। उससे ऐसा मालूम होता था कि जनता के यही सबसे बड़े हितैषी हैं। सरकारी अधिकारी कोई चीज नहीं हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट को हिला सकते हैं और वह घुटने टेक सकती है। वे यह चीज जिलों की जनता में फैला देना चाहते थे। लेकिन वहां लोगों को इस बात का पता लग गया है, कुछ जगहों में लोग इनको जान गये हैं।

हमारे प्रजा समाजवादी भाई जो गांधी जी के अपने को अनुयायी कहते हैं, उन्होंने घोसी तहसील में वर्ग संघर्ष पैदा कर दिया है। गेंदासिंह जी, जो इस समय यहां नहीं हैं, उन्होंने इस बात को तसलीम किया। वे विरोधी पार्टी के अवश्य हैं लेकिन वे बहुत ही समझदार संजीदा आदमी हैं। उन्होंने कहा कि यहां का सा गलत तरह का समाजवाद मैंने और कहीं नहीं देखा। मैंने यहां यह देखा कि साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग एक ओर हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो बिलकुल गरीब हैं। उनको यह लालच दिया गया कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुमको जमीन मिल जायगी। देहात की जनता बड़ी सीधी सादी है।

उसे गंगा पर आस्था है, सत्य पर आस्था है, झूंठ से वह डरती है। लेकिन हमारे दोस्तों ने उन्हें यह प्रीच किया कि गंगा उठाने में क्या होता है, गंगा का पानी शरीर पर डालने से शरीर शुद्ध होता है। इसे पी लो अगर खेत के लिये झूंठ बोलना पड़े तो गंगा उठा लो। लड़के के सिर पर हाथ रखना पड़े तो रख दो। लड़के को नहलाया जाता है, उसका शरीर छुआ जाता है, उसके सिर पर हाथ रख कर कहने में कोई हर्ज नहीं है। इस किस्म की तालीम इन दोस्तों ने उनको दी। इसी के लिये गेंदा सिंह जी ने वहां कहा कि वहां उन्होंने समाजवाद का गलत रूप देखा। अगर यह बात न होती तो समाजवादी पार्टी में वहां गरीब लोग भी होते, बड़े लोग भी होते और मिडिल क्लास के लोग भी होते और यहां दिखलाई पड़ते।

सन् ५४ में किसानों के हित के लिये ३१ वीं धारा बनी थी। उस वक्त की सोशलिस्ट पार्टी और आज की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उस समय किसानों का बहुत बड़ा अहित किया। जैसा कि एक किस्सा है कि भेड़िया भेड़िया लड़का चिल्लाया करता था और बाद में लोगों को उस पर विश्वास न रहा, उसी प्रकार से इन लोगों ने वहां पर यह शोर करना शुरू कर दिया कि कौन काबिज है कौन काबिज नहीं है। विरोधी पार्टी के लोगों ने वहां पर झूठ का इतना बवंडर उठाया कि गलत को सही और सही को गलत बना दिया और हमारे अफसरों को यह तय करना मुश्किल हो गया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और किसानों का काफी नुकसान हुआ।

मैंने पहले ही कहा कि हमारे भाई अगर कोई ठोस सुझाव प्रस्तुत करते तो मैं उनका समर्थन करता और हमारे मंत्री जी पर भी उसका कुछ असर होता। मैं भी इस राय का हूं कि यह भूमिधर, सीरदार और असामी के जो अलग-अलग दर्जे हैं, उनको मिटा कर एक श्रेणी कर दी जाय। होना यह चाहिये कि कोई आदमी गरीब है और उसने गरीबी की वजह से दस गुना जमा नहीं किया है और उसका बाप बीमार है या वह अपना लड़का पढ़ाना चाहता है तो उसको भी यह अधिकार होना चाहिये कि सीरदारी क्षेत्र को बेच कर या गिरवी रख कर पैसा पा सके।

छूट के बारे में, जैसा कि मंत्री जी से पहले भी निवेदन किया कि बाढ़, सूखा या पत्थर पड़ने पर, जो व्यवस्था रेवेन्यू मेन्युअल में है, वह दोषपूर्ण है। उससे काश्तकारों को उचित लाभ नहीं हो पाता है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिये और खातावार छूट न देकर क्षेत्र वाइज नुकसान का अन्दाजा लगा कर नियम बनाये जाने चाहिये।

जैसा कि रामसुन्दर जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो बात उनकी माकूल होती है उसको मैं मानता हूं। उन्होंने एक सुझाव दिया कि अगर खलिहान में फसल आ गयी और वहां पर खराब हो गयी तो मैन्युअल में ऐसे नियम बनाये जायं कि अगर खलिहान में आने के बाद भी बारिश वगैरह से फसल खराब हो जाय तो उसके लिये भी छूट मिलनी चाहिये। उसकी जो सही बात है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जो उन्होंने वातावरण पैदा कर दिया, जिस तरह से कि देहात में बोलते हैं उसी तरह से यहां बोलना शुरू कर दिया है और खामख्वाह अपने पक्ष को कमजोर किया, इसका मुझे दुःख है।

यह जो प्रस्ताव पेश हुआ, मैं तो यह समझा कि इसके अन्दर एक लाइन पोलिटिकल स्टंट है। लेकिन भुवनेश भूषण जी ने एक और संशोधन रखा, जिसको कि स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्ताव में यह है कि "जमींदारी विनाश के पूर्व की मालगुजारी से दो गुना.....," उन्होंने कहा कि बराबर कर दिया जाय। मैं तो बराबर सुनता रहा हूं कि जनसंघ हर जगह कहता है कि आधा लगान होना चाहिए, लेकिन भुवनेश भूषण जी कहते हैं कि बराबर कर दिया जाय। यह कह कर उन्होंने मेरे दिल की शंका की पुष्टि कर दी।

भूतपूर्व जमींदार ज्यादा पैसा लेते थे। वह पैसा वे अपने काम में खर्च किया करते थे। लेकिन आज भूतपूर्व जमींदारों की तुलना जनता की चुनी हुई सरकार से करना ठीक नहीं। जिस सरकार से लेखपालों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है, मास्टरों की तनख्वाह बढ़ाने

[श्री मुक्तिनाथ राय]

की मांग की जाती है, विकास कार्यों के लिये रुपया मांगा जाता है और यह भी मांग की जाती है कि आग लग जाय तो किसानों को अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए, उसकी तुलना भूतपूर्व जमींदारों से करना अनुचित है। किसानों को जितना नुकसान हो उतना पैसा सरकार दे और फिर यह कहा जाय कि जितना लगान भूतपूर्व जमींदार लेते थे उतना ही तुम ले रहे हो, इसलिये उतने ही अत्याचारी हो जितने कि वे थे, यह समझ में नहीं आता।

हम विधायक हैं। इलेक्शन का एक वक्त होता है। इलेक्शन के टाइम में हो सकता है कि हम कुछ गलत-सही कह दें, लेकिन विधान सभा में और जनता में हमें सही बात नहीं छिपानी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम चाहे हारें चाहे जीतें, लेकिन मुल्क की जनता के सामने हमें सही बात कहनी चाहिए। जनता के सामने सदैव इलेक्शन की बात नहीं कहनी चाहिए। ५ साल बाद ३-४ महीने इलेक्शन होता है, जैसे १२ महीने में एक महीना होली का रहता है, उसमें छूट रहती है कि जो चाहो सो करो, लेकिन साल भर वही होली मनाना, यह ठीक नहीं है। तो जब इलेक्शन होने लगे फरवरी-मार्च में तो आप दिसम्बर, नवम्बर से, जो कुछ भाई रामसुन्दर जी कह रहे थे, वह कहने लगें, लेकिन हर समय विधान सभा में और बाहर इस तरह की बातें करते रहें तो मेरी समझ में यह अनुचित है। हम विधायक हैं। १ लाख के प्रतिनिधि हम हैं। तो हम जनता को सही ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ब्रजनारायण जी का जो प्रस्ताव है वह सामयिक और व्यावहारिक नहीं है। वह प्रस्ताव इस समय अव्यावहारिक और अनावश्यक है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें तो सही माने में प्रजातंत्र को फूलने-फलने का मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भीखालाल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---महोदया, जो प्रस्ताव माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी ने पेश किया है इसको मंत्री जी को मान लेना चाहिये.....

श्री अधिष्ठाता---अभी आप बोल नहीं सकते क्योंकि डिवीजन हो रहा है। प्रश्न यह है कि अब प्रश्नः उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी---महोदया, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही उनका भी आभारी हूं जिन्होंने विरोध किया क्योंकि उससे भी मुझे कुछ शिक्षा ही मिली। मैं औरों के बारे में तो नहीं कहता लेकिन हमारे केशव पांडेय जी ने यह भी कहा कि अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो सरकार का बड़ा नुकसान होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से जो वसूल करती थी उसको बड़े-बड़े जमींदारों के हक में तो छोड़ दिया, उससे प्रदेश का नुकसान नहीं हुआ? उनके लिये तो आप के दिल में जगह है जो इने गिने ही हैं, उनको तो छूट दे दी गई सीलिंग बिल लाकर। लेकिन हमारे प्रस्ताव से केवल एक बटे तीन लगान छूट रहा है जिन की संख्या ७५ फ़ीसदी है, उसका आप विरोध कर रहे हैं। जमींदारी टूटने के बाद हमारे देश का वह किसान जो हमेशा से सताया गया है उसने राहत की सांस ली और सोचा कि जो भूतपूर्व जमींदार लगान वसूल करते थे उसमें एक बटे तीन हमको सरकार छोड़ देगी और एक बटे तीन अपना बढ़ा कर दो बटे तीन लगाये हैं। तो एक बटे तीन हमको छोड़ दिया जाय। मेरी मंशा यह नहीं कि गरीबों को सताया जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अमीरों को न सताया जाय। गेंदा सिंह जी के लिये कहा गया कि उनकी बातें सुन कर एक नया नक्शा समाजवाद का मालूम हुआ। वह होते तो इसका जवाब देते लेकिन मुझे इसकी असलियत की जानकारी ह। वहां के किसान पचीसों वर्ष से खत जोत रहे थे। उनकी मिल्कियत और नाम उसमें नहीं था। हमारे साथियों के आन्दोलन करने से और कांग्रेस पार्टी के लोगों के विरोध के जरिये से ४० हजार नम्बर उन किसानों को मिले। अगर कानून में यह गलती न होती तो किसान जो पहले से खेतों को जोतते चले आ रहे थे उनकी मिल्कियत हो गयी होती। मेरी अब भी सलाह है कि हमारे मंत्री जी किसानों से वही लगान वसूल करें जो पहले के जमींदार करते थे। बाकी लगान उनका छोड़ दें और भूमिबन्दी करायें। किसान पर तीन पैसे लगान बाकी रह जाते हैं तो क़ैद कर के वसूल किये जाते हैं। कानपुर के बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, शुगर फैक्टरीज के मिल मालिक हैं उन पर जो केन सेस व इन्कम टैक्स का करोड़ों रुपया बकाया होता है उसके वसूल करने के लिये क्या किसी के खिलाफ वारंट जारी किया गया? लिहाजा आज भी कानून में दो मतभेद हैं, जो दो तरह की श्रेणियां हैं उन्हें समाप्त करना चाहिये क्योंकि इससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

मंत्री जी जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १९९ देख लें। इसमें लिखा हुआ है :—

"199. No bhumidhar shall be liable to ejectment.

200. No sirdar or asami shall be ejected from his holding except provided in this Act.

201. A sirdar shall be liable to ejectment from his holding on the suit of the Gaon Sabha on any of the grounds mentioned in sections 167, 206 and 212."

अधिष्ठात्री महोदया, १६७ भी पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है —

"167. Where a sirdar or asami has made any transfer in contravention of the provisions of this Act, the transferee and every person who may have thus obtained possession of the whole or part of the holding shall be liable to ejectment on the suit of the Gaon Sabha...."

"168. Upon ejectment in a suit under section 167, all the rights and interests of the sirdar or asami in the holding or in any improvements mad' therein or to get compensation for such improvements shall be extinguished.

अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि सीरदारों से बेदखली का नियम क्यों बनाया? सीरदारों द्वारा उसमें विकास का काम किया गया हो, वह भी कानून के मुताबिक। लेकिन अगर वह हस्तान्तरण कर दे तो बेदखल कर दिया जायगा और उसे कोई मुआविजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दफ़ा १४२ से १५२ तक और १९९, २१२ तक जो दफायें हैं वे किसानों के खिलाफ हैं। हमारे पूर्ववक्ता मुक्तिनाथ राय जी ने कहा कि वहां एक तरफ है भूखा किसान और दूसरी तरफ हैं सफेदपोश लोग। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार के ऊपर दबाव डालें और उससे इस बात को मनवावें कि वह वर्गविभेद न पैदा करे। वर्गविभेद हमारी तरफ से नहीं है। आप कानून में तीन श्रेणियां बनाते हैं सीरदार, भूमिधर और असामी, अलग-अलग उनको अधिकार देते हैं और उनके साथ अलग-अलग कानून का अमल होता है, तो इसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। हमारे प्रदेश में ७५ फीसदी लोग किसान हैं जिनका जरियामाश केवल खेती है और जो संख्या में अधिक हैं। चाहे आप उन को संख्या के हिसाब से देखें या किसी और तरीके से देखें उसके खिलाफ़ इतने पक्षपात फैले हुये हैं कि वह राहत की सांस नहीं ले सकता। आप का यह कानून अन्यायपूर्ण है और अगर आप इस कानून को नहीं बदलेंगे तो वह आपको बदलेंगे और इस कानून के पन्नों को फाड़ कर फेंक देंगे।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब जमींदार थे, जमींदारी अबालिशन से पहले, तो अगर किसान के ऊपर ३ वर्ष का लगान बाकी रह जाय तो वह वसूल नहीं कर सकते थे लेकिन हमारे मंत्री अपना बकाया ८ वर्ष तक का वसूल कर लेंगे। वाह रे आपकी न्यायप्रियता!

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

एक बात और भीखालाल जी ने भी कही है कि जहां आपने सीरदार, और भूमिधर वर्ग बनाये ह तब जहां तकावी आदि का सवाल पैदा होता है वहां भी उनके साथ वर्गवाद चलता है। मेरी निजी जानकारी है कि जो भूमिधर हैं उनको अधिक कर्जा मिलता है, उनको अधिक तकावी मिलती है और जो सीरदार हैं उनको तकावी कम मिलती है। क्या आप की निगाह में उनको जिन्दा रहने का हक़ नहीं है ? उनको जिन्दा रहने का हक है। चार चार आपके ऐक्ट हैं सन् १९३९ का टेनेंसी ऐक्ट, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, चकबन्दी ऐक्ट और सीलिंग ऐक्ट लेकिन उन किसानों की श्रेणी पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। वही श्रेणियां बदस्तूर चली आती हैं। भूमिधर, सीरदार और असामी। म यही चाहता हूं कि इन किसानों की एक ही श्रेणी बने और एक ही इनका अधिकार कर दिया जाय ताकि किसानों में शान्ति और समता आ जाय।

एक बात और मुझे याद पड़ गयी।

(इस समय ३ बज कर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

परमानेन्ट सेटिलमेंट की हमारे बगल के प्रान्त बिहार और बंगाल में व्यवस्था थी अंग्रेजों के जमाने में। आप जानते हैं, लार्ड कार्नवालिस का नाम बहुत मशहूर है उसने देखा कि अन-परमानेन्टली सेटिल्ड एरियाज में कभी कभी कोई लगान निर्धारित हो तो इस विचार से उसने परमानेन्ट सटिलमेंट कर दिया। और वह आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हैं जैसे बलिया आदि में। तो मैं पूछ रहा हूं कि अंग्रेजों ने स्थायी अधिकार देते समय एक गुना लगान भी नहीं लगाया लेकिन आप ने बिना १० गुना लगान लिये हुये अधिकार नहीं दिया। इसका क्या जवाब आपके पास है ? कोई जवाब नहीं है। किसान शान्तिपूर्वक अपने खेतों पर खेती कर सके, उसका लगान निर्धारित हो और स्थायित्व उस को दिया जाय, उस को जमीन का मालिक बनाया जाय यह सब उन्होंने किया बिना कुछ लिये हुये लेकिन यह सरकार सीरदार होने के बाद उनको उन अधिकारों को भी देने के लिये तैयार नहीं है जो उनके बुनियादी अधिकार हैं।

एक बात मैं और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर किसी अपराध के सिलसिले में किसी अपराधी को रिहा कराना हो तो उसका भूमिधर होना काफ़ी है लेकिन अगर वह सीरदार है तो सीरदार की कोई हैसियत नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इनकी संख्या कितनी है ? सीरदारों की संख्या इस प्रदेश में सब से अधिक है और अगर आप यह विश्वास करते हैं कि वे चुपचाप आप के इस कानून को सहन करते रहेंगे तो मेरा तो ऐसा विश्वास नहीं है, वे जरूर इसके खिलाफ आवाज उठायेंगे और आप को इस कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा और आप करेंगे।

इन्दराज की एक घटना इसके साथ-साथ आती है। मैं फिर इसी राय का हूं कि आज १३ वर्ष के बाद भी जो जनता नगरों में बसती है वहां की जमींदारी आज तक खत्म नहीं हुई, पहाड़ी इलाके की जमींदारी आज तक खत्म नहीं हुई। एक ही प्रदेश का नागरिक वोट देने में बराबर, कांग्रेस का भक्त बनन में बराबर, टैक्स देने में बराबर लेकिन जहां भूमि का अधिकार प्राप्त करना हो वहां कई श्रेणियां हैं। आज भी शहर के किनारे के किसान कराह रहे हैं जहां की जमींदारी आपने नहीं खत्म की। आज वहां का किसान सीरदार और भूमिधर नहीं लिखा जाता, वह कुछ और ही लिखा जाता है। अगर वहां किसी को अपना खेत बेचने की जरूरत पड़े तो पहले वह जमींदार से तय करता है कि कितना तुम लोगे और कितना हमको मिलेगा। यह एक अन्याय है। स्वराज्य मिले अब तो काफ़ी दिन हो गये, अब सरकार को कोई बहाना नहीं होना चाहिये, बिना हिचक के अधिकार दिये जा सकते हैं और सरकार का उस में कोई नुकसान नहीं है।

उत्पादन की आज बहुत बड़ी समस्या है। हमारा यह निश्चित मत है कि देहात के किसानों का आज नैतिक पतन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है, हमारे चरणसिंह जी बहुत बहाड़ के कहते थे कि हमने तो ऐसे नियम बना दिये हैं कि किसी लेखपाल की हिम्मत नहीं है कि कोई इन्तखाब मांगे और वह न दे। लेकिन आज इन्तखाब बड़ा महंगा पड़ रहा है।

आज किसान सोच रहा है कि इससे तो पहले का पटवारी अच्छा था। मुझे एक कहावत याद आ गयी। एक कफ़न चोर था। वह करता यह था कि जब कोई मरता था तो मुर्दे को उखाड़ कर उसका कफ़न ले लेता था। जब वह मर गया तो दूसरा कफ़न चोर पैदा हुआ। वह मुर्दा उखाड़ कर कफ़न तो ले ही लेता था और मुर्दे को भी उसके दरवाजे पर पहुंचा देता था। तो लोग कहते थे कि इससे तो पहले वाला ही कफ़न चोर अच्छा था। यही हालत आज के लेखपालों की है। पटवारी के लिखने से किसी का खाता शिकस्त नहीं होता था। बीसों वर्ष तक कोई सीर जोतता रहे लेकिन वह सीरदार जमीन का मालिक होता था और काबिज नहीं होता था। लेकिन आज लेखपाल तीन वर्ष के बाद बिना किसी जानकारी के खतौनी में नाम बदल कर नकल का असल और असल का नकल कर देता है। आप उससे इन्तखाब मांगने जाइये, सभापति या तहसीलदार के जरिये मांगिये, वह फौरन काम का बहाना करेगा कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो यह सारी बुराई, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इन्दराज के जरिये और भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों के जरिये आज फैला हुआ है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि लगान पहले की मालगुजारी का दूना निश्चित आधार पर, स्थायी कायम हो और किसानों की एक श्रेणी बनायी जाय और सही मानों में उनको सहायता प्रदान की जाय। यही मेरा प्रस्ताव है और मैं आशा करता हूं कि माल मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की ताईद में जिन माननीय सदस्यों ने बोलने की कोशिश की है उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्ताव क्या है और कौन सी बात कहनी युक्तिसंगत होगी। एक ऐसा जनरल व्याख्यान लोगों ने दिया जिसमें पुलिस भी आ गई और लेखपाल की खतौनी की नकल देने का भी जिक्र आ गया, लेकिन यह प्रस्ताव तो भूमि संबंधी अधिनियमों के बारे में है। हमारे मित्रों ने यह भी कयास करके अपनी-अपनी तकरीरें कीं कि सरकार में बैठने वालों को गांवों की हालत के मुताल्लिक कोई जानकारी नहीं है और वही लोग इसके ठेकेदार हैं। इस भावना से ओतप्रोत हो कर उन्होंने अपने अपने व्याख्यान दिये हैं। मुझे भी इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि १९२० से मैं भी इस प्रदेश के काश्तकारों की सेवा करता आया हूं। भीखालाल जी शायद उस समय पैदा न हुये हों और अगर होंगे भी तो नाबालिग होंगे क्योंकि हमारा खयाल है कि वह अभी नौजवान हैं और ४० साल से ज्यादा के नहीं होंगे। उस जमाने में जमींदारों और काश्तकारों में क्या हालत थी, किसानों को क्या तकलीफ़ें थीं, किसान कितने परेशान थे, इसके बारे में उन्होंने सुनी हुई बात सुन ली होगी या लिखी हुई बात पढ़ ली होगी, लेकिन असली हालत आप ने कभी नहीं देखी होगी।

हमारे रामसुन्दर जी पांडेय ने बड़े जोरों में मुझे चैलेंज किया कि सरकार यह बताये कि कांग्रेस का एलान था कि वह जमींदारी विनाश करेगी और लगान आधा करेगी। उनका खयाल है, मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों चैलेंज किया? यह मैं नहीं समझ सका क्योंकि जमींदारी का सरकार ने विनाश किया और वह खत्म भी हो गई। लगान के बारे में कहते हैं कि आधा क्यों नहीं किया? अगर हमारे मित्र इस ऐक्ट को पढ़ने की तकलीफ़ करें तो हमने वह काम किया है जिसका कोई अन्दाजा ही नहीं हो सकता। जो हमने वायदा किया था उससे कई गुना किया है। धारा २५१ में हमने यह कर दिया है कि ४० वर्ष तक कोई बंदोबस्त नहीं होगा यानी इजाफा लगान नहीं हो सकता है। जो बन्दोबस्त पहले १९०१ में हुआ था और लगान का रेट उस समय की प्राइसेज के आधार पर रखा गया था। उस समय क्या निर्ख थे और आज क्या हैं? हमारे मित्र सोचें कि कई गुना सस्ता था। १५–२० सेर का गेहूं बिकता था, ८–१० सेर का चावल बिकता था। उस समय की शरह को देख कर रेंट रेट मुकर्रर किया गया था। अगर हम ४० साल तक बन्दोबस्त रोक नहीं देते तो ३० वर्ष में दूसरा बन्दोबस्त होता और उसे हुये दस साल हो गये होते। उस समय से जो रेट बढ़ गये हैं यदि उसके आधार पर रेंट रेट निर्धारित किया जाता तो मौजूदा रेंट रेट से कई गुना ज्यादा होता और किसानों की मालगुजारी में कई गुना का इजाफा हो जाता। लेकिन कांग्रेस सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने की नीयत से बन्दोबस्त को

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

४० वर्ष तक के लिये रोक दिया। अभी २० साल तक बन्दोबस्त नहीं होगा यह मामूली फायदा है? मैं कहता हूं कि आधे के बजाय हमने कई गुना उनका बचाया है, नहीं तो हमारे किसानों पर एक बड़ा भारी बोझ हो गया होता। वाकयात को नजर अन्दाज करके चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं। (व्यवधान) आप देखिये कि जहां ६ है वहां १८ हो जाता है। सेटिलमेंट का कायदा देखिये तो पता चल जायगा कि बन्दोबस्त रोक देने से कितना बड़ा फायदा हुआ जिसका अन्दाजा वह नहीं कर सकते। वह हमारे किसान ही समझते हैं।

यह शिकायत हुई कि राइट आफ ट्रांसफर क्यों नहीं दिया गया। जब जमींदारी अबालिशन कानन बन रहा था तो हमारे पूजनीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत उस वक्त मुख्य मंत्री थे, उनकी देख-रेख में यह कानून बनाया गया था। काबिल से काबिल आदमी कमेटी में रख कर विचार किया गया। उस वक्त यह धारणा थी जो सही थी कि अगर ट्रांसफर का हक देंगे तो टाटा, बिड़ला और डालमिया जिनके नाम उधर के बैठने वालों की जबान पर हर वक्त रहते हैं, यह सब जमीन उनके पास चली जायगी। हमारे किसानों के पास नहीं रह जायगी। मैं इससे अन्दाज लगाता हूं कि माननीय ब्रजनारायण जी और जो उनकी ताईद करते हैं, वह यह चाहते हैं कि ऐसा राइट दे दें जिससे किसानों के हाथ से जमीन निकल कर मोटे आदमियों के हाथ में चली जाय। यह मेरा चार्ज है। और यह चार्ज सही मालूम होता है कि वे किसानों को उनकी जमीन से महरूम करना चाहते हैं। किसान समझता है और अगर किसान न समझे तो हम जरूर समझते हैं। भूमिधरों को भी हमने सर्टेन लिमिटेशन के साथ राइट दिया है ताकि वह भी बेजबान न हो जायं।

माननीय भुवनेशभूषण को शिकायत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन को जोत नहीं सकते हैं लेकिन उनको इस बात की इजाजत नहीं दी गयी कि किसी दूसरे को देकर जुताएं, मतलब उनका कहने का सबलेटिंग से है। यह उस जमाने में वबाले जान था। बड़े बड़े लोग बड़े-बड़े रकबों पर काबिज थे। शिकमी काश्तकारों को जमीन दे कर उनसे नाजायज फायदा उठाते थे, शिकमी काश्तकारों पर ज्यादतियां करते थे। कहने को तो अधिया बटाई थी लेकिन १/१० तक था। बड़े बड़े काश्तकारों को ९/१० मिल जाता है और १/१० उस किसान को मिलता था। फायदा वह उठाते थे जो महलों में बैठ कर आराम करते थे। लिहाजा सरकार ने तय किया कि सबलेटिंग नहीं होगी, जो अपने हाथ से खुद खेती करें या हायर्ड लेबर से करवाएं उन्हीं को जमीन रखने का अधिकार है, किसी को शिकमी देने का अधिकार नहीं है। भुवनेशभूषण जी चाहते हैं कि दवा की दूकान भी करते रहें और खेती भी करते रहें। दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

भीखालाल जी ने और यशपालसिंह जी ने कहा कि चकबन्दी का कानून बड़ा निकम्मा है, यहां चाहे जितना व्याख्यान दे दें लेकिन इससे पता चलता है कि खेती के बारे में इनको जानकारी बहुत कम है। बड़ी खुशी की बात है, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मेरे घर में पुश्तैनी खेती होती है और मेरे गांव में भी छोटे और बड़े सब तरह के काश्तकार हैं, अपने जिले की हालत भी अच्छी तरह से मैं जानता हूं। मैं तो कहता हूं कि एक छोटा काश्तकार है २ एकड़ का और उसके चार या पांच टुकड़े हैं। बड़े बड़े टुकड़े उसके पास नहीं हैं। एक टुकड़ा गांव के पश्चिम में है, एक पूरब में है, एक गांव के उत्तर में है और गांव के दक्षिण में है। अगर वह मकई बो दे अपने खेतों में तो कौन उसका खेत रखायेगा अगर दो ही जने हैं? अगर पश्चिम में अंटी बांधकर रखाने जायगा तो पूरब वाले खेत को कौवे और तोते खा जायेंगे और पूरब वाले को रखाने जायगा तो पश्चिम वाले को खा जायेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर ये चारों खेत उस गरीब आदमी के इक्ट्ठा हो जांय, और एक लड़के को वह अंटी पर बैठाकर कनस्टर बांध दे, वह टिम-टिम बजाता रहे तो वह अकेले रखवाली कर लेगा या नहीं? यह तो बिलकुल साधारण बात है। गांव के तजुर्बे की बात है और हां, अगर लखनऊ में जिन्दगी बसर करनी है तो गांव का तजुर्बा तो हो नहीं सकता, फिर जो चाहे कहिये।

अगर सिंचाई जरूरी है तो एक कुआं खोद लिया, कितनी आसानी से सिंचाई की जरूरत पूरी हो सकती है। अगर उसके छोटे छोटे खेत गांव के चार कोने पर हैं तो कितने कुएं वह खोदेगा ? वह गरीब है, परेशान है, इतने रिसोर्सेज भी उसके पास नहीं कि इतने कुएं वह खोदे और फिर इतने कुएं खोदना भी अनएकोनामिक होगा। हमारे भाई यशपाल सिंह जी को यह शिकायत है कि चकबन्दी में सरकार खर्चा वसूल करती है। सरकार वसूल करती है लेकिन कितना वसूल करती है ? ५० परसेंट केवल वसूल करती है। जितना खर्चा होता है उसका ५० प्रतिशत सरकार देती है और ५० प्रतिशत वह काश्तकार देता है।

श्री यशपालसिंह—सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना लेते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह सेंटर दे या हम दें लेकिन उनसे तो नहीं वसूल किया जाता है ? उनके ऊपर टोटल कास्ट का ५० प्रतिशत ही बर्डेन पड़ता है। सोलह आना नहीं पड़ता, सरकार भी आधा देती है। और यह एक रिफार्म का काम है। हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम भी कुछ बर्दाश्त करें और कुछ हमारे किसान भी बर्दाश्त करें। मेरे पास तो कोई शिकायत किसान की आयी नहीं। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मजमून मालूम पड़ता है। लोग देते हैं, वसूली होती है, और बिना किसी कोअर्सिव मेजर्स के होती है।

हमारे मित्रों ने कहा और तमाम बातें कीं जो मैं पहले ही कह चुका। जो असंगत बातें हैं उनका जवाब देने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। हमारे मित्र यह कहते हैं कि ऐसा कानून बनाइए कि जमींदारी उन्मूलन के पहले जो मालगुजारी रही उसका दुगुना कर दीजिये। कहना बहुत आसान है लेकिन यह नहीं सोचा कि कैसे यह फीजिबिल है, व्यावहारिक है ? आया यह कानून जायज है या नहीं जायज है ? हम और आप जब कानून बनाते हैं तो कानूनी पहलू पर भी नजर डालें। मान लीजिए दस गुना देकर वह भूमिधर बना। वह ५० परसेंट पहले का, मालगुजारी देता है। आपका संशोधन मान लें तो ३० प्रतिशत उस पर और इजाफा होगा। २५१ में हमने वैरिएशंस बन्द कर दिए, ४० साल के लिये वैरिएशंस बन्द कर दिये। कैसे हो ?

एक दूसरी बात मैं कहता हूं। हमारे प्रदेश में लगभग ६६ लाख भूमिधर हैं। क्या चाहते हैं कि उन भूमिधरों की मालगुजारी बढ़ जाय ? आपके प्रस्ताव से उनकी मालगुजारी ३० प्रतिशत बढ़ती है। हमने जो वादे किये थे कि ४० साल तक लगान में इजाफा नहीं होगा तो उन वादों पर हम कायम हैं और रहेंगे। आपके कहने से हम अपने फैसले को बदलेंगे नहीं। आपका प्रस्ताव यह है कि ६६ लाख जो हमारे सूबे में भूमिधर हैं उनकी मलगुजारी को ३० गुना बढ़ा दिया जाय। किन्तु मैं हर्गिज नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने १० गुना लगान अपना जमा किया, उनकी मालगुजारी आधी कर दी गई, तो फिर इस बढ़ाने में कौन सा तुक है। आप चाहे जो कुछ कहें लेकिन हम बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं। ६६ लाख आदमियों की बहबूदी हमारे मद्देनजर है। इसलिये मैं ऐसे प्रस्ताव से कभी भी सहमत नहीं हो सकता जिससे जनता का नुकसान होता हो।

आपने यह फरमाया कि हमारे यहां सूबे में एक टेन्योर कर दिया जाय और भूमिधर, सीरदार और असामी को क्यों रखा जाय। आपने इसके कानूनी पहलू पर नजर नहीं डाली, महज यह प्रस्ताव लिखकर भेज दिया। जहां तक सीरदार का ताल्लुक है वह अल्टीमेटली भूमिधर हो सकता है। जैसे कि हमने १३४ और १३७ जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में रखा है वह १० गुना जमा कर दे तो वह भूमिधर हो जायगा। तो हमारा खयाल यह है कि आखिर में जाकर भूमिधर रह जायगा, सीरदार नहीं रहेगा। सब सीरदार भूमिधर होने की हर साल कोशिश करते रहते हैं। हम इस बात को देखते हैं कि सीरदार भूमिधर बनते जाते हैं और उनकी मालगुजारी आधी होती जाती है और हमारी टोटल मालगुजारी कम होती जाती है। अगर हिसाब को देखा जाय तो उसके आसार बहुत अच्छे हैं। मेरा खयाल यह है कि एक वक्त आयेगा कि भूमिधर ही रहेंगे और कोई सीरदार नहीं रहेगा।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

जहां तक असामी का ताल्लुक है यदि ब्रजनारायण जी दफा १३२ जमींदारी अबालिशन को पढ़ें तो पता चलेगा कि कुछ जमीन ऐसी है जिनका आकुपेन्ट असामी हो सकता है और उनका परमानेन्ट राइट नहीं हो सकता है। उसमें पाश्चर लैंड है, दरिया की जमीन है, कन्टोन्मेन्ट की जमीन है, रेलवे की जमीन है इसी तरह से बहुत लम्बी फेहरिस्त है। उन आराजियात में हम कोई मुस्तकिल राइट नहीं दे सकते हैं। जो पब्लिक यूटिलिटी की जमीनें हैं, गांव समाज की कम्युनिटी परपज के लिये जमीनें हैं उनमें मुस्तकिल राइट देना अक्ल के खिलाफ बात है और नामुमकिन है। लिहाजा असामी तो रहेगा और उसमें भूमिधर राइट नहीं हो सकता है। आज तो उनमें हम परमानेन्ट राइट दे दें और कल को दरिया की बेंड में होने से वह जमीन कट गई तो फिर क्या होगा? इसी तरह से मिलिटरी परपजेज के लिये जो ग्राउन्ड हैं उनमें आज राइट देदें और कल को लड़ाई छिड़ गई तो हमको जब जरूरत पड़े तो कैसे वह जमीन निकलेगी? इसलिये ऐसी जमीन में परमानेन्ट राइट देने के लिये कोई प्रस्ताव लाना बिलकुल गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। इस तरह की इसमें तमाम दिक्कतें हैं।

जमींदारी अबालिशन से पहले हमको लगभग ७ करोड़ रुपया जमीदारों से मालगुजारी का मिलता था और वह करीब २०, २२ करोड़ रुपया वसूल करते थे। जब जमींदारी अबालिशन हो गया तो पहले की किसानों की जो मालगुजारी है वह अब रेन्ट या मालगुजारी में परिवर्तित हो गई। वही २१ करोड़ सालाना हम पाते हैं। आपका प्रस्ताव यह कहता है कि १४ करोड़ तो हम लेलें और ७ करोड़ छोड़ दी जाय तो फिर आपकी जो डिमान्ड्स आती हैं उनका क्या होगा? अगर कहीं पर ज्यादा पानी पड़ गया अगर देवरिया में ज्यादा वर्षा हो गई तो आप कहेंगे कि तकावी दी जाय, टेस्टवर्क खोला जाय, गांव कट रहे हैं उनकी रक्षा की जाय, ग्रेचुटस रिलीफ दीजिये, आग लग गई उसके लिये मदद कीजिये, रेन्ट रेमीशन कीजिये, रेवेन्यू रेमीशन कीजिये, सड़क बनवाइये, रेलवे लाइन खुलनी चाहिये और अस्पताल भी खुलना चाहिये। हमारी तबियत तो इन अस्पतालों की मांग के मारे हैरान है। मैंने एक लिस्ट इन मांगों की बना रखी है, यूं ही लिख ली थी, आपकी इत्तला के लिये पढ़े देता हूं। इनमें यह मांगें हैं कि कैनाल बननी चाहिये, ट्यूब वेल बनने चाहिये, इलेक्ट्रिसिटी काफी होनी चाहिये, रोड्स तारकोल की पक्की बननी चाहिये, पुल बनने चाहिये, अस्पताल बनने चाहिये, कालेज और यूनिवर्सिटियां कम हैं, यह और होनी चाहिये, मेरठ में हाई कोर्ट की एक ब्रांच खुलनी चाहिये, बिग इंडस्ट्रीज होनी चाहिये, उस के बाद तकावी दी जाय, ग्रैचुटस रिलीफ दी जाय, टेस्ट वर्क खोला जाय, आदि आदि। रामसुन्दर जी पता नहीं, हैं या नहीं, कहते हैं कि आजमगढ़ में टेस्ट वर्क कम हैं, गोरखपुर में कम हैं, देवरिया में कम हैं, फिर उस के बाद तकावी भी माफ कर दी जाय। रेलवे के लिये मैं कह चुका, कहीं पानी ज्यादा बरस गया तो कहा जायगा कि लड़कों की फीस माफ कर दी जाय। तो आमदनी आप कम करते जाइये और मांगें बढ़ाते जाइये, यह सब कहां से होगा? जो आदमी अक्ल रखता है वह तो इस तरह की बात नहीं कर सकता।

अब थर्ड प्लान चल रहा है। उसमें कोई कहता है कि ५००, कोई कहता है कि ६०० और कोई कहता है कि ९०० करोड़ रुपया लगना चाहिये। आप यह ७ करोड़ की आमदनी कम कर दीजिये तो यह सब कहां से आयेगा? आप अगर इधर बैठें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग बैठ कर कुछ करते तो हैं, लेकिन अगर आप यहां बैठेंगे तो यह स्टेट बिलकुल चौपट हो जायगी।

(व्यवधान)

आप तिलमिलायें नहीं। चुपचाप सुनें। डेवलपमेंट की मांग तो बढ़ती जायगी। प्रत्येक गांव में बिजली लग जाय, सड़कें हो जायं, अस्पताल हो जायं, लेकिन आमदनी बढ़े नहीं, तकावी ली जाय और उसे वापस न किया जाय, उसे माफ कर दिया जाय। हम तो इतने

मालदार नहीं हैं कि अपने घर से इन सब मांगों को पूरा करें। इस आमदनी से ही आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आपका मतलब हल नहीं हुआ और यह बात बेमौके है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आपका यह एक पोलिटिकल स्टंट था और उस के लिये आपने रेजोल्यूशन रख दिया, और आप जनता में जा कर कह सकते हैं कि हमने तो रेजोल्यूशन रखा था, हुकूमत ने उसकी मुखालिफत की, लेकिन जब हम जनता को जाकर समझायेंगे कि जो रुपया आप देते हैं वह मौजूदा शरह के हिसाब से ज्यादा नहीं है और उसमें कमी नहीं होनी चाहिये और हमने यह यह काम आपकी बेहतरी के लिये किये हैं और हमने इसीलिये ४० साल तक बंदोबस्त रोक रखा है तो कोई वजह नहीं है कि वे हमारी बात न मानें। आप हमें समझा दीजिये, कंविंस कर दीजिये, तब अपनी बात रखिये हम मानेंगे। यह मानी हुई बात है कि जो ज्यादा जोर से बोलता है उसके आर्गूमेंट कमजोर होते हैं।

(व्यवधान)

मेरी तो आवाज ही सख्त है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव अव्यावहारिक है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मित्र इसको वापस लेने की कृपा करेंगे। उनका काम जो होना था वह हो गया, वह हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन वह अपनी बात कह गये। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि भूमि अधिनियमों में कमी के कारण से किसान बुनियादी अधिकारों से वंचित है। अतः ऐसा सुधार कर दिया जाय जिससे जमींदारी विनाश के पूर्व की मालगुजारी से दो गुना, एवं स्थायी लगान कायम हो, और किसानों की एक श्रेणी तथा समान अधिकार हो सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

भू-स्वामियों को उनके खेतों की सूची देने तथा लेखपालों के खसरे में काबिज दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

***श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

> "सदन का निश्चित मत है कि भू-स्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके क्षेत्रों (खेतों) का पूरा इन्तखाब (सूची) उन्हें दे दी जाय। खसरे के कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय। काबिज लिखने में भ-स्वामी तथा गांव सभा की स्वीकृति अनिवार्य हो।"

अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को मैंने किसानों की कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद, अंत में जो कुछ मुझे कहना है, वह कहूंगा और इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रस्तुत करता हूं।

श्री भीखालाल--अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय विकल जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं यह संकल्प अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है। मुझे विश्वास है कि सरकार का माल विभाग भी इस पर गम्भीरता के साथ विचार कर रहा है। श्रीमन्, लेखपालों को जो यह अधिकार दिया गया है--काबिज लिखने का--मैं समझता हूं वह नहीं मिलना चाहिये। जिस समय जमींदारी खत्म नहीं हुई थी उस समय पटवारियों को खसरे के खाना ६ में शिकमी लिखने का अधिकार था और वह उसको जब लिखता था जब कि वह तसदीक कर लेता था कि वाकई में वह शिकमी है। अगर उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

तसदीक नहीं होती थी तो वह उनको खाना कैफियत में दावेदार काबिज लिख देता था। लेकिन जब जमींदारी खत्म हुई और जमींदारी खात्मा कानून बना, तो उसके बाद लैंड रिकार्ड्स मैनुअल में भी संशोधन हुआ और उसके अनुसार लेखपालों को यह अधिकार मिला कि अगर पड़ताल के मौके पर किसी भी शख्स को काबिज पाता है, तो वह उसको काबिज लिख दे। श्रीमन्, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पहले पटवारियों की जो आदत थी, वही आदत लेखपालों की हो गयी है और उनको वह आदत पटवारियों से उनको एक तरह से विरासत में मिली है। उनकी यह आदत होती थी कि वे अव्वल तो खाना ६ में उनको शिकमी नहीं लिखते थे और तब तक नहीं लिखते थे जबतक कि कोई जाकर उससे खुद यह नहीं कहता था कि वह शिकमी काश्तकार है। इसके अलावा उसको कोशिश करनी पड़ती थी इसके लिये और साथ ही उन तरीकों को भी बरतना पड़ता था जो आजकल कर्मचारियों को राजी करने के लिये हैं, और जो उसे नहीं बरतता था उसे वह शिकमी नहीं लिखता था। इसके प्रतिकूल अगर एक बार उसने शिकमी लिख दिया तो वह चाहे काश्तकार ने कब्जा छोड़ ही क्यों न दिया हो वह इन्दराज काटने की फिक्र नहीं करता था जब तक असली काश्तकार उससे काटने के लिये न कहे और उसके खुश करने के तौर तरीके न अपनाये। इस तरह से दो-दो, तीन-तीन साल तक वह काबिज नहीं लिखता था और अगर लिख देता था तो काटता नहीं था। हम सभी को अनुभव है कि ऐसे सैकड़ों इन्दराज कागज में मौजूद हैं जो गलत हैं।

जिस समय जमींदारी समाप्त हुई, किसानों को अधिवासी अधिकार मिले, तो सैकड़ों गलत इंदराज मिले जिसके कारण अदालत में मुकदमें दायर हुये। बहुत से काश्तकारों ने कहा कि हम तो इस पर काबिज ही नहीं रहे। १० वर्ष पहले हमने जोता था, हम अधिवासी बना दिये गये, हमारे कब्जे में जमीन नहीं रही पटवारी ने शिकमी उनको लिख दिया, उसको काटने की फिक्र नहीं की, क्योंकि असली काश्तकार ने उसको नहीं कहा, अब केवल अधिकार यह है कि अगर लेखपाल पड़ताल के समय किसी अन्य काश्तकार को काबिज पाता है तो लेखपाल उसको खाना कैफियत में काबिज लिख दे। सरकारी आदेश यह भी है कि एक फार्म छपा हुआ है, वह एक फेहरिस्त बनावे और उनकी एक नकल काननगो को एक ग्राम सभा के सभापति को और एक-एक दोनों काश्तकारों को दे कि यह फलां के नाम खेत लिखा गया और दूसरे को यह दे कि तुम्हारा खेत फलां के नाम लिखा गया। इन आदेशों की पूर्ति होनी चाहिये, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसका पालन नहीं होता और मेरी जानकारी में ऐसी लिस्ट किसी को नहीं दी जाती, ग्राम सभा के सभापतियों को भी नहीं दी जाती, कानूनगो को भले ही दी जाती हो। इसकी आवश्यकता इसलिये है कि जब कानूनगो पड़ताल के लिए मौके पर आवे तो उसको पता चले कि वाकई यह लेखपाल ने ठीक लिखा है या नहीं। कानूनगो गांव के प्रधान और दोनों सम्बन्धित किसानों से तसदीक करने के बाद इन्दराज को सही ठहरावे परन्तु ऐसा बहुत किया जाता है। किसानों को पता भी नहीं लगता और लेखपाल से मिलकर गलत इन्दराज लिखा दिये जाते हैं। लेखपाल शरारत करते हैं और अगर वाकई कोई किसान काबिज है और वह अपना कब्जा लिखवाना चाहता है तो उसे बड़ी कठिनाई पड़ती है। अगर वह किसान १० मर्तबा लेखपाल के घर नहीं जाय और खुशामद न करे तो उसका इन्दराज काबिज का नहीं होता। इसके अलावा वह यह भी शरारत करते हैं कि अगर मेरा खेत है, अगर यादव जी चाहें कि हम अपना कब्जा लिखवा लें तो लेखपाल को बड़ी आसानी से खुश करके लिखवा सकते हैं और मुझे पता भी नहीं। वह सीरदार हो जायेंगे। ऐसी हालतों में किसान भी परेशान होता है, बेदखलियों के मुकदमे बढ़ते हैं। इसलिये यह इन्दराज का अधिकार जो उनको दिया गया है, यह घातक है, किसानों के हित में नहीं है।

मेरी समझ में एक बात आती थी कि बजाय लेखपाल को यह अधिकार देने के पहले अगर किसी को मौके पर काबिज पाता है तो उसी का कब्जा लिख दे, बाद में उसका इन्तखाब बनाकर काश्तकार को दे और उसकी सूची कानूनगो और ग्राम सभा के सभापति को दे, इसके बजाय

अगर यह आदेश दिये जायं कि अगर वह किसी काश्तकार को काबिज पाता है उस रेकार्डेड टेनेंट के अलावा तो उसकी सूची बना ले और उसकी नकल कानूनगो को, एक सभापति को और एक-एक उन काश्तकारों को दे और जब कानूनगो मौके पर आवें तो सभापति और उन काश्तकारों से तसदीक करने के बाद तब इन्दराज करें तो इसमें लेखपाल कोई मिसचीफ नहीं कर सकता और यह ज्यादा उचित होगा और सरकार का मंशा भी पूरा हो जाता है। क्योंकि इन्दराज का अधिकार देना जरूरी है और लेखपाल जो बदमाशियां करता है उस पर रोक लगाने के लिये यह आवश्यक है कि जो वह इंदराज करे उसकी सूचना किसानों, सभापति, कानूनगो को दे। कानूनगो उसकी तसदीक मौके पर करे और अगर वह सही इंदराज हो तो कर दिया जाय। म समझता हूं कि इससे बेईमानी और रिश्वतखोरी भी दूर होगी।

एक सुझाव मेरा और है। सरकार ने एक नयी योजना सी० एल० आर० डी० चलाई क्योंकि जमींदारी खात्मे के बाद नये कागजात की तैयारी में कुछ लगान में रद्दोबदल हुआ, कुछ गलती से खाते छूट गये, कुछ नम्बर छूट गये, कुछ कम बेश दर्ज हो गये या जमींदारी एबालिशन के बाद कुछ बागात नहीं रहे जिन पर नया लगान कायम हुआ, इन सब बातों के लिये यह स्कीम चलाई गई। इस स्कीम के फलस्वरूप कहीं पर लगान में कमी भी हुई लेकिन ज्यादातर बढ़ोत्तरी ही हुई और मेरा अनुमान है कि सारे सूबे में साढ़े ४ करोड़ रुपये का बकाया निकला। यह सरकार के भी हित की बात हुई और जनहित की भी। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में स्वयं कई बार यह बताया कि कागजातों में बहुत गलतियां हैं, चकबन्दी के दौर में ७० और ८० फीसदी तक गलत इन्दराज निकले। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है सी०एल०आर० डी० स्कीम की तरह से वह एक दूसरी स्कीम चलायें और सारे प्रदेश में एक दफा कागजातों की दुरुस्ती करा दें।

जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर तो यह काम पूरा हो रहा है लेकिन जहां चकबन्दी नहीं हो रही है या जो गांव मुस्तस्ना कर दिये गये हैं वहां पर दुरुस्ती नहीं हो पाती, वहां पर अब भी ७० और ८० फीसदी गलतियां मौजूद हैं। आप चाहें तो उसी चकबन्दी के स्टाफ से ही कागजातों की दुरुस्ती करा सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दुरुस्ती के लिये जो आप एक या डेढ़ रुपया वसूल करते हैं वह भी लेकर अगर यह दुरुस्ती करा दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। मुझे इत्मीनान है कि मुकदमेंबाजी के चक्कर से बचने के लिये काश्तकार यह एक या डढ़ रुपये फी एकड़ देना ज्यादा अच्छा समझेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह निहायत मुनासिब है कि एक दफा कागजात की दुरुस्ती हो जाय और उसके बाद जैसा कि विकल जी ने इस प्रस्ताव के जरिये से मांग की है कि पहले काश्तकार को इन्तखाब दे दिया जाय और उसके बाद अगर कोई रद्दोबदल हो तो किया जाय और उसकी सूचना पहले काश्तकारों को दी जाय, सभापति को दी जाय, कानूनगो को दी जाय और संबंधित दूसरे काश्तकारों को दी जाय और कानूनगो मौके पर उसकी तसदीक करे और तब खाना कफियत में सही इन्दराज करे। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये और इसको पास करना चाहिये।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रामचन्द्र विकल जी के प्रस्ताव को देखा। उन्होंने दो मांगे की हैं। एक तो यह खतौनी की नकल सब टेन्योर होल्डर को दी जाय और दूसरी बात यह कि जो कालम लेखपाल लिखता है उसमें भूस्वामी तथा गांव सभा की स्वीकृति हो।

जहां तक खतौनी की नकल देने की बात है शायद उन्होंने सोचा नहीं है कि इसम कितना कागज लगेगा। हमारे यहां दो करोड़ खाते हैं। यह इतना बड़ा ह्यूज काम होगा कि पटवारी के मान का नहीं है। इन दो करोड़ खातेदारों की खतौनी की नकल बनवाने में न मालूम कितना कागज लगेगा, लाखों रुपये का कागज लग जायगा, न मालूम कितनी रोशनाई और कलमें लग जायेंगी यह फिजिकली पासिबिल नहीं मालूम होता।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जैसा भुवनेश भूषण जी ने कहा कि शिकमी देने का अधिकार हो, तो इन्दराज करके स्वीकृति कैसे देगा वह अगर कोई इल्लीगल ट्रांसफर किया? गांव सभा और भूस्वामी कैसे स्वीकृति देंगे? हमने यह रखा है कि सब-लैटिंग न हो। सब-लेटिंग करने लगें और इंदराज न हो, तो कौन-सी दूसरी एजेंसी है जो यह करे? फिर, २ करोड़ खातों में लाखों आदमी हर साल मरते भी हैं। जब तक उनके सक्सेसर साबित न हो जावें तब तक किसका नाम लिखा जायगा? गांव सभा में बहुत आदमी होते हैं। वे मीटिंग बुलावें या मौके पर लेकर जावें? रेग्यूलर मीटिंग में तो आते नहीं हैं। इसलिये यह असंभव सी बात है। भीखालाल जी ने ठीक कहा कि अख्तियार तो होना चाहिये लेकिन उसका दुरुपयोग रोकना चाहिये। हम इससे सहमत हैं। कानून हमने बना दिया है कि नये इंदराज करते समय फार्म भर कर जिसका खेत पहले खतौनी में दर्ज है उसको दिया जाय और जिसका नाम लिखा गया है उसे दिया जाय, एक कानूनगो को और एक शायद तहसीलदार के यहां भेजा जाय, अगर उसकी पाबन्दी की जाय तो वह एंट्री ठीक समझी जायगी। अगर इसकी कम्प्लायंस नहीं करते हैं और एंट्रीज कर दें तो वह ऐसे ही इग्नोर किया जायगा जैसे रद्दी कागज। अब दिक्कत यह है कि ऐक्ट पर ही कौन-सा अमल दरामद होता है? नहीं होता है। यह सवाल परामर्शद श्री समिति के सामने आया और हमने इसे कमिश्नर्स कान्फ्रेंस में भी रखा बोर्ड से परामर्श करके हम इस पर विचार कर रहे हैं।

यह प्रस्ताव जिस शक्ल में है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। विकल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे वापिस ले लें और मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर कोई फैसला लेने वाले हैं जो हर तरह से उपयोगी होगा। अगर हम पूरी शिकायतों को रफा नहीं कर पावेंगे तो कम से कम ऐसा जरूर कर देंगे कि वे नहीं के बराबर हो जावें।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---मैंने विकल जी के प्रस्ताव में एक संशोधन दिया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह ठीक समय से नहीं आया। मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह देर से आया। मैं उसे मंजूर नहीं कर रहा हूं। आप संकल्प का समर्थन करें या विरोध करें।

***श्री रामदास आर्य**---बहुत अच्छा। तो मैं अपने विचार रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प की भावनाओं की कद्र करता हूं, इस मानी में जब कि हमारे पहले पटवारी थे अब उनका लेखपाल नाम हो गया है उस वक्त बहुत भारी गलतियां इन्दराजात में उन्होंने कीं। हमारी सरकार ने काफी कोशिश इस बात की कि गलतियां कम हों लेकिन अभी वह सब ठीक नहीं हो पाया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद अहसास किया कि अभी त्रुटियां बाकी हैं। इससे किसानों को दिक्कतें हैं और आपस में उसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। जैसे कि भीखालाल जी ने अपने विचार प्रकट किये, यह सही है कि लेखपालों को अगर खाना कैफियत में लिखने का मौका होगा तो उसका दुरुपयोग होता रहेगा। ऐसी बहुत सी गलतियां पहले ही हो चुकी हैं। परगना गोर्धनपुर, जिला मुजफ्फरनगर का केस मैंने माननीय मंत्री जी के पास लिख कर भेजा था। १०-१२ साल हो गये वहां पर ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं कि जोत कोई और रहा है और जमीन और किसी के नाम है। वहां के किसानों को बड़ी भारी परेशानी है। दरख्वास्तें देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक ही जमीन के लिये दो काश्तकार बराबर लगान दे रहे हैं, एक जोतने वाला और दूसरा जो नहीं जोत रहा है। जोतने वाले का नाम कागज में दर्ज नहीं है। इससे काश्तकारों में अनेक प्रकार के झगड़े होते रहते हैं। इसको शीघ्र हल करने की जरूरत है क्योंकि इससे और भी ज्यादा झगड़े बढ़ने की संभावना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले सरकार ने इस तरफ तवज्जह दी थी कि जिसका मौके पर कब्जा है वह दरख्वास्त देकर कब्जा लिखा ले लेकिन फिर भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनका मौके पर हैं कब्जा है उसका नाम दर्ज नहीं है। ऐसे लोग भी हमारे यहां हैं जो ६-६ साल से लगान दे रहे हैं। अगर काश्तकार की ऐसी दिक्कत रही तो पैदावार किस प्रकार से बढ़ सकती है। ऐसा विधान बनाया गया कि प्रधान शहादत दे कि मौके पर किसका कब्जा है और फिर लेखपाल उसकी नकल कानूनगो को भेजे। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी का अंदेशा है क्योंकि प्रधान गुटबन्दी से चुने जाते हैं, वे भी गड़बड़ी कर देते हैं। इसलिये पंचायत से इस बात की तसदीक की जाय कि असल में इस पर किसका कब्जा है और वह कानूनगो और तहसीलदार साहब के यहां जाकर दुरुस्ती हो जायगी। जो लोग अपने हाथों से पैदावार करके दिखाना चाहते हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये। इससे सरकार को भी लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि मंत्री जी परगना गोर्धनपुर, जिला मुजफ्फरनगर में जल्दी बन्दोबस्त करायें। मैं अपने हल्के में गया और पचासों गांव देखे, वहां पर काफी जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसका इंदराज नहीं है। मुमकिन है सूबे के और हिस्सों में ऐसा हो। मेरी दरख्वास्त यह है कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें और चाहे इस प्रस्ताव को मंजूर करें या न करें लेकिन मेरा अपना सुझाव यह है कि इन इन्दराज की गलतियों की दुरुस्ती होनी चाहिये। अगर ये गलतियां रहीं तो इससे सरकार को भी नुकसान होगा और किसानों का तो नुकसान होगा ही।

*ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं मंत्री जी से आशा करता हूं यह प्रस्ताव तो आप ही की तरफ का है-कि वह इसको मान लेंगे। मैं उनको यह भी सूचना देना चाहता हूं कि यह ९९ परसेंट जो आपके सदस्य हैं उनकी भावनाओं का प्रतीक है और जो असंतोष व्याप्त है इससे वह जाहिर होता है।

श्रीमन्, इसके सिलसिले में मैं चन्द शब्द कहूंगा। काबिज का इंदराज बड़ा गोल है। अंग्रेजी में इसको ट्रेसपासर कहा जाता है। काबिज इन्दराज के देखने से मालूम नहीं होता कि कैफियत के खाने में जो काबिज इंदराज किया गया है इसका अर्थ क्या है। मेरे खयाल में एक ही अर्थ है कि लगातार ३ वर्ष तक किसी के खेत पर किसी का कब्जा लिखा जाय तो चौथे साल वह कब्जेदार असल हो जाय और असल खारिज हो जाय।

हमारे भूतपूर्व मालमंत्री जी भूमि बंटवारे के विरोधी थे और मेरा खयाल है उन्होंने इस नियम को इसलिये लागू किया कि अमीरों के पास से जमीन गरीबों के पास काबिज इन्दराज के जरिये से चली जायेगी और बटवारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें यह है कि तीन वर्ष के अन्दर तो बेदखल कराने का अख्तियार होता है, लेकिन ३ वर्ष के भीतर न करावे तो वह काबिजदार हकदार हो जाता है।

अब मान लीजिये कोई मुश्तरका खाता है। मैं इसलिये इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कानून में यह भी दिया गया है कि कुछ खास किस्म के लोग अपनी आराजी उठा सकते हैं जैसे कोढ़ी हो, अंधा हो, किसी शारीरिक अयोग्यता से खेती न कर सकता हो। लेकिन, श्रीमन्, वह तभी माना जायगा जबकि उसका खाता अलग हो, उस खाते में दूसरा कोई न हो। अगर वह अलग नहीं है और कोई कागजी बटवारा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस काबिज इंदराज के जरिये नाबालिग, विधवा आदि ऐसे लोगों की हत्या होती है। अगर खेती किसी नाबालिग, किसी विधवा की है और उसने अपनी आराजी उठा दी और उस पर काबिज इंदराज हो गया तो ३ वर्ष में वह काबिज इन्दराज असल हो जायगा। तो जब तक खाता न बटे तब तक उसका फायदा उसको नहीं मिलता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या काबिज इन्दराज से आपका कोई उत्पादन बढ़ता है ? ऐसी बात नहीं है। बल्कि वह झगड़े के लिये है। यह भी नहीं डिफाइन करता है कि खेत किस प्रकार से उसके कब्जे में गया। श्रीमन्, इसके पहले.....

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण दूसरे शासरकारी दिन को जारी रखें।

अब हम उठते हैं और तारीख २२, दिन सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे, सोमवार, २२ अगस्त, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१२ अगस्त, १९६०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९० पर)

रायल होटल के अहाते में ३२ विधायकों के कमरों में जो अभी बन रहे हैं फर्नीचर के सम्बन्ध में सूचना

सं०	वस्तुओं के नाम	निर्धारित मात्रा	मात्रा जो प्राप्त हो चुकी है	मात्रा जिसका आर्डर दिया गया है परन्तु अभी आई नहीं है
१	कार्यालय की मेज ..	३२	..	३२
२	बिना हत्थे वाली कुर्सी	६४	६४	..
३	मेढक वाली कुर्सी (Frog chair)	३२	३२	..
४	पलंग ..	६४	६४	..
५	लकड़ी की आलमारी	३२	४	२८
६	ड्रेसिंग टेबुल ..	३२	३२	..
७	टी टेबुल ..	३२	३२	..
८	दरी ..	३२	३२	..
९	टेबुल लैम्प ..	३२	३२	..
१०	मग ..	३२	३२	..
११	पेग रेल ..	६४	६४	..
१२	नहाने के पटरे ..	३२	३२	..
१३	डोर मैट ..	६४	६४	..

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

जिला इलाहाबाद के गांवों में मई, जून तथा ४ जुलाई सन् १९६० तक हुई डकैती तथा कत्ल की सूची

	ग्राम का नाम	धन की क्षति	जन की क्षति
डकैती	१—फूलपुर २—कलेना	६,४५३ रु०	१
कत्ल	१—स्याहमुर्ग २—सुल्तानपुर ३—मदारी कलां ४—नयापुरवा ५—मुहीउद्दीनपुर ६—सुदनीपुर ७—महगांव ८—हिसामपुर परसखी ९—सेउढ़ा १०—करंजलीपुर ११—करारी १२—लौंगवा १३—गजिया	..	१५

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांतिकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

सिविलियन रायफिल सेंटर्स लखनऊ द्वारा १९५९ में दी गयी शिक्षा सम्बन्धी तालिका

सिविलियन रायफिल ट्रेनिंग सेंटर्स लखनऊ द्वारा १९५९ में सरकार के जी० ओ० के अनुसार भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या।

२—कितनों ने शिक्षा प्राप्त की	४२६
३—किन-किन शस्त्रों की शिक्षा दी गई	'१२ बोर बन्दूक।
४—किस शूटिंग रेंज पर शिक्षा दी गई	विभिन्न थानों के अन्तर्गत सुरक्षित स्थानों पर शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।
५—सेंटर के पास कितने अपने शस्त्र हैं तथा किस २ बोर के . .	अपना कोई शस्त्र नहीं है।
६—कितने दिन शिक्षा दी गयी	सित०, १९५९ से दिस०, १९५९ तक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१२४ एल० ए०—१९६०—८४५।